



हंगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हंगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

नए युग की शुरुआत

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22



विषय सूची

निगमित अवलोकन

निगमित सूचना	01
हमारे बारे में	02
व्यापार के क्षेत्र	04
उत्पाद श्रेणी	05
अध्यक्षीय भाषण	06
निदेशक मंडल	08
नेतृत्व दल	10

सांविधिक रिपोर्ट

निदेशक रिपोर्ट	11
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	22
निगमित शासन पर रिपोर्ट	26

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	30
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	41
तुलन पत्र	42
लाभ और हानि का विवरण	43
नकदी प्रवाह विवरण	44
इक्विटी के परिवर्तनों का विवरण	45
वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ	46

सूचना

75



निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष

श्री बिजोय भास्कर
गैर कार्यकारी निदेशक

श्री जोस वी जे
गैर कार्यकारी निदेशक

श्री श्रीजित के नारायणन
गैर कार्यकारी निदेशक

श्रीमती अंजना के आर
गैर कार्यकारी निदेशक

श्री चंद्र मणि रावत
गैर कार्यकारी निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री शेखर चक्रवर्ती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री सेबल चट्टोपाध्याय
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री किरण के ए
कंपनी सचिव (सीएस)

● निगमित अवलोकन

● सांविधिक रिपोर्ट

● वित्तीय विवरण

वरिष्ठ प्रबंधन दल

श्री बालकृष्णन पूवत्रा
उप महाप्रबंधक (वित्त), सीएसएल

श्री पी के मिश्रा
उप महाप्रबंधक (पी एंड ओ), एचसीएसएल

श्रीमती बिंदु कृष्णा
सहायक महाप्रबंधक (कानूनी), सीएसएल

पंजीकृत कार्यालय

प्रशासनिक भवन,
एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड
पी ओ धनेष शेख लेन, नजीरगंज,
हावडा, पश्चिम बंगाल - 711 109
सीआईएन: U35900WB2017GOI223197

सुविधाएं

नजीरगंज, पश्चिम बंगाल
साल्किया, पश्चिम बंगाल

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स राड्स व कंपनी
(सीए1369)
1, जिप्सम लेन, सिधा जिप्सम
2 मंजिल, स्टूट सं. 214
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 069

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स एसबीजेएस व असोसिएट्स
कंपनी सचिव
प्रथम तल, , 65/2364ए
पोनोत्त रोड, कलूर
कोच्ची - 682 017

बैंकर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
फेडरल बैंक



हमारे बारे में

सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत के नामित राष्ट्रीय जलमार्गों में अंतर्देशीय जल जहाजों की भारी मांग को पूरा करने के लिए कार्यरत है।

भारत का पूर्वी तट समुद्री गतिविधि का केंद्र रहा है और जहां तक पोत निर्माण का संबंध है, यह देश के लिए प्रकाशस्तंभ रहा है। इस दिशा में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने इस क्षेत्र में पोत निर्माण क्षेत्र को और मजबूत करने के अपने प्रयास में हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) की सदियों पुरानी विरासत पर कब्जा कर लिया है जो देश के पूर्वी तट पर पोत निर्माण के अग्रदूत थे।

एचडीपीईएल हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से वर्ष 1819 में स्थापित देश

के सबसे पुराने शिपयार्ड में से एक है। तत्पश्चात इसका पोर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स में विलय हो गया और इसे हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के रूप में जाना जाने लगा। सीएसएल ने इस यार्ड को ग्रहण कर लिया जिसमें नजीरगंज और साल्किया में सुविधाएं शामिल हैं और अक्टूबर 2017 में एचडीपीईएल के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के रूप में फिर से नामकरण किया गया और उसके बाद दिनांक 03 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार एचसीएसएल दिनांक 01

नवंबर 2019 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

सीएसएल, आईडब्ल्यूआई की जलमार्ग विकास परियोजना के जरिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने हेतु भारत सरकार की विचार प्रक्रिया के अनुरूप नजीरगंज इकाई को आधुनिक पोत निर्माण सुविधा में नवीनीकृत और पुनर्गठित किया गया है। सीएसएल देश के अग्रणी शिपयार्ड से तकनीकी और डिजाइन समर्थन के साथ, एचसीएसएल अंतर्देशीय क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता,



आला जहाजों की मांगों को पूरी तरह से और तटीय और समुद्र जाने वाले खंड को काफी हद तक पूरा करने हेतु आश्वस्त है।

हमारी इकाई आंतरिक क्यूए/ क्यूसी, एनडीटी, अग्नि और सुरक्षा जैसे नवीनतम जहाज निर्माण मानदंडों से सुसज्जित है और प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु अनुभवी कार्यबल के साथ परिष्कृत उपकरण हैं। हमने भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) से आईएसओ 9001-2015-गुणवत्ता, आईएसओ 14001-2015-पर्यावरण और आईएसओ 45001-2018 - स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रमाणन सहित आईएमएस प्रमाणन प्राप्त किया है। विस्तारित रिवरफ्रंट के कारण स्लिपवे लॉचिंग और साइड लॉचिंग सुविधा दोनों का समर्थन करने वाले रणनीतिक स्थान के कारण हमारी सुविधा का एक अतिरिक्त लाभ है।

हम एचसीएसएल में, ग्राहकों के लिए न केवल सबसे अधिक लागत प्रभावी डिजाइन और जहाजों को विकसित करके एक व्यापक समर्थन प्रदान कर सकते हैं, बल्कि जहाजों से आवधिक वास्तविक समय प्रतिक्रिया पर दोष विश्लेषण और रखरखाव कार्यक्रम आयोजित करके पोत की पूरी अवधि के लिए सहायता और उसके बाद अनुसूची के अनुसार मरम्मत भी प्रदान कर सकते हैं।

एचसीएसएल में सुविधा के कुछ मुख्य विशिष्टताएं :

- (I) पोत निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सभी शॉप फ्लोर।
- (II) 80 मीटर तक के जहाजों के लिए विंच और क्रेडल सिस्टम सहित एंड लॉचिंग (2सं.)।
- (III) 120 मीटर तक के जहाजों के लिए साइट लॉचिंग (01 सं.)
- (IV) जेटी के साथ फिटआउट बर्थ (04 सं.)- प्रत्येक में फ्लोटिंग पॉटून (30 मी.*7 मी.) के साथ गैंगवे और टवर क्रेन (5 टन)।
- (V) ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मानकीकृत डिजाइनों की विस्तृत श्रृंखला।
- (VI) 2.5 मिलियन सुरक्षित कामकाजी घंटों के प्रमाणपत्र के साथ प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा करने हेतु मजबूत कार्यबल।



व्यापार क्षेत्र



पोत निर्माण:

ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु मानकीकृत डिजाइन की विस्तृत श्रृंखला। इसमें यात्री और माल ढुलाई क्षमता दोनों के लिए अंतर्देशीय जल, चटीय और समुद्र में जाने वाले जहाज शामिल है।



जीवन काल विश्लेषण:

जहाजों से वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर, दोषों पर विश्लेषण और मरम्मत पूर्व सूचना और स्लॉट करने हेतु सामान्य रखरखाव की जा सकती है।



मरम्मत अनुसूची:

खराब होने से बचने और यंत्रों की रूकावट को कम करने हेतु उपकरणों की समय-समय पर मरम्मत करना।



उत्पाद श्रेणी

टग	वर्कबोट	मत्स्य ग्रहण जहाज	हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट	रो-पैक्स
टो-बार्ज	यात्री फेरी	समुद्री ऍंबुलेंस बोट	रो-रो	पुषर्स
पोर्ट फीडर्स	तटीय एलएनजी टैंकर्स	अनुसंधान जहाज	रक्षा जहाज	स्वायत्त इलेक्ट्रिक बार्ज



अध्यक्षीय भाषण



एचसीएसएल, भारत सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 तक पहुँच के साथ एक यार्ड होने के नाते कम से कम संभव लागत पर छोटे जहाज़ों के निर्माण के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है।



प्रिय शेयरधारकों

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) की 05वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है।

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कंपनी ने परियोजना चरण पूरा कर लिया है और नज़ीरगंज में पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के लिए इसकी नई सुविधा को अगस्त 16, 2022 को श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसके अलावा, कंपनी ने भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) से आईएसओ 9001-2015 - गुणवत्ता, आईएसओ 14001-2015 - पर्यावरण और आईएसओ 45001-

2018 - स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित आईएमएस प्रमाणन प्राप्त किया है। इसके अलावा, अप्रैल, 2022 में कंपनी ने सर्वोत्तम उपलब्ध ईआरपी समाधानों में से एक, एसएपी एस/4 हाना को लागू किया है, जिससे व्यापार लेनदेन की दक्षता में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

यार्ड सीएसएल समूह की दीर्घकालिक कार्यनीति, क्रूज़ 2030, मुख्य रूप से देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में छोटे जहाज़ों के खंड में विशेष रूप से अंतर्देशीय बाजारों और जहाज़ों, यात्री घाटों, रो-रो/रो-पैक्स, पोत मरम्मत आदि के विशाल अवसर लाभ उठाने में अपना योगदान करने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार है। एचसीएसएल, भारत सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 तक पहुँच के साथ एक यार्ड होने के नाते कम से कम संभव

लागत पर छोटे जहाज़ों के निर्माण के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। इससे कंपनी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में उच्च मात्रावाले कम सीमांत वाले छोटे जहाज़ों के खंड में प्रवेश करने में मदद मिलेगी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 वास्तव में यार्ड के लिए अभूतपूर्व था। कोविड-19 के कारण प्रतिबंधों के बावजूद, यार्ड ने महामारी के दौरान बिना किसी श्रम घंटे के नुकसान के, कोविड मुक्त काम करने का लक्ष्य हासिल किया। वर्ष के दौरान, यार्ड ने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के दो जहाज़ों और आईडब्ल्यूटी, असम के चार जहाज़ों की प्रमुख मरम्मत की। कंपनी वर्तमान में सीएसएल-कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) के लिए बॉक्स कैसॉन गेट

के डिज़ाइन, खरीद, निर्माण, स्थापना और परीक्षण आदेश को क्रियान्वित कर रही है। मुझे आपको यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि, एचसीएसएल को जेक मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक 2200 टन डीडब्ल्यूटी बहुउद्देश्यीय पोत के निर्माण के लिए अपना पहला जहाज़ निर्माण आदेश मिला है। उसी के लिए अनुबंध पर अगस्त 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा, अंतर्देशीय जलमार्ग खंड कंपनी के प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में से एक है, हमने पांडु, असम, गुवाहती में एक नई पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ परामर्श समझौता किया है। अगस्त 26, 2021 को माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और असम के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एचसीएसएल और आईडब्ल्यूआई के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। एचसीएसएल की प्रस्तावित पोत मरम्मत सुविधा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी जहाज़ों को बिना किसी कीमती समय की हानि के, हर छोटी-मोटी मरम्मत के लिए कोलकाता की यात्रा करने हेतु सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

वित्तीय मोर्चे पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पोत की मरम्मत से 41.78 लाख रुपए की आय अर्जित की है। हालांकि, जिस कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक पोत निर्माण शुरू नहीं किया है, उसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 283.61 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

यह भी उल्लेखनीय है कि, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशक मंडल ने सीएसएल के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे श्री श्रीजित के नारायणन और श्रीमती अंजना के आर को एचसीएसएल के बोर्ड में निदेशक रूप में नियुक्त किया। मुझे विश्वास है कि कंपनी को पोत निर्माण और पोत मरम्मत के विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में उनके द्वारा प्राप्त व्यापक अनुभव से अत्यधिक लाभ होगा। चूंकि कंपनी ने अपना परियोजना चरण पूरा कर लिया है और वाणिज्यिक उत्पादन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक पूर्ण मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी, दोनों उच्च योग्य और अनुभवी हैं, उन्हें नियुक्त किए गए थे। साथ ही, कंपनी में अनुकूलतम श्रमशक्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त श्रमशक्ति की नियुक्ति हेतु चरणबद्ध तरीके से प्रगति की जा रही है।

चूंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एचसीएसएल पूरी तरह से चालू नहीं था, इसलिए कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक जुलाई 08, 2014 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005 - जीएम के अनुसरण में निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। हालांकि, कंपनी, जहां भी संभव हो सर्वोत्तम निगमित शासन कार्यों को अपनाती है और डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार निगमित शासन संबंधी रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

समापन से पहले, मैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और संपूर्ण एचसीएसएल प्रबंधन को उनके निरंतर समर्थन, प्रतिबद्धता और योगदान के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं, बोर्ड के सभी सदस्यों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और परियोजना को पूरा करने के लिए दिए गए समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन, पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (एसएमपी) परियोजना को पूरा करने में उनके योगदान के लिए, मैं कंपनी के समर्पित कर्मचारियों को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके प्रयासों और स्थायी प्रतिबद्धता के बिना, कंपनी इस कठिन और चुनौतिपूर्ण समय के दौरान कायम नहीं रह पाती।

मैं कंपनी को शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि यह अंतर्देशीय जलमार्ग पोत खंड में भारत में अग्रणी खिलाड़ी बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।

धन्यवाद

जय हिंद

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

निदेशक मंडल



श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष

श्री मधु एस नायर कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार कंपनी के पहले निदेशकों में से एक है। श्री मधु एस नायर दिनांक 01 जनवरी 2016 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोचीन विश्व विद्यालय, भारत से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया है। वे कुरे, जापान से आईएचआई शिपयार्ड में पोत निर्माण प्रणाली में प्रशिक्षित हैं और समुद्री व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (ओवीटीए), टोकियो और ओसाका अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, ओसाका जापान में जे आई सी ए विशेषीकृत प्रशिक्षण और जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर के दौरान जॉइनिंग और वेलिंग अनुसंधान में शोध किया। वे विभिन्न व्यावसायिक निकायों के सदस्य है जिसमें दि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स, यू के (आरआईएनए), भारत के इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स शामिल है, और वर्तमान में इंडो जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स केरल (आईएनजेएसीके) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। उनको पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में लगभग 34 वर्ष का कार्य अनुभव है। वे उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) के अध्यक्ष भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री बिजोय भास्कर
गैर कार्यकारी निदेशक

श्री बिजोय भास्कर को एचसीएसएल के बोर्ड में दिनांक 25 अप्रैल 2018 से शामिल किया गया है। वे 05 अप्रैल 2018 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (तकनीकी) है। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ बैचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (मेकानिकल) उपाधि ली है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी (मेकानिकल) डिग्री भी रखते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा कर लिया। उन्हें वर्ष 2014 में केरल प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा 'वर्ष का प्रबंधक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउट फिट और पोत मरम्मत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 34 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है। वे उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) के निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री जोस वी जे
गैर कार्यकारी निदेशक

श्री जोस वी जे को एचसीएसएल के बोर्ड में दिनांक अगस्त 03, 2019 से शामिल किया गया है। वे अगस्त, 2019 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानून में उपाधि भी प्राप्त की है। उन्हें विविध क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रबंधन, कार्यनीति योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 31 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) में निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्रीजित के नारायणन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री श्रीजित के नारायणन को दिनांक 26 मार्च 2022 से एचसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया था। वह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (प्रचालन) हैं। उन्होंने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कालिकट से बैचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (मेकानिकल) में उपाधि हासिल की है और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की है। उन्हें पोत निर्माण, पोत डिजाइन और पोत मरम्मत जैसे क्षेत्रों में लगभग 34 वर्षों का कार्य अनुभव है। वह उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) के निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्रीमती अंजना के आर
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्रीमती अंजना के आर को दिनांक 26 मार्च 2022 से एचसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया था। वह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की महाप्रबंधक (डिजाइन) हैं। श्रीमती अंजना के आर के पास कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी से बैचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण) की उपाधि है। उन्हें पोत डिजाइन, पोत निर्माण हल, उत्पाद इंजीनियरिंग और पोत निर्माण सामग्री प्रापण जैसे क्षेत्रों में 26 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है।



श्री चंद्र मणि रावत
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री चंद्र मणि रावत कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार कंपनी के पहले निदेशकों में से एक है। उनको सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और क्रमशः एक्सआईएम, भुवनेश्वर और आईआईआरएस, देहरादून से प्रबंधन और रिमोट सेंसिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। वह वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों के पत्तनों के अंडमान एवं निकोबार ग्रूप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी), पत्तन प्रबंधन बोर्ड, अंडमान व निकोबार प्रशासन में मुख्य पत्तन प्रशासक के रूप में कार्य किया है और निदेशक (आईडब्ल्यूटी और इंजीनियरिंग), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, भारत सरकार के रूप में भी कार्य किया है। वह हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड में निदेशक भी हैं।

नेतृत्व दल



श्री शंखर चक्रवर्ती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री शंखर चक्रवर्ती ने दिनांक 22 दिसंबर 2021 से एचसीएसएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लोनावाला से बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) में उपाधि, नौसेना वास्तुविद् निर्माण में आईआईटी (दिल्ली) से डीआईआईटी (एनसी) स्नातकोत्तर उपाधि और आईआईएम (इंदौर) से व्यापार विकास में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा किया है। वह 1984 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए और 1987 में कमीशन हुए। उनके पास भारतीय नौसेना में 25 साल की कमीशन सेवा है। उन्होंने 9 साल की अवधि के लिए एलएंडटी पोत निर्माण के साथ भी काम किया है। एलएंडटी में पोत लिफ्ट एंड मरीन सर्विसेज डिवीजन के प्रमुख के अलावा, उन्हें पोत डिजाइन, पोत मरम्मत और पोत निर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञता हासिल है।



श्री सैबल चट्टोपाध्याय
मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री सैबल चट्टोपाध्याय ने दिनांक 14 फरवरी 2022 से एचसीएसएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई-सीएमए) के साथ-साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के सदस्य हैं। उनके पास विभिन्न क्षमताओं पर विभिन्न बड़े कॉरपोरेट्स के साथ वित्त से संबंधित क्षेत्रों में एक समृद्ध अनुभव है। एचसीएसएल में शामिल होने से पहले, उन्होंने एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड) के निदेशक वित्त के रूप में काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ भी काम किया था।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारियों,

1. आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ-साथ आपकी कंपनी की 05 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बहुत खुशी है।

परियोजना - पृष्ठभूमि

2. 'एचसीएसएल के नए यार्ड निर्माण' से संबंधित सभी परियोजना कार्य पूरे हो चुके हैं और यार्ड उत्पादन के लिए तैयार है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में सभी सिविल, मेकानिकल और इलेक्ट्रिकल संबंधित कार्यों के लिए 99% की प्रत्यक्ष प्रगति हासिल की गई है। सडक के अलावा, 50 टन क्रैन के निर्माण में देरी के कारण रुके हुए सभी प्रमुख कार्य पूरे हो गए हैं और सडक पेंटिंग का काम पूरा होने के अंतिम चरण में है।

3. इसके अलावा, सभी सिविल संरचनाओं को सौंपने और लेने और सभी मशीनरी/उपकरण और क्रैन को चालू करने का काम पूरा हो गया है। वर्तमान में 50 टन क्रैन सहित सभी क्रैन को तीसरे पार्टी अभिकरणों द्वारा कमीशन किया जाता है।

4. 50 टन क्रैन के निर्माण में देरी के कारण, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के कुछ काम रुके हुए थे क्योंकि क्रैन ने या तो आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया था या स्लिपवे के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। कार्यों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

क. अग्निशमन प्रणाली : स्लिपवे क्षेत्र में चरण I और चरण II के बीच प्रणाली की आपसी जुड़ाव पूरी हो गई है। अग्निशमन विभाग से वैधानिक स्वीकृति का कार्य प्रगति पर है।

ख. गैस प्रणाली : स्लिपवे क्षेत्र में चरण I और II के बीच गैस प्रणाली की अंतःयोजनीयता पूरी हो गई है। पीईएसओ से वैधानिक मंजूरी का काम चल रहा है।

ग. विंच एंड क्रैडल : विंच प्रणाली चालू होने के लिए तैयार है, हालांकि क्रैडल लॉकिंग तंत्र पर काम प्रगति पर है। इसके बाद, विंच और क्रैडल प्रणाली को चालू किया जाना है। प्रणाली लॉक गेट के चालू होने के बाद स्थापित किया जाएगा।

घ. विद्युत प्रणाली : सभी बाहरी प्रणालियों के लिए संयोजकता पूर्ण हो गई है।

ङ सिविल कार्य : स्लिपवे क्षेत्र में फर्श और सडक से संबंधित सभी सिविल संबंधी कार्य और स्लिपवे के दोनों ओर खाई की सफाई 50 टन क्रैन के निर्माण के बाद पूरी कर ली गई है। अंतिम बिटुमेरी परत लंबित है।

प्रचालन

5. एचसीएसएल का नया यार्ड, इसकी नजीरगंज इकाई में संचालन के लिए तैयार है। कोविड-19 द्वारा प्रतिबंध के बावजूद, यार्ड ने महामारी के दौरान मानव घंटे के नुकसान के बिना, कोविड मुक्त काम करने का लक्ष्य हासिल किया। वित्तीय 2021-22 के दौरान, यार्ड ने आईडब्ल्यूआई के दो जहाजों और आईडब्ल्यूटी असम के चार जहाजों की सख्त समय सीमा में बड़ी मरम्मत की और उन्हें ग्राहक को सर्वोत्तम संतुष्टि के लिए वितरित किया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एचसीएसएल को सीएसएल के सीएसएल-कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) के लिए बॉक्स कैसॉन गेट के डिजाइन, खरीद, निर्माण, स्थापना और परीक्षण का आदेश मिला। इसके अलावा, अंतर्देशीय जलमार्ग खंड में केंद्रित एचसीएसएल ने पांडु, असम, गुवाहती में एक नई जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु आईडब्ल्यूआई के साथ एक समझौता किया है। प्रस्तावित जहाज मरम्मत सुविधा प्रत्येक छोटी-मोटी मरम्मत के लिए कोलकाता की यात्रा करने में बहुमूल्य समय की हानि के बिना राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी जहाजों की पूर्ति करेगी।

वित्तीय विवरण

6. कंपनी जो अपेक्षित शिपयार्ड संरचना सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है, ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 382.47 लाख रुपए (407.54 लाख रुपए गत वर्ष) की हानि रिपोर्ट की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हुए कुल पूंजी खर्च 1,386.80 लाख रुपए (12,211.97 लाख रुपए - गत वर्ष) है।

वित्तीय विशिष्टताएं

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31 मार्च 2022 को	दिनांक 31 मार्च 2021 को
(i)	सकल आय	45.16	40.77
(ii)	वित्तीय लागत पूर्व लाभ/(हानि), मूल्यहास एवं कर	(286.03)	(299.36)
(iii)	वित्तीय लागत	56.82	75.57
(iv)	मूल्यहास एवं परिशोधन खर्च	39.62	32.61
(v)	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(382.47)	(407.54)
(vi)	कर परिसंपत्ति	98.86	91.84
(vii)	निवल लाभ/(हानि)	(283.61)	(315.70)

शेयर पूंजी

7. दिनांक 31 मार्च 2021 को कंपनी के प्राधिकृत शेयर पूंजी 1,25,00,00,000 (रुपए एक हजार और पच्चीस करोड़ मात्र) है, जो 69,00,00,000 (रुपए उनसठ करोड़ मात्र) रुपए की राशि प्रत्येक 10 (रुपए दस मात्र) रुपए के 6,90,00,000 (रुपए छह करोड़ नब्बे लाख मात्र) इक्विटी शेयरों और 56,00,00,000 (रुपए छप्पन करोड़ रुपए मात्र) रुपए की राशि प्रत्येक 10 रुपए (रुपए 10 मात्र) के 5,60,00,000 (रुपए पांच करोड़ साठ लाख मात्र) में विभाजित है।
8. दिनांक 31 मार्च, 2022 को कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी 1,06,00,00,000 (रुपए एक सौ और छह करोड़ मात्र) है, जो 50,00,00,000 (रुपए पचास करोड़ मात्र) रुपए की राशि के प्रत्येक 10 रुपए (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य के 5,00,00,000 (रुपए पांच करोड़ मात्र) इक्विटी शेयरों और 56,00,00,000 (रुपए छप्पन करोड़ मात्र) रुपए की राशि के प्रत्येक 10 रुपए (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य के 5,60,00,000 (रुपए पांच करोड़ साठ लाख मात्र) के अधिमान शेयर में विभाजित है। पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के पास है।

ऋणपत्र

9. कंपनी ने 1,000 रुपए (केवल एक हजार रुपए) के अंकित मूल्य के 4,40,000 असुरक्षित गैर-प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (ऋणपत्र) जारी किए हैं। ऋणपत्र, 44,00,00,000 रुपए (केवल चौतालीस करोड़ रुपए) की राशि के लिए सीएसएल को प्रति वर्ष 6.50% की व्याज दर पर 60 महीनों की अवधि के साथ सितंबर 2018 के महीने में जारी किए गए थे। ऋणपत्र, सितंबर 2023 में ऋणमुक्ति के लिए देय है।
10. कंपनी ने 1,000 रुपए (केवल एक हजार रुपए) के अंकित मूल्य के 3,10,000 असुरक्षित गैर-प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (ऋणपत्र) जारी किए हैं। ऋणपत्र, 31,00,00,000 रुपए (केवल इकतीस करोड़ रुपए)

की राशि के लिए सीएसएल को प्रति वर्ष 6.15% की कूपन दर पर 120 महीनों (आबंटन की तारीख से पांच साल बाद मुक्त करने के विकल्प के साथ) की अवधि के साथ सितंबर 2021 के महीने में जारी किए गए थे।

11. कंपनी के पास कुल 7,50,000 (सात लाख पचास हजार) असुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र हैं जिनका अंकित मूल्य 1000 रुपए (एक हजार रुपए मात्र) जो प्रत्येक 31 मार्च 2022 तक बकाया है।

लाभांश

12. कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है, इसलिए कि कंपनी फिलहाल परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और उसका कोई विभाज्य लाभ नहीं है।

आरक्षित निधि में अंतरण


13. चूंकि कंपनी ने अभी तक अपना प्रचालन शुरू नहीं किया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नुकसान हुआ है, कंपनी किसी भी राशि को आरक्षित निधि में अंतरित करने में असमर्थ है।

राजकोष में अंतरण

14. वर्ष 2021-22 के दौरान माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और आयकर (टीडीएस) के माध्यम से किए कुल अंशदान लगभग 311.54 लाख रुपए (22.60 लाख रुपए गत वर्ष) है।

श्रमशक्ति स्थिति

15. दिनांक 31 मार्च 2022 तक, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) में 39 कर्मचारी हैं जिनमें 12 कार्यपालक, 11 परियोजना अधिकारी और 16 कर्मचारी (अनुबंध पर) शामिल हैं। कंपनी में अनुकूलतम श्रमशक्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जनशक्ति की नियुक्ति के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रगति की जा रही है।



कर्मचारियों और संबंधी प्रकटीकरण का विवरण

16. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05 जून 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इसके नियमों से छूट दी गई है। अतः निदेशकों की पारिश्रमिक के विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय तथा खर्च

17. कंपनी ने कुशल ऊर्जा संरक्षण और यार्ड के अंदर सर्विस ब्लॉक के शीर्ष पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में 30 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए स्वचालित पावर फैक्टर नियंत्रण तंत्र को अपनाया है।

निदेशक मंडल एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

21. दिनांक मार्च 31, 2022 के अनुसार, कंपनी में 6 निदेशक हैं, जिनमें से सभी गैर-कार्यपालक निदेशक और 3 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक जैसे : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव हैं, विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष
2.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	गैर-कार्यकारी निदेशक
3.	श्री जोस वी जे	08444440	गैर-कार्यकारी निदेशक
4.	श्री श्रीजित के नारायणन	09543968	गैर-कार्यकारी निदेशक
5.	श्रीमती अंजना के आर	09545253	गैर-कार्यकारी निदेशक
6.	श्री चंद्र मणि राउत	06935852	गैर-कार्यकारी निदेशक
7.	श्री शोखर चक्रवर्ती	लागू नहीं	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	श्री सैबल चट्टोपाध्याय	लागू नहीं	मुख्य वित्तीय अधिकारी
9.	श्री किरण कप्पट्टिल अगस्टिन	लागू नहीं	कंपनी सचिव

22. श्री एन वी सुरेश बाबु, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी में निदेशक (प्रचालन) के पद से अधिवर्षिता पर उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप दिनांक 01 मई 2021 से निदेशक नहीं रहे।

23. श्री श्रीजित के नारायणन, मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत), सीएसएल और श्रीमती अंजना के आर, महाप्रबंधक (डिज़ाइन), सीएसएल को तीन साल की अवधि के लिए एचसीएसएल के निदेशक मंडल में सीएसएल नामित निदेशक के रूप में नियुक्त गया था, जो 26 मार्च 2022 से सीएसएल में उनकी सेवा के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के अनुसार होगा।

बेहतर कामकाज के लिए हर संभव स्वचालन पद्धति को अपनाया गया है। विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।

18. वर्ष 2021-22 के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा आय और व्यय नहीं हुआ है।

जोखिम प्रबंधन

19. कंपनी, अपेक्षित शिपयार्ड अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के पूर्ण चरण में है और परियोजना की प्रगति की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश के लिए समय-समय पर बोर्ड को रिपोर्ट की जाती है। कंपनी जहां भी आवश्यक हो पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का पालन करती है। फिर भी, कंपनी जल्दी ही एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाएगी।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई)

20. स्थापना के बाद से, कंपनी ने किसी भी बड़ी दुर्घटना की सूचना नहीं दी है, जिससे यह काम करने के लिए सुरक्षित स्थान बन गया है। राज्य सरकार द्वारा तालाबंदी हटाए जाने के बाद भी, इकाई यार्ड में प्रवेश करनेवाले सभी व्यक्तियों के लिए कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कर रही है। वर्तमान में, आईएमएस प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों और दस्तावेज़ीकरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और आईआरएस द्वारा प्रमाणन लेखापरीक्षा शीघ्र ही शुरू होगा।

24. श्री शेखर चक्रवर्ती को दिनांक 22 दिसंबर 2021 से श्री राजेश गोपालकृष्णन के स्थान पर एचसीएसएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और श्री सैबल चट्टोपाध्याय को दिनांक 14 फरवरी, 2022 से श्री बालकृष्ण पूवत्रा के स्थान पर एचसीएसएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

25. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी के निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण

26. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान चार बोर्ड बैठक आयोजित की गईं और दो बैठकों के अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं हुआ है। बोर्ड की बैठक आयोजित होने की तिथियां और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	दिनांक	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	मई 07, 2021	4	3
2.	अगस्त 05, 2021	4	4
3.	नवंबर 08, 2021	4	3
4.	फरवरी 03, 2022	4	4

27. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दी गई है :

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	उपस्थित हुई बोर्ड बैठकों की सं.
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	4/4
2.	श्री एन वी सुरेश बाबु*	07482491	0/0
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	4/4
4.	श्री जोस वी जे	08444440	4/4
5.	श्री श्रीजित के नारायणन**	09543968	0/0
6.	श्रीमती अंजना के आर	09545253	0/0
7.	श्री चंद्र मणि राउत	06935852	2/4

* श्री एन वी सुरेश बाबु दिनांक 01 मई 2021 से निदेशक नहीं रहे।

**श्री श्रीजित के नारायणन और श्रीमती अंजना के आर को दिनांक 26 मार्च 2022 से एचसीएसएल के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बोर्ड की समितियां

28. कंपनी ने एक प्रतिभूति प्रस्ताव, आबंटन और अंतरण समिति और अंतरण समिति गठित की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समिति का गठन और सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दी जाती है :

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	उपस्थित हुई बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष	3/3
2.	श्री एन वी सुरेश बाबु*	07482491	सदस्य	0/0
3.	श्री जोस वी जे	08444440	सदस्य	3/3

* श्री एन सुरेश बाबु दिनांक 01 मई 2021 से निदेशक नहीं रहे।

29. समिति की तीन बैठक वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक मई 07, 2021, अगस्त 25, 2021 और सितंबर 03, 2021 को आयोजित की गईं। उक्त बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

बोर्ड के निष्पादन की मूल्यांकन

30. कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक सीपीएसई, की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) के तहत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का पालन करने से छूट दी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण के संबंध में धारा 134 (3) (पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी के प्रशासनिक रूप से अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रभावी है। इसके अलावा, उक्त छूट अधिसूचना सरकारी कंपनियों को निदेशकों की नियुक्ति, कार्य-निष्पादन और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधानों से भी छूट देती है।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

31. कंपनी को अब तक बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। कंपनी, एक पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

32. आपके निदेशक प्रकट करते हैं कि:

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया था।

ख) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुन लियां और सुसंगत रूप से उन्हें लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किया गया जो युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ तथा हानि से संबंधित सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

घ) निदेशकों ने चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

ड.) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार कर ली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

संबंधी पार्टियों के साथ ठेके और व्यवस्थाएं

33. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी द्वारा कोई भी संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों को आकर्षित करता है। इसके अलावा, आपके निदेशक वित्तीय विवरणों पर नोट 34 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण को निर्धारित करते हैं।

निगमित शासन

34. दिनांक 08 जुलाई 2014 को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं.18(8)/2005-जीएम के अनुसार एचसीएसएल को निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट है। फिर भी, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सावर्जनिक उद्यम के लिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों के अनुपालन में तैयारित निगमित शासन पर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग में एक अलग भाग में प्रस्तुत किया है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

35. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सावर्जनिक उद्यम के लिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों के अनुपालन के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग में एक अलग भाग में प्रस्तुत किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

36. कंपनी, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण समय पर तैयार करने और प्रस्तुत करने के द्वारा कंपनी के व्यापार के व्यवस्थित और कुशल प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियां और प्रक्रियाओं का पालन करती है जो नियंत्रक कंपनी, सीएसएल के अनुरूप है।

आईसीएसआई के सचिवीय मानक

37. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिवालय संस्थान (आईसीएसआई) ने दिनांक 1 जुलाई 2015 से प्रभावी

निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानक दिनांक 23 अप्रैल, 2015 को अधिसूचित किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

38. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय नियंत्रण एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स राड्स एंड कंपनी (सीए1369), सनदी लेखाकार, कोलकाता को नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

39. मेसर्स राड्स एंड कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 03 मई 2022 को दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा

40. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने कंपनी के अनुपूरक लेखापरीक्षा को महा लेखापरीक्षा निदेशक का कार्यालय (खान), कोलकाता, 1, कार्डिसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 को सौंपा है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

41. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक

42. मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, कोच्ची को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

43. मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखापरीक्षकों ने दिनांक मई 03, 2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे इस रिपोर्ट के अनुलग्नक II में रखा गया है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

44. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए मेसर्स घोषाल बसु एवं रे, सनदी लेखाकार, कोलकाता को नियुक्त किया है।

लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

45. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत अपेक्षित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है।

सतर्कता

46. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लंबित/निपटाए गए कोई सतर्कता मामला नहीं है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

47. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अधीन कंपनी द्वारा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

वार्षिक विवरणी

48. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार कंपनी के वार्षिक विवरणी की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.hooghlysl.com पर उपलब्ध है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

49. कंपनी अपने परियोजना कार्यान्वयन चरण में होने के कारण, सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने की स्थिति में नहीं है। आगे, कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के दायरे में नहीं आती है जो सीएसआर से संबंधित है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों का विवरण

50. कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों नहीं है।

धारा 143 के अधीन लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

51. शून्य।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

52. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हुए कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच नहीं हुआ है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

53. रिपोर्टाधीन अवधि में कंपनी ने :

- किसी व्यक्ति को या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है।
- किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को ऋण के सिलसिले में कोई गारंटी नहीं दिया है और प्रतिभूति नहीं प्रदान किया है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन निर्धारितानुसार, किसी अन्य निगमित निकाय के प्रतिभूतियों को अभिदान, खरीदी या अन्यथा प्राप्त नहीं किया है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

54. कंपनी अपने व्यवसाय संचालन के प्रारंभिक चरण में है और अपने संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों को लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

निक्षेप

55. आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर V के अधीन सार्वजनिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेश

56. कंपनी की चालू स्थिति और इसके प्रचालनों को प्रभावित करते हुए विनियामकों या किसी अदालतों या न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

57. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई मामला दर्ज/निपटाया नहीं गया है।

58. कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

आभारोक्ति

59. निदेशक मंडल माननीय प्रधान मंत्री, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सीएसएल, तथा केओपीटी के सभी अधिकारियों के प्रति उनसे निरंतर प्राप्त हिमायत के लिए अत्यंत आभारी है। बोर्ड भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न कार्यालयों, स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों, कानूनी परिषदों, परामर्शकारों, आपूर्तिकारों, उप ठेकेदारों, बैंकों और कंपनी के कर्मचारियों के प्रति प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए कृतज्ञ है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

मधु एस नायर

कोच्ची

अध्यक्ष

मई 03, 2022

डीआईएन: 07376798

अनुलग्नक I

क. ऊर्जा का संरक्षण

(i) वर्ष 2021-22 के दौरान ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव	उठाए गए कदम एपीएफसी पैनल सक्रिय हैं और सीईएससी विभाग से छूट प्राप्त कर रहे हैं। ऊर्जा निगरानी प्रणाली सक्रिय है।
(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	सर्विस ब्लॉक रूफ टॉप के ऊपर 30 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निविदा निकाला गया।
(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	ऊर्जा संरक्षण के लिए लगभग 100 लाख रुपए की राशि का निवेश किया गया है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास	स्वचालन पद्धति
(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ	उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है।
(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित - वित्तीय वर्ष की शुरुआत से माना जाता है)	
क. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	शून्य
ख. आयात का वर्ष	लागू नहीं
ग. क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई है	लागू नहीं
घ. यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके कारण	लागू नहीं
(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय	शून्य

अनुलग्नक II

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार)

सेवा में,
सभी सदस्य

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन

एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड

पी ओ धनेश शेख लेइन, नज़ीरगंज

हावडा - 711109, पश्चिम बंगाल

हम, एसबीजेएस व एसोसियेट्स, कंपनी सचिव, ने हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीआईएन : U35900WB2017GOI223197) (बाद में 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई थी कि हमें निगमित आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन करने और उसपर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी द्वारा बनाए रखे कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अधिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्याओं और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं :

हमने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए विवरणी और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है।

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निम्नलिखित पर अन्य कानून विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं ;

- विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम ;
- औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम और नियम ;
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और तहत बनाए गए विनियम और उप नियम ;
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम ;
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम;
- कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस1) और आम बैठकों (एसएस 2) से संबंधित सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त सूचितानुसार अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानूनों के संबंध में हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों पर विश्वास प्रकट किया है और रिपोर्टिंग उस सीमा तक सीमित है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत् गठन किया गया है। कंपनी के सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सचिवीय मानकों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया, कार्यसूची और कार्यसूची के विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले और कुछ मामलों में अल्पकालीन सूचना पर भेजे गए थे और बैठक के पहले कार्यसूची पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण की मांग और प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में एक सार्थक भागीदारी हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड के सभी निर्णय सर्वसम्मत थे और इसे कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज और रिकॉर्ड किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारे सत्यापन की सीमा तक, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

1. निदेशक मंडल ने दिनांक 05 अगस्त 2021 को हुई अपनी बैठक में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 31,00,00,000/- (इकतीस करोड़ रुपए मात्र)

रुपए की राशि के लिए असुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र की पेशकश, इश्यू करने और आर्बिट्र करने का प्रस्ताव पारित किया था।

2. कंपनी ने 3,10,000 (तीन लाख दस हजार) असुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर 1000/- रुपए (हज़ार रुपए मात्र) पर आर्बिट्र किए थे, जो कुल मिलाकर 31,00,00,000/- (इकतीस करोड़ रुपए मात्र) थे, जो दिनांक 03 सितंबर 2021 को निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित कोई उदाहरण नहीं थे :

- शेयरों/ऋणपत्र/ स्वेट इक्विटी का सार्वजनिक/अधिमान निर्गम इश्यू।
- प्रतिभूतियों का मोचन/वापसी खरीदी।
- विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण, आदि।
- विदेशी तकनीकी सहयोग।

इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढा जाना है जो 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते एसईपी एवं एसोसियेट्स

कंपनी सचिव

जयन के

साझेदार

एफसीएस : 8154

सीपी सं. 7363

पीआर 648/2019

यूडीआईएन: F008154D000262276

कोची

मई 03, 2022

सेवा में ,

सभी सदस्य

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड

पी ओ धनेश शेख लेइन, नज़ीरगंज

हावडा - 711109, पश्चिम बंगाल

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाना है।

- 1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
- 2) लेखापरीक्षा के दौरान, हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
- 3) कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया गया है।
- 4) जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- 5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंध की जिम्मेदारी है। हमारी जांच प्रक्रियाओं के सत्यापन और जांच के आधार पर अनुपालन तक सीमित थी।
- 6) अनुपालन पर एक राय बनाते समय और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय, हमने दिनांक 31 मार्च 2021 के बाद लेकिन रिपोर्ट जारी होने से पहले कंपनी द्वारा की गई अनुपालन संबंधी कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखा है।
- 7) हमने स्वतंत्र कानूनी/पेशेवर राय के आधार पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाइयों को कानून के अनुपालन के रूप में माना है, जहां कई व्याख्याओं की गुंजाइश थी।

कृते एसईपी एवं एसोसियेट्स

कंपनी सचिव

जयन के

साझेदार

एफसीएस : 8154

सीपी सं. 7363

पीआर 648/2019

यूडीआईएन: F008154D000262276

कोची

मई 03, 2022

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

दूरदेशी विवरण

1. इस प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा कंपनी के उद्देश्यों, उम्मीदों या भविष्यवाणियों का वर्णन करने वाले कंपनी के संचालन के परिणाम लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अर्थ के अंतर्गत आगे बढ़ सकते हैं। दूरदेशी विवरण भविष्य की घटनाओं की कुछ धारणाओं और उम्मीदों पर आधारित है। कंपनी गारंटी नहीं दे सकती है कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सटीक हैं या वास्तविक हो जाएंगी। कंपनी किसी भी आगामी विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर इस दूरदेशी को लोकव्यापी रूप से संशोधित, परिवर्तन करने, पुनरीक्षित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम विवरण में व्यक्त किए गए परिणाम से असल में भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं उनमें नौसेना प्लेटफार्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी विनियमों में परिवर्तन, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं। वित्तीय विवरणों को लेखाकरण के संचित आधार पर और कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत तैयार किया जाता है और अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया जाता है। हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('एचसीएसएल' या 'कंपनी') के प्रबंधन ने समझदार और उचित आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमानों और निर्णयों का उपयोग किया है ताकि वित्तीय विवरण वर्ष के मामलों की स्थिति पर सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हो जाएं।
2. हमारी वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम पर चर्चाओं को हमारे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल इन विवरणों की टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो या संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, यहाँ तक कि 'हम', 'हमारी', 'कंपनी', 'हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड', 'एचसीएसएल', 'ग्रुप' में सभी संदर्भ हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और इसकी नियंत्रक कंपनी हैं।

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. 20वीं सदी के अंत में मालवाहक पोत निर्माण उद्योग में पूर्वी एशियाई देशों के प्रमुख खिलाड़ी बनने के बाद, यूरोपीय उद्योगों ने यात्री जहाजों में विशेषज्ञता हासिल करना शुरू कर दिया। कोविड-19 के अभूतपूर्व प्रसार ने यथास्थिति को बाधित कर दिया। हालांकि, हाल ही में, कोविड-19 की

वसूली के साथ, यद्यपि यात्री जहाज की मांग अभी भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन पूर्वी एशियाई जहाज उत्पादकों को मालवाहक जहाजों की मांग में तेज़ वृद्धि को पूरा करने में परेशानी हो रही है।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग

4. भारतीय पोत निर्माण उद्योग देश में कोविड-19 के प्रसार के कारण गिरावट के बाद ठीक हो गया है। हालांकि, यह महसूस किया गया है कि भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं ने अपने आर्थिक विकास, बाज़ार की मांग और मानव संसाधन क्षमता के साथ तालमेल नहीं रखा है। भारत सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके और मेक इन इंडिया उत्पादन के लिए पोत निर्माण उद्योगों को प्रोत्साहित करके अंतर्देशीय और अपतटीय सहित सभी जल तरीकों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी पहल की है। इस उद्योग को अभी अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होना है और आकार और क्षमता की कमी से सीमित है। हालांकि, कई बाधाओं के बावजूद, पोत निर्माण उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है और यह इस बात पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है कि यह कैसे आकार लेनेवाला है।

अंतर्देशीय जलमार्गों में भारत सरकार (जीओआई) का पहल

5. भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग हैं जिनमें नदियां, नहरें, बैकवाटर, खाडियां आदि शामिल हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा ईंधन-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल मोड में सालाना लगभग 55 मिलियन टन कार्गो पहले ही ले जाया जा रहा है। सरकार देश में परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिसके लिए उन्होंने देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को नामित किया है। इन जलमार्गों को परिचालन/नौवहन योग्य और परिवहन के लिए प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। इस संबंध में प्रमुख पहल राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर नौवहन की क्षमता वृद्धि के लिए जल मार्ग विकास परियोजना है, जिसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता और निवेश सहायता के साथ 5,369.18 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।
6. भारत सरकार की इस पहल ने एचसीएसएल को विशेष रूप से अंतर्देशीय जल जहाजों जैसे रो-रो वेसल्स, रो-पैक्स वेसल्स, ड्रेजर, मल्टीपर्पज और मिनी बल्क कैरियर्स, इनलैंड क्रूज़ वेसल्स, एलपीजी कैरियर्स आदि के लिए तात्कालिक डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रोत्साहित किया है।

पोत मरम्मत उद्योग

7. पोत की मरम्मत को आमतौर पर विश्व स्तर पर और साथ ही घरेलू स्तर पर एक सदाबहार उद्योग के रूप में माना जाता है। पोत एक अस्थायी संरचना होने के कारण समुद्री यात्राओं के दौरान और पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग संचालन के दौरान भी सुचारू और सुरक्षित कामकाज के लिए उपकरण और मशीनरी के नियमित निरीक्षण और रखरखाव की आवश्यकता होती है। पोतों को आमतौर पर अनुसूचित आवधिक मरम्मत द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसके लिए वर्गीकरण सोसाइटी और अन्य वैधानिक निकायों ने आवधिक सर्वेक्षण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं जैसे : हर पांच साल में विशेष हल और मशीनरी सर्वेक्षण, ढाई साल में ड्राई-डॉकिंग और हर साल हल और मशीनरी वार्षिक सर्वेक्षण। अतः पोत की मरम्मत यार्ड में आम तौर पर व्यवसाय का निरंतर और लगातार प्रवाह होता है जो पोत की मरम्मत राजस्व सृजन को पोत निर्माण या नौवहन के विपरीत अधिक अनुमानित बनाता है, जो अक्सर बाज़ार की ताकतों और चक्रीय परिवर्तन के दबाव और प्रभाव के लिए प्रवण होता है।

प्रचालन

8. एक आगामी पोत निर्माण और पोत मरम्मत यार्ड के रूप में, एचसीएसएल ने आईडब्ल्यूआई के दो जहाजों और आईडब्ल्यूटी असम के चार जहाजों की सख्त समय सीमा में प्रमुख मरम्मत करके और उन्हें ग्राहक को सर्वोत्तम संतुष्टि प्रदान करके पोत मरम्मत बाज़ार का दोहन किया है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एचसीएसएल को सीएसएल के सीएसएल-कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) के लिए बॉक्स कैसॉन गेट के डिज़ाइन, खरीद, निर्माण, स्थापना और परीक्षण का आदेश मिला है। इसके अलावा, अंतर्देशीय जलमार्ग खंड में केंद्रित एचसीएसएल ने पांडु, असम, गुवाहटी में एक नई पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए आईडब्ल्यूआई के साथ एक समझौता किया है। प्रस्तावित पोत मरम्मत सुविधा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी जहाजों को बिना किसी कीमती समय की हानि के, हर छोटी-मोटी मरम्मत के लिए कोलकाता की यात्रा करने के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।
9. 'एचसीएसएल के नए यार्ड निर्माण' से संबंधित सभी परियोजना कार्य पूरे हो चुके हैं और यार्ड उत्पादन के लिए तैयार है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में, सभी सिविल, मेकानिकल और इलेक्ट्रिकल संबंधित कार्यों के लिए 99% की प्रत्यक्ष प्रगति प्राप्त की जाती है। 50 टन क्रैन के निर्माण में देरी के कारण रुके हुए सभी प्रमुख कार्यों को सडक और सडक पेंटिंग के अलावा पूरा कर लिया गया है जो पूरा होने के अंतिम चरण में है। वर्तमान में, 50 टन क्रैन सहित सभी क्रैन को तीसरे पार्टी अभिकरणों द्वारा चालू किया जाता है। आईआरएस द्वारा आईएमएस प्रमाणन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

10. इसके अलावा, सभी सिविल संरचनाओं को सौंपने और लेने और सभी मशीनरी/उपकरण और क्रैन को चालू करने का काम पूरा हो गया है। 50 टन क्रैन के निर्माण में देरी के कारण, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के कुछ काम रुके हुए थे क्योंकि क्रैन ने या तो आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया था या सिल्वे के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं :

- क. अग्निशमन प्रणाली : स्लिपवे क्षेत्र में चरण I और II के बीच प्रणाली की अंतः योजनीयता पूरी हो गई है। अग्निशमन विभाग से वैधानिक स्वीकृति का कार्य प्रगति पर है।
 - ख. गैस प्रणाली : स्लिपवे क्षेत्र में चरण I और II के बीच गैस प्रणाली की अंतः योजनीयता पूरी हो गई है। पीईएसओ से वैधानिक मंजूरी का काम चल रहा है।
 - ग. विंच एंड क्रैडल : विंच प्रणाली चालू होने के लिए तैयार है, हालांकि क्रैडल लॉकिंग तंत्र पर काम प्रगति पर है। इसके बाद, विंच और क्रैडल प्रणाली को चालू किया जाना है। प्रणाली लॉक गेट के चालू होने के बाद स्थापित किया जाएगा।
 - घ. विद्युत प्रणाली : सभी बाहरी प्रणालियों के लिए संयोजकता पूर्ण हो गई है।
 - ङ. सिविल कार्य : सिल्वे क्षेत्र में फर्श और सडक से संबंधित सभी सिविल संबंधी कार्य और सिल्वे के दोनों ओर खाई की सफाई 50 टन क्रैन के निर्माण के बाद पूरी कर ली गई है। अंतिम बिटुमेरी परत लंबित है।
11. कंपनी ने अभी तक अपना प्रचालन शुरू नहीं किया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 283.61 लाख रुपए (315.70 लाख रुपए गत वर्ष) के नुकसान की सूचना दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक किया गया कुल पूंजीगत व्यय 1,386.80 लाख रुपए (गत वर्ष तक 12,211.97 लाख रुपए) था।

प्रस्तावित लाभांश

12. कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि कंपनी परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और इसमें विभाज्य लाभ नहीं है।

सेगमेंट वार/ उत्पाद वार निष्पादन

13. कंपनी परियोजना चरण में है और इसके प्रचालन शुरू नहीं किया है।

शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरा (स्वोट)

14. संगठन ने बाहरी और आंतरिक मुद्दों को निर्धारित किया है जो इसके उद्देश्य और इसकी रणनीतिक दिशा के लिए प्रासंगिक है और जो इसकी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के इच्छित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए, एचसीएसएल ने, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के संबंध में, अपनी ताकत, कमजोरियों, अवसर और खतरों का विश्लेषण किया है।

शक्तियां	- प्रबंधन की मजबूत प्रतिबद्धता ; - मूल संगठन के पोत निर्माण में लंबा अनुभव ; - आधुनिक तकनीक का उपयोग ; - मानक के अनुसार कचरे का निपटान ; - मोहल्ले से कोई शिकायत नहीं ; - उत्पादन के लिए एक अच्छी तरह से योग्य टीम हो ; - उच्च क्षमतावाले उपकरण ; तथा - स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान।
कमजोरी	- विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ नया प्रतिष्ठान ; - आदेशों की अनिश्चित अंतर्वाह; तथा - बकाया भुगतान ;
अवसर	- जहाजों की घरेलू मांग पैदा करने की दिशा में भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल ; तथा - अच्छी डिज़ाइन सुविधाओं के साथ नए उत्पाद विकास।
खतरा	- बाज़ार में बड़े खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा; - श्रम की बढ़ती लागत; - प्राकृतिक आपदा ; तथा - लंबी आदेश प्राप्ति प्रक्रिया।

जोखिम और चिंताएं

15. भारतीय पोत निर्माण उद्योग में हाल के दिनों में बड़ी संख्या में नए भवन निर्माण के आदेश के कारण एक बड़ा अवसर है, चाहे वह व्यापारिक समुद्री या भारतीय नौसेना के लिए हो। सुपुर्दगी अनुसूची उस गति से नहीं बढ़ा है जैसे नए भवन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे। सुपुर्दगी में देरी का एक प्रमुख कारण स्थानीय और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से उपकरण और मशीनरी के आने में देरी होना है। विलंबित सुपुर्दगी का अन्य प्रमुख कारण यह है कि शिपयार्डों ने मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ आसानी से निष्पादित किए जा सकनेवाले आदेश की तुलना में अधिक आदेश लिए, जो प्राप्त किए गए आदेश के साथ मेल खाने में विफल रहे। देरी के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों में सरकार/तीसरे पक्ष से मंजूरी, स्थानीय विरोध/श्रम मुद्दे और खराब योजना शामिल हैं।

16. इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, एचसीएसएल भारत में उभरते अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय नौवहन क्षेत्र में एक अच्छे अवसर की उम्मीद करता है। इसलिए यह अंतर्देशीय जलमार्ग खंड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नज़ीरगंज में अपेक्षित बुनियादी ढांचा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। कंपनी का इरादा पेशेवर परियोजना प्रबंधन, विक्रेता आधार विकास सहित संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र विकास कार्यक्रम,

उपकरण, मशीनरी, संयंत्र आदि पर आवश्यक वारंटी लगाने और अपनी संपत्ति पर बीमा कवर सुनिश्चित करने के माध्यम से उक्त जोखिमों को कम करना है।

आंतरिक नियंत्रण

17. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ियों को रोकने और पहचानने, लेखाकरण रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरणों की समय पर तैयारी और प्रस्तुति के जरिए कंपनी के व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

18. कंपनी ने कुशल ऊर्जा संरक्षण और यार्ड के अंदर सर्विस ब्लॉक के शीर्ष पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में 30 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु स्वचालित पावर फैक्टर नियंत्रण तंत्र को अपनाया है।

बेहतर कामकाज के लिए हर संभव स्वचालन पद्धति को अपनाया गया है। कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई खर्च नहीं किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

19. चूँकि कंपनी परियोजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है और अभी तक अपना प्रचालन शुरू नहीं किया है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। संगठन के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलुओं की दिशा में यथासमय प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे।

सचेतक विवरण

20. इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्य, प्रत्याशा, अभिधारणा अथवा भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए विवरण लागू कानून

विनियमों के आशय के अंदर अग्रवर्ती विवरण हो जाएं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या विवक्षित उन परिणामों से वास्तव भिन्न हो सकता है। मांग/ पूर्ति, देशी और अंतर्देशीय बाजार में मूल्य स्थितियों, सरकारी नीतियों और विनिमय, संविधियों पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक स्थितियां एवं अन्य आनुषंगिक घटकों शामिल है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष

कोच्ची

मई 03, 2022

डीआईएन :: 07376798

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी का दर्शन

1. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल/ कंपनी) का मानना है कि अच्छा निगमित शासन प्रभावी और दूरदर्शी प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है जो कंपनी की दीर्घकालिक सफलता प्रदान कर सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, एचसीएसएल पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और हितधारक वचनबद्धता के माध्यम से अच्छे शासन प्रथाओं के लिए प्रयास करता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 जुलाई 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी को निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी जाती है। फिर भी, कंपनी ने डीपीई द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग के लिए जारी निगमित शासन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन में निगमित शासन पर रिपोर्ट तैयार की है।

निदेशक मंडल

2. कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में गठित किया गया है और संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार, बोर्ड में 11 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। एचडीपीईएल को निदेशकों की ऐसी संख्या नामित करने का अधिकार होगा, जैसा कि कंपनी में अपने

4. दिनांक 31 मार्च 2022 को, कंपनी के बोर्ड में छह गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। कंपनी को एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष है। दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड का संयोजन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या	निदेशकता की श्रेणी
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष
2.	श्री एन वी सुरेशबाबु*	07482491	गैर-कार्यकारी निदेशक
3.	श्री बिजोय भास्कर*	08103825	गैर-कार्यकारी निदेशक
4.	श्री जोस वी जे	08444440	गैर-कार्यकारी निदेशक
5.	श्री श्रीजित के नारायणन**	09543968	गैर-कार्यकारी निदेशक
6.	श्रीमती अंजना के आर	09545253	गैर-कार्यकारी निदेशक
7.	श्री चंद्र मणि रावत	06935852	गैर-कार्यकारी निदेशक

*श्री एन सुरेश बाबु (डीआईएन : 07482491) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी में निदेशक (प्रचालन) के पद से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति पर मई 01, 2021 से निदेशक नहीं रहे।

* श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन : 08103825), जिनके निदेशक के रूप में कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए जिम्मेदार था और पात्र होने के कारण 15 सितंबर 2021 को आयोजित चौथी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था।

** श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन: 09543968), मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत), सीएसएल और श्रीमती अंजना के आर (डीआईएन : 09545253), महाप्रबंधक (डिज़ाइन), सीएसएल को 26 मार्च 2022 से तीन साल की अवधि के लिए एचसीएसएल के निदेशक मंडल में सीएसएल के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो सीएसएल में उनकी सेवा के साथ-साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के रूप में है।

शेयरधारिता के अनुपात में, कम से कम दो के अधीन, जब तक कंपनी में एचडीपीईएल का शेयरधारिता कम से कम 10% पर रखा जाता है। सीएसएल को शेष निदेशकों को कम से कम 3 निदेशकों के अधीन नामित करने का अधिकार होगा, जिन्हें सीएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सीएसएल की तरफ से नियुक्ति के लिए नामित किया जाएगा।

3. हालांकि, 'हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के परिसमापन और पुनर्गठन के प्रस्ताव' के भाग के रूप में, केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दिनांक अक्टूबर 03, 2019 को अंकित मूल्य पर एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए कंपनी के शेयरों को सीएसएल द्वारा प्रत्यक्ष क्रय हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है। उक्त अनुमोदन के अनुसार, एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए 57,20,000 एचसीएसएल शेयरों को दिनांक नवंबर 01, 2019 को सीएसएल को अंतरित किया गया था और उक्त तिथि से प्रभावी होकर एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई। उपरोक्त की दृष्टि में और कंपनी के मौजूदा संस्था के अंतर्नियम के अनुसार और सीएसएल की सहायक कंपनियों के शासन ढांचे के पुनर्गठन पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, सीएसएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को एचसीएसएल के बोर्ड में नियुक्ति के लिए सीएसएल के पूर्णकालिक निदेशकों और महाप्रबंधक के पद से नीचे के अधिकारियों को नामित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

5. निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटीकरण: शून्य

6. निदेशकों जो दिनांक 31 मार्च 2022 को कंपनी के बोर्ड में हैं, उनके प्रोफाइल, निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति सहित, वार्षिक रिपोर्ट के प्रथम भाग में दिया है। इन निदेशकों द्वारा संभाले गए निदेशक पद और समिति के पदों संबंधी विवरण नीचे 'निदेशक पद और समिति के पद' शीर्षस्थ के तहत प्रदान किया है।

बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चार बोर्ड बैठक आयोजित की गई। किसी भी दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतर एक सौ बीस दिन से कम है। एचसीएसएल की 04 वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक सितंबर 15, 2021 को आयोजित की गई थी। उक्त बोर्ड बैठकों, आसाधारण आम बैठक और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक				ईजीएम	एजीएम
	2021			2022	मई 27,	सितंबर 15,
	मई 27	अगस्त 05	नवंबर 08	फरवरी 03	2021	2021
श्री मधु एस नायर	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*
श्री बिजोय भास्कर	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
श्री जोस वी जे	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
श्री चंद्र मणि रावत	×	✓*	×	✓*	×	✓*

* श्रव्य दृश्य माध्यमों से भाग लिया।

निदेशकता और समिति स्थिति

8. दिनांक मार्च 31, 2022 को हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सहित निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता/ अध्यक्षता की कुल संख्या और समितियों पर सदस्यता/ अध्यक्षता की स्थिति नीचे दी गई है:-

निदेशक का नाम	अन्य निदेशकता की संख्या		बोर्ड समितियां	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
श्री मधु एस नायर	3	-	-	-
श्री बिजोय भास्कर	-	3	-	1
श्री जोस वी जे	-	3	-	1
श्री चंद्र मणि रावत	-	1	-	-
श्री श्रीजित के नारायणन	-	1	-	-
श्रीमती अंजना के आर	-	1	-	-

• उपरोक्त सूचितानुसार, निदेशकों द्वारा संभाले गए निदेशक पद में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनियों में वैकल्पिक निदेशक के पद और निदेशक पद शामिल नहीं होता है।

• सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और सरकारी कंपनियों की केवल लेखा परीक्षा समितियों और हितधारक संबंध समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

बोर्ड समितियां

9. कंपनी परिचालन शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और जनशक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 जुलाई 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी को निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी जाती है।

10. कंपनी ने एक प्रतिभूति प्रस्ताव, आबंटन और अंतरण समिति का गठन किया है। इस रिपोर्ट की तिथि तक, समिति का गठन और वित्त वर्ष 2021-22 में सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष	3
2.	श्री एन वी सुरेशबाबु*	07482491	सदस्य	लागू नहीं
3.	श्री जोस वी जे	08444440	सदस्य	3

* श्री एन वी सुरेश बाबु 01 मई 2021 से निदेशक नहीं रहे।

11. समिति की तीन बैठक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मई 07, 2021, अगस्त 25, 2021 और सितंबर 03, 2021 को आयोजित की गई। सभी सदस्य बैठक में उपस्थित थे।

आम सभा बैठक

12. पिछले तीन वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि, समय और स्थान निम्नानुसार है :

वर्ष	तिथि एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित किया है
2020-21	सितंबर 15, 2021	सीएसएल बोर्ड रूम, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015	जी नहीं।
2019-20	अगस्त 04, 2020 11.00 बजे	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015	जी नहीं।
2018-19	जुलाई 12, 2019 10.00 बजे	दि ललित ग्रेट ईस्टर्न कोलकाता, 1,2,3 ऑल्लड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, दलहाउसी स्क्वायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700069	जी नहीं।

13. इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एक आसाधारण आम बैठक भी आयोजित की है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

तिथि एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित किया है
मई 27, 2021	इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए	जी हां *

* कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को बदलने के लिए विशेष संकल्प।

14. कंपनी की पांचवीं वार्षिक आम बैठक सितंबर 19, 2022 को 11.00 बजे, सीएसएल बोर्ड कक्ष, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015 में आयोजित करने हेतु अनुसूचित है।

अन्य प्रकटीकरण

(i) संबंधित पार्टी लेन - देन

15. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं थे, जो कि कंपनी के हित से बड़े पैमाने पर संघर्ष थे या हो सकता है।

(ii) कंपनी द्वारा गैर अनुपालन

16. कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के कोई मामला नहीं थे। पिछले तीन सालों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/ बाध्यता नहीं लगाया गया है।

(iii) मुखबिर नीति

17. कंपनी की एक प्रभावी मुखबिर नीति है जो हितधारकों को अवैध या अनैतिक प्रथाओं के उदाहरण, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति का उल्लंघन

प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी द्वारा अपनाई गई मुखबिर नीति और धोखाधड़ी रोकथाम नीति कंपनी पर लागू होती है और हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की मुखबिर नीति /सतर्क तंत्र के रूप में कार्य करती है। उक्त नीति को सीएसएल की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है और इसे https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 पर देखा जा सकता है। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान किसी भी कार्मिक को सीएसएल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है।

(iv) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन

18. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 जुलाई 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी को निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी जाती है।

(v) केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों और वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों में भी उनके अनुपालन का विवरण

19. कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में, जहां भी लागू हो, केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों का अनुपालन कर रही है।

(vi) खाता बहियों में लिखे गए व्यय के मदों जो व्यापार के प्रयोजनों के लिए नहीं है

शून्य

(vii) किए गए व्यय जो वैयक्तिक प्रकृति का है और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं

शून्य

(viii) वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्यय का 47.86% पिछले वर्ष 60.27% था। वर्ष 2021-22 में वित्तीय खर्च कुल व्यय का 13.29% (पिछले वर्ष 16.86%) था।

(ix) परिणामों के संचार साधन

20. कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी प्रचालन शुरू करने के लिए तैयार है। चूंकि कंपनी के शेयरों को किसी भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं है, तिमाही/ छमाही/ वार्षिक

परिणामों को प्रकाशित करने के लिए कोई सांविधिक आवश्यकता नहीं है। हालांकि, सीएसएल के समेकित वित्तीय परिणाम (तिमाही/अर्धवार्षिक /वार्षिक) जो कंपनी के वित्तीय परिणामों को भी ध्यान में रखते हैं, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों को सीएसएल के वेबसाइट www.cochinshipyard.in में उपलब्ध है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.hooghlyclsl.com पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(x) लेखापरीक्षा शर्त

21. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक, मेसर्स राड्स व कं. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं है।

(xi) बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

22. वर्तमान में कंपनी सालिक्या और नजीरगंज इकाइयों में संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी और श्रमशक्ति स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यथासमय बोर्ड के सदस्यों को व्यवसाय की सफलता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

पत्राचार के लिए पता:

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन,
एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड,
पी ओ धनेश शेख लेइन, नजीरगंज,
हावडा, पश्चिम बंगाल - 711 109
दूरभाष : +91 (33) 26888282
ई-मेल : secretary.hcsl@cochinshipyard.in

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

मधु एस नायर

कोच्ची

मई 03, 2022

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('कंपनी') के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक का तुलन पत्र एवं लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों का नोट जिसमें प्रमुख लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है (बाद में 'स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण' के रूप में जाना जाता है)।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यक तरीके से प्रदान करती है और संशोधितानुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पद्धित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक और दिनांक 31, 2022 तक कंपनी के मामलों पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि, इक्विटी में परिवर्तन और अपने नकद प्रवाह के अनुरूप में एक सही और निष्पक्ष राय देती है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों (एस ए एस) के अनुसार स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा का संचालन किया। हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा हेतु उचित नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखा परीक्षा सार

मुख्य लेखा परीक्षा सार वे बातें हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय बनाने में पूरी तरह से संबंधित किया गया था, आगे हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पर अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के साथ वस्तुतः असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में एक महत्वपूर्ण गलती है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप में कंपनी के इन स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की तैयारी जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और रोकड प्रवाह के सही और निष्पक्ष राय देता है,

के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव उचित लेखाकरण नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव जो वित्तीय विवरणों को एक सच्चे और निष्पक्ष राय देती है और यदि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे थे, भी शामिल है। एक चालू व्यवसाय को बनाए रखने में प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, जैसा लागू है, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है लेकिन किया जाए।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रतिक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं या नहीं, और एक लेखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी किया जाए, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूदा वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उसे वस्तुगत माना जाएगा यदि, वस्तुगत रूप से या कुल रूप में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने हेतु यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेहवाद बनाए रखता है। हम यह भी करते हैं कि :

- स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के वास्तविक गलती के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली वास्तविक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणाम स्वरूप होनेवाले से ज्यादा है, क्योंकि धोखाधड़ी में कपट संधि, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी करना आदि शामिल हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण के लिए प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू मामले के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो, हमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में संबंधी प्रकटीकरण में हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो, हमारी राय को संशोधित करना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक से इस तिथि तक प्राप्त की गई लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। फिर भी, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना, समाप्त होने में परिणत हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं तो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम, अन्य मामलों से संबंधित शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा जांच-परिणाम, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हम पहचान किए गए आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित है, के संबंध में संवाद करते हैं।

हम, शासन के साथ प्रभारित उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हम स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है, और सभी संबंध और अन्य मामले के संबंध में उन्हें संसूचित किया है, जो हमारी स्वतंत्रता को संभालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को भी उचित माना जा सकता है।

शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम, उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम, अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों की आशंका होगी।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षितानुसार, हम आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर 'अनुलग्नक क' में एकबयान देते हैं।
- कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में जारी निर्देशों पर 'अनुलग्नक ख' में रिपोर्ट देते हैं।
- अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।
 - हमारी राय में, लेखा बहियों की जांच करने से मालूम होता है कि

कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखी गई है।

- इस रिपोर्ट द्वारा बताए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और रोकड प्रवाह का विवरण लेखा बहियों के अनुसार है।
- हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के अनुपालन करता है।
- दिनांक 31 मार्च 2021 की तिथि पर निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए लिखित प्रस्तावों के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त करने से निदेशकों में से कोई भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक ग' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित है : हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।
- कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :
 - कंपनी के पास कोई लिखित मुकदमा नहीं है जो कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
 - कंपनी के पास व्युत्पन्न ठेके सहित कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं थे जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण प्रत्याशा योग्य हानियां थी।

iii. कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थों' सहित) को या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) में कोई धनराशि उन्नत या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के निधि से) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ('अंतिम लाभार्थी') उधार देगा या निवेश करेगा या प्रधान लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पाटियां) सहित कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधिकरण पार्टी (प्रधान लाभार्थी) द्वारा या उसकी

ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या प्रधान लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

कृते राड्स व कं.

सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन: 320298ई

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार
सदस्यता सं.: 067872

स्थान : कोलकाता
दिनांक : मई 03, 2022

यूडीआईएन : 22067872AJCGIM4848

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(सम तारीख की हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(i) (क) (अ) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(आ) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई प्रत्यक्ष विसंगतियों की पहचान नहीं की गई है।

(ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास तुलन पत्र की तिथि के अनुसार भूमि और भवनों की कोई तालुका अचल परिसंपत्ति नहीं है। भूमि और भवन की अचल संपत्तियों के संबंध में जो पट्टे पर ली गई हैं और स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में अचल संपत्ति के रूप में प्रकट की गई हैं, पट्टे समझौते कंपनी के नाम पर हैं।

(घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) (क) कंपनी के पास कोई प्रत्यक्ष माल नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार

आदेश के खंड 3 (ii)(ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षा या स्थायी गारंटी प्रदान नहीं की है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण प्रदान करने के नियम और शर्तें कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कंपनी ने निवेश नहीं किया है, गारंटी प्रदान नहीं की है, सुरक्षा प्रदान नहीं की है और कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

(ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल संस्थाओं को कोई ऋण नहीं दिया है।

(घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को दिए गए ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम की कोई राशि नहीं है जो नब्बे दिनों से अधिक समय से अतिदेय हैं।

(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी भी अन्य पार्टियों को दिए गए ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं था जो वर्ष के दौरान देय हो गया था, जो एक ही पक्ष को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नए ऋण दिए गए हैं।

(च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, या तो मांग पर चुकाया जा सकता है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को भुगतान की कोई शर्तें या अर्वाधि निर्दिष्ट किए बिना। तदनुसार आदेश के खंड 3 (iii)(च) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iv) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा दिए गए कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं है जिनपर अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू हैं और तदनुसार, आदेश के

- खंड 3 (iv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (v) कंपनी ने न तो जनता से कोई जमा स्वीकार किया है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लागू सीमा तक जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (v) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (vi) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के लिए और जैसा कि समझाया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है।
- (vii)(क) वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य लागू सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक बकाया सामान्यतः नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा किए गए हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, लागू वैधानिक देय राशि के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि वर्ष के अंत में, देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
- (ख) माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर, माल और सेवा कर और अन्य वैधानिक देय राशियों का कोई बकाया नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।
- (viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 161 के तहत वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आय का समर्पण या खुलासा नहीं किया है, कोई भी लेनदेन, जो पहले खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (ix) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारों या डिबेंचर धारकों के किसी भी देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।
- (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण बकाया नहीं था, इसलिए आदेश के खंड (ix)(ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस टिप्पणी नहीं की गई है।
- (घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- (ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी के दायित्वों को पूरा करने या पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है। इसलिए, आदेश के खंड (ix)(घ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (च) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड (ix)(च) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई तरजीही आबंटन या निजी प्लेसमेंट/पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x)(ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेरों का कोई तरजीही आबंटन या निजी प्लेसमेंट/पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x)(ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई प्रत्यक्ष धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या वर्ष के दौरान रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (ख) साल के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट लागत लेखा परीक्षक या सचिवीय लेखापरीक्षक या हमारे द्वारा केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में दर्ज नहीं की गई है।
- (ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें दर्शाया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर नीति शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii) हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xii)(क) (ख) और (ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन के लिए और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण को स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक है।
- (xiv)(क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- (ख) हमने लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए कंपनी की अब तक जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट विचार किया है।
- (xv) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।
- (xvi)(क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1ए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड (xvi)(क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।
- (ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) के निदेशों में परिभाषित समूह में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है।
- (xvii) कंपनी को वर्ष के दौरान 342.85 लाख रुपए की हानि हुई है और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 374.93 लाख रुपए की हानि हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xviii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (xix) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और नोट 37 में वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए वित्तीय अनुपातों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियां, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के संबंध में हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई भी प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि के अनुसार अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जब कभी वे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि कंपनी सभी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होंगी।
- (xx)(क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में, ऐसी कोई अव्ययित राशि नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम (अधिनियम) की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
- (ख) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (6) के प्रावधान के अनुसार एक विशेष खाते में अंतरित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx)(ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते राहुस व कं.

सनदी लेखाकार

एफ.आर.एन: 320298ई

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

स्थान : कोलकाता

दिनांक : मई 03, 2022

सदस्यता सं.: 067872

यूडीआईएन : 22067872AJCGIM4848

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

(सम तिथि की हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित)

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेशों पर रिपोर्ट

कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम यहां अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत करते हैं :

क. कंपनी के लेखा रिकॉर्ड सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में रखा जाता है। जैसे, प्रणाली के बाहर लेनदेन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, और इसलिए इस संबंध में कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।

ख. वर्ष के दौरान मौजूदा ऋणों को सीमित करने या ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि को छूट-पत्र देने/बट्टे खाते में डालने का कोई उदाहरण नहीं है।

ग. कंपनी को किसी विशिष्ट योजना के तहत कोई विशिष्ट निधि प्राप्त नहीं हुई है और ऐसे में उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

	कृते राहुस व कं.
	सनदी लेखाकार
	एफआरएन: 320298ई
	धीरज कुमार अग्रवाल
	साझेदार
स्थान : कोलकाता	सदस्यता सं.: 067872
दिनांक : मई 03, 2022	यूडीआईएन : 22067872AJCGIM4848

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

(सम तिथि की हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैरा 3 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ दिनांक 31 मार्च 2022 तक हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में लागू सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों और आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ('दशानिर्देश नोट')के पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा आयोजित की।

मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए प्रक्रिया हैं। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है। (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधडी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शतों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड़ जाएगा।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

कृते राड्स व कं.

सनदी लेखाकार
एफआरएन: 320298ई

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

स्थान : कोलकाता
दिनांक : मई 03, 2022

सदस्यता सं.: 067872
यूडीआईएन : 22067872AJCGIM4848

दि. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सामविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। दिनांक 03 मई 2022 के उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट उनके द्वारा करने के बारे में बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक के लिए और उनके पक्ष में

(सुपर्णा देब)

लेखापरीक्षा महानिदेशक (कोयला)
कोलकाता

कोलकाता
जून 02, 2022

दिनांक 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र

ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(₹ लाखों में)			
परिसंपत्तियां			
(1) अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	2	14,537.12	11.59
(ख) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	3	579.12	589.47
(ग) अगोचर परिसंपत्तियां	4	550.06	559.77
(घ) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	5	1,386.80	12,211.97
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां:			
(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	0.36	0.34
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)	7	253.34	154.48
(छ) आय कर परिसंपत्तियां (निवल)	8	22.60	51.06
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	44.81	47.66
		17,374.21	13,626.34
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्तियां	10	49.96	-
(ii) रोकड व रोकड तुल्यांक	11	3,193.70	3,621.57
(iii) रोकड व रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष	12	109.07	105.61
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	13	3.82	6.09
(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	1,142.28	773.96
		4,498.83	4,507.23
कुल परिसंपत्तियां		21,873.04	18,133.57
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	5,000.00	5,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	16	(1,018.33)	(734.72)
		3,981.67	4,265.28
देयताएं :			
(1) गैर चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
(क) उधार	17	13,100.00	10,000.00
(ii) पट्टा देयताएं	18	621.08	607.34
(ख) प्रावधान	19	9.09	-
		13,730.17	10,607.34
(2) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) पट्टा देयताएं	20	43.08	42.03
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	21	2,671.09	564.32
(ख) अन्य चालू देयताएं	22	32.90	34.27
(ग) प्रावधान	23	1,414.13	2,620.33
		4,161.20	3,260.95
कुल इक्विटी और देयताएं		21,873.04	18,133.57
वित्तीय विवरणों के भाग वाले टिप्पणियाँ	1-39		

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते राड्स व कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 320298E)

मधु एस नायर
अध्यक्ष
(डीआईएन 07376798)

जोस वी जे
निदेशक
(डीआईएन 08444440)

शेखर चक्रवर्ती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

धीरज कुमार अग्रवाल
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 067872)
कोलकाता, मई 03, 2022

सैबल चट्टोपाध्याय
मुख्य वित्तीय अधिकारी
कोच्ची, मई 03, 2022

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का विवरण

ब्यौरा	टिप्पणी सं.	दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)			
I आय			
प्रचालन से राजस्व	24	41.78	-
अन्य आय	25	3.38	40.77
कुल आय		45.16	40.77
II व्यय:			
उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	26	17.08	-
कर्मचारी लाभ व्यय	27	66.90	25.28
वित्तीय लागत	28	56.82	75.57
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	29	39.62	32.61
अन्य व्यय	30	247.21	314.85
कुल व्यय		427.63	448.31
III कर पूर्व लाभ/(हानि)		(382.47)	(407.54)
IV कर व्यय:			
(1) चालू कर		-	-
(2) आस्थगित कर	7	(98.86)	(91.84)
V वर्ष का लाभ/(हानि)		(283.61)	(315.70)
VI अन्य व्यापक आय/(हानि)			
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		-	-
VII वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		(283.61)	(315.70)
VIII प्रत्येक 10 रुपए के प्रति इक्विटी शेयर आय:			
(1) मूल (₹)	31	(0.57)	(0.95)
(2) डायल्यूटड (₹)	31	(0.57)	(0.95)
IX वित्तीय विवरणों के भाग वाले टिप्पणियाँ	1-39		

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते राड्स व कं

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 320298E)

मधु एस नायर

अध्यक्ष

(डीआईएन 07376798)

जोस वी जे

निदेशक

(डीआईएन 08444440)

शेखर चक्रवर्ती

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

(सदस्यता संख्या. 067872)

कोलकाता, मई 03, 2022

सैबल चट्टोपाध्याय

मुख्य वित्तीय अधिकारी

कोच्ची, मई 03, 2022

किरण के ए

कंपनी सचिव

स.सं. A36050

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह विवरण

ब्यौरा	दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	(382.47)	(407.54)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	39.62	32.61
वित्तीय लागत	56.82	75.57
ब्याज आय	(0.90)	(26.10)
प्रतिभूति जमे का निर्मोचन	(0.03)	(0.03)
अग्रिम पट्टा किराए का परिशोधन	0.66	0.66
गैर चालू/ चालू संपत्तियों और परिसंपत्तियों में बदलाव से पूर्व परिचालन लाभ	(286.30)	(324.83)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-		
व्यापार प्राप्य और अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	(418.28)	(251.66)
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	2.18	208.72
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	1,659.71	236.81
प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(1,197.11)	2,122.75
प्रचालन से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) नकदी	(239.80)	1,991.79
प्रदत्त आयकर	28.46	(6.54)
परिचालन गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद	(211.34)	1,985.25
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(31.59)	(0.07)
सीडब्ल्यूआईपी में निवेश	(2,956.62)	(8,570.42)
प्राप्त ब्याज	3.17	26.78
(निवेश) / मियादी जमे का प्रतिदान	(3.46)	(5.61)
निवेशों गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद	(2,988.50)	(8,549.32)
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
पट्टा देयताओं का भुगतान	(42.03)	(44.84)
अधिकार शेयर जारी करने से आय	-	2,800.00
ऋणपत्र जारी करने से आय	3,100.00	-
वरीयता शेयर जारी करने से आय	-	5,600.00
अल्पावधि ऋण प्राप्त करने से आय	-	1,000.00
अल्पावधि ऋण का पुनर्भुगतान	-	(1,000.00)
प्रदत्त ब्याज	(286.00)	-
वित्तीय गतिविधियों से/ (में प्रयुक्त) निवल रोकड	2,771.97	8,355.16
रोकड और रोकड तुल्यांक में निवल बढ़ोती/ (घटाव)	(427.87)	1,791.09
प्रारंभिक नकदी और नकदी समकक्ष	3,621.57	1,830.48
अंत नकदी और नकदी समकक्ष (नोट 11 देखें)	3,193.70	3,621.57
वित्तीय विवरणों के भाग वाले टिप्पणियाँ 1-39		

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते राड्स व कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 320298E)

मधु एस नायर
अध्यक्ष
(डीआईएन 07376798)

जोस वी जे
निदेशक
(डीआईएन 08444440)

शेखर चक्रवर्ती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

धीरज कुमार अग्रवाल
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 067872)
कोलकाता, मई 03, 2022

सैबल चट्टोपाध्याय
मुख्य वित्तीय अधिकारी
कोच्ची, मई 03, 2022

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

1 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को शेष
5,000.00	-	-	-	5,000.00
(₹ लाखों में)				
1 अप्रैल, 2020 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान परिवर्तन	31 मार्च, 2021 को शेष
2,200.00	-	-	2,800.00	5,000.00

ब्यौरा	प्रतिधारित आय	कुल
01 अप्रैल, 2021 को शेष	(734.72)	(734.72)
लेखा नीति में परिवर्तन / पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	(734.72)	(734.72)
वर्ष के कुल व्यापक आय	(283.61)	(283.61)
लाभांश	-	-
प्रतिधारित आय में अंतरण	-	-
31 मार्च 2022 को शेष	(1,018.33)	(1,018.33)

ब्यौरा	प्रतिधारित आय	कुल
01 अप्रैल 2020 को शेष	(419.02)	(419.02)
लेखा नीति में परिवर्तन / पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	(419.02)	(419.02)
वर्ष के कुल व्यापक आय	(315.70)	(315.70)
लाभांश	-	-
प्रतिधारित आय में अंतरण	-	-
31 मार्च 2021 को शेष	(734.72)	(734.72)

ग. वित्तीय विवरणों के भाग वाले टिप्पणियाँ

1-39

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते राड्स व कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 320298E)

मधु एस नायर
अध्यक्ष
(डीआईएन 07376798)

जोस वी जे
निदेशक
(डीआईएन 08444440)

शेखर चक्रवर्ती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

धीरज कुमार अग्रवाल
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 067872)
कोलकाता, मई 03, 2022

सैबल चट्टोपाध्याय
मुख्य वित्तीय अधिकारी
कोच्ची, मई 03, 2022

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ पढ़ी गई कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप में तैयार किया गया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, होल्डिंग कंपनी, मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड ए एस के रूप में उल्लिखित) को दिनांक 01 अप्रैल 2016 के प्रभाव से स्वीकार किया है। कंपनी एचसीएसएल ने विवरणों अपने वित्तीय विवरणों को अपने होल्डिंग कंपनी मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जिसको इसके इक्विटी शेयर पूंजी के निर्णायक बहुमत है, के लिए लागू अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप में तैयार किया है।

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार तैयार किए जाते हैं, कुछ वस्तुओं को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्यों पर मापा जाता है, जैसा कि लेखांकन नीतियों में बताया गया है।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं, कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों के अपवाद सहित जिन्हें भारतीय लेखा मानक द्वारा उचित मूल्य पर ले जाने की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

इंड ए एस के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता है। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। अगर संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन

की अवधि में और भविष्य की अवधियों में यदि संशोधन दोनों वर्तमान या भविष्य अवधियों को प्रभावित करता है, आकलन संशोधित जिस अवधि, में लेखाकरण आकलनों के लिए संशोधन मान्य किया जाता है।

प्रचालन आवर्तन

कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय लेखा मानक 1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रचालन की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद एवं नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच के समय के आधार पर किया गया है।

1.3 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता औप बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण के लिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यहास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और संपत्तियों का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। इसके अलावा, इस संबंध में आस्थगित कर पर टिप्पणी सं. 1.16 का उल्लेख किया जा सकता है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ा से भिन्न हो सकता है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

व्यापार की सामान्य अवधि से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कंपनी पर भविष्य देयताएं देने की क्षमता है जिससे भविष्य में संसाधनों के बहिर्वाह में परिणत होता है। इन परिस्थितियों में उस कंपनी के खिलाफ दावे भी शामिल हैं जो इससे विवादित हैं। ऐसी देयताओं और उसके मात्रा के क्रिस्टलीकरण कुछ घटनाओं के परिणाम पर निर्भर करता है, अर्थात् मुकदमों में निर्णय जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इन देयताओं को वित्तीय विवरणों में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन परिस्थितियां जो उत्पन्न होती है, को नोट के भाग के रूप में प्रकट किया है।

अग्रिम / प्राप्य की पुनर्प्राप्ति

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्तियों की पुनर्प्राप्ति के मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान करती है। संदिग्ध ऋणों की पहचान के लिए निर्णय का उपयोग और अनुमान की आवश्यकता होती है। जहाँ उम्मीद मूल अनुमान से अलग है, इस तरह अंतर से व्यापार और अन्य प्राप्तियों के मूल्य पर असर पड़ेगा और संदिग्ध ऋणों के लिए खाते के लिए प्रावधान पर खर्च उस अवधि में होगा, जिसमें इस तरह के अनुमानों को बदल दिया गया है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि में, अपेक्षित लाइफ के परे अवलोकन किए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राप्ति और अग्रिमों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि का मूल्यांकन करता है।

उचित मूल्य माप

वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है) और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करते हैं। इसमें विकासशील अनुमानों और मान्यताओं को शामिल किया गया है जो कि बाजार सहभागियों द्वारा साधनों की कीमत के अनुरूप होगी। प्रबंधन जहां तक संभव हो, अवलोकन योग्य डेटा पर अपनी मान्यताओं को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर निष्पक्ष लेनदेन में प्राप्त किया जाएगा।

1.4 पट्टे

पट्टेदार के रूप में:

पट्टे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब कभी पट्टे की शर्तें वास्तव में पट्टेदार को स्वामित्व का सभी जोखिमों और पुरस्कार हस्तांतरित करते हैं। पट्टे जहाँ स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों के महत्वपूर्ण

भाग को पट्टेदार द्वारा प्रतिधारण किया जाता है, वर्तमान पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(i) पट्टे के लिए लेखांकन

संबंधित प्रासंगिक लेखा मानकों के अनुसार कंपनी ने पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पहचान की है जो विचार की विनिमय में समय की अवधि के लिए पट्टा करार शामिल ठेके में स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोगार्थ अधिकार के लिए परिसंपत्ति धारक को व्यक्त करता है।

(ii) उपयोग अधिकार और पट्टा देयता की पहचान

पहचानित परिसंपत्ति के लिए उपयोग अधिकार और पट्टे की अवधि के लिए समतुल्य पट्टा देयता को पट्टे की शुरुआत में पहचाना जाता है और तुलनपत्र में प्रकट किया जाता है। उपयोग अधिकार को लागत पर और पट्टा देयता को पट्टा भुगतान जो प्रारंभिक मान्यता तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टा देयता का वर्तमान मूल्य को लागू अनुसार पट्टे में निहित ब्याज दर या वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है। ऐसे पट्टे लेखांकन उन मामलों में लागू नहीं किए जाते हैं जहां पट्टा अवधि 12 महीने से कम अवधि की होती है या जिसके लिए अंतर्निहित मूल्य कम होता है।

प्राप्त उपयोग अधिकार को आगामी अवधि में कम लागत के संचित परिशोधन और हानि पर पुनः मापन किया जाएगा। पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज दर रीति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर तदनंदर पुनः मापित किया जाएगा।

एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे आय पट्टे करार के आधार पर पहचाना जाता है और स्टैंडअलॉन लाभ और हानि विवरण में प्रभाषित किया जाता है।

1.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है। पी पी ई निः शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते हैं, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभाषित किया है।

1.6 प्रगतिशील पूंजी कार्य

प्रगतिशील पूंजी कार्य संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

1.7 मूल्यहास

मूल्यहास की गणना संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की लागत पर उनके अनुमानित अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर की जाती है और इसे लाभ एवं हानि के स्टैंडअलॉन विवरण के लिए प्रभाषित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची II में निर्धारितानुसार उपयोगी काल के आधार पर एक सीधी रेखा पद्धति पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और प्रारंभ में मान्यताप्राप्त किसी महत्वपूर्ण भाग जो निपटान पर अमान्य किया जाता है या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। परिसंपत्ति के अमान्य पर उत्पन्न कोई लाभ/हानि को जब परिसंपत्ति अमान्य किए जाने पर स्टैंडअलॉन लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है। अभी भी प्रयुक्त पूर्ण मूल्यहास की गई परिसंपत्तियों को अवशेष मूल्य पर स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में बरकरार रखा गया है।

मूल्यहास पद्धति, उपयोगी लाइफ और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है और यदि उचित हो, तो, प्रत्याशित प्रभाव से समायोजित की जाती है।

विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए मूल्यहास की गणना के लिए कार्यकाल निम्नानुसार हैं :

संपत्ति वर्ग	कार्यकाल
विद्युत प्रतिष्ठानों सहित भवन	3-60 वर्ष
संयंत्र व मशीनरी	15 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष
कार्यालय उपस्कर	5 वर्ष
सॉफ्टवेयर सहित डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3 वर्ष
सडक	10 वर्ष
बाड	5 वर्ष

उपयोगी जीवन प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया गया है और तकनीकी अप्रचपलन एवं संपत्ति के वास्तविक उपयोग को प्रतिबिंबित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II द्वारा निर्धारित सीमा तक अनुमानित उपयोगी जीवन के अनुरूप है। अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है।

मूल्यहास की गणना अवधि के दौरान खरीदी/बेची गई संपत्ति के लिए आनुपातिक आधार पर की जाती है।

1.8 अगोचर परिसंपत्ति

भूमि और अन्य सुविधा के उपयोग के अधिकार प्राप्त करने के लिए अग्रिम शुल्क और अन्य प्रतिफलों को अगोचर संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है और उस अवधि के दौरान सीधी लाइन पद्धति के आधार पर अमूर्त किया गया है जिसके लिए अधिकार प्राप्त किया जाता है, जिस तारीख से अधिकार का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है।

1.9 वित्तीय साधन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्यता तब दी जाती है जब इकाई, साधन के अनुबंध प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या जारी के लिए जिम्मेदार होती है (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय) को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के प्रारंभिक मान्यता पर मापी गई उचित मूल्य से जोड़ या घटा दी जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

रोकड व रोकड तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने के लिए खरीदी की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर पद्धति उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

1.10 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियाँ स्पष्ट नहीं किया है जब तक आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभाव्य नहीं है।

1.11 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य है। राजस्व को मान्यता दी जाती है जब कंपनी जहाज़ की मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों के संबंध में प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माप के आधार पर आउटपुट पद्धति का उपयोग करके समय की अवधि में ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों (बैंकों में जमा राशि सहित) पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके आनुपातिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

1.12 कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ देनदारियां जैसे वेतन, मज़दूरी और बोनस आदि जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से निपटाने की

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

उम्मीद है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान करनेवाले कर्मचारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में मान्यता दी जाती है और देनदारियों का निपटान होने पर भुगतान की जानेवाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है।

रोज़गार पश्चात लाभ योजनाएं

निर्धारित योगदान योजनाएं

कंपनी उपयुक्त सरकारी प्राधिकारियों को भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करती है। एक बार योगदान का भुगतान करने के बाद कंपनी के पास कोई और भुगतान दायित्व नहीं है। योगदान को निर्धारित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है और योगदान को कर्मचारी लाभ व्यय रूप में मान्यता दी जाती है जब कोई कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी की निर्धारित लाभ योजनाओं में अनुदान शामिल है। अनुदान के प्रति कंपनी का दायित्व है, पात्र कर्मचारियों को शामिल करनेवाली एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना। योजना में निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोज़गार के दौरान मृत्यु या रोज़गार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोज़गार की अवधि के आधार पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है। पांच साल की सेवा पूरी होने पर निहित अवधि होती है। निर्धारित लाभ उपदान योजना के संबंध में स्टैंड अलॉन तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। निर्धारित लाभ दायित्व की गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकक द्वारा की जाती है।

निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाज़ार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना निर्धारित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष के लिए छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत और अन्य लागतें लाभ और हानि के स्टैंडअलॉन विवरण में कर्मचारी लागतों में शामिल हैं।

अनुभव समायोजन और बीमांकक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाले पुनर्माप लाभ और हानि को ओसीआई के माध्यम से बनाए रखा आय के लिए संबंधित डेबिट या क्रेडिट के साथ स्टैंडअलॉन तुलन पत्र में तुरंत मान्यता दी जाती है, जिसमें घटित होते हैं। आगामी अवधियों में पुनर्माप

को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है। निपटान या कटौती के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछले सेवा लागत के रूप में लाभ और हानि के स्टैंडअलॉन विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

मुआवज़ा अनुपस्थिति

मुआवज़े की अनुपस्थिति की संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व भविष्य में तय किए जानेवाले लाभ की राशि है, जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए लाभ में छूट दी जाती है। दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है। पुनर्माप को लाभ और हानि के स्टैंडअलॉन विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

1.13 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार सामान्य और विशिष्ट उधार लेने की लागत (निधि के अस्थायी नियोजन पर अर्जित निवल आय) को जब ऐसी परिसंपत्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है, तिथि तक ऐसी परिसंपत्तियों के लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक परिसंपत्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने हेतु आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेता है। अन्य सभी उधार लागत, उस अवधि में जिसमें खर्च हुआ है, को लाभ/हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.14 पूर्व अवधि समायोजन

कंपनी के वित्तीय मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव होनेवाली त्रुटियों के कारण पूर्वावधि समायोजन को प्रस्तुत पूर्वावधि में हुई त्रुटि या यदि प्रस्तुत पूर्व वित्तीय अवधि के पहले हुई त्रुटि हो, में पुनः बयान करते हुए, वित्तीय स्थिति में खुला विवरण का पुनः बयान करते हुए पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है।

1.15 आय पर कर

कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। यह लाभ और हानि के स्टैंडअलॉन विवरण में मान्यता प्राप्त है, सिवाय इसके कि यह

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है।

चालू कर

वर्तमान कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य अपेक्षित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर कोई समायोजन शामिल है। वर्तमान कर की राशि आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद भुगतान या प्राप्त होने की उम्मीद की गई कर राशि का सबसे अच्छा अनुमान दर्शाती है। इसे प्रासंगिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों को केवल तभी समायोजित किया जा सकता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और इसका उद्देश्य परिसंपत्ति का एहसास करना और शुद्ध आधार पर देयता का निपटान करना है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जानेवाली संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जो संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उनका उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है, और उन्हें इस हद तक पहचाना/घटाया जाता है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की क्रमशः संभावना/संभाव्यता नहीं रह जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की संभावना को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि पर लागू होने की अपेक्षा की जाती है जब परिसंपत्ति का एहसास होता है या देयता

का निपटान किया जाता है, जो उन कानूनों के आधार पर होता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि तक लागू किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिस तरह से कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा करती है।

आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों केवल तभी समायोजित होती हैं जब मौजूदा कर देनदारियों और समान कर अधिकारियों द्वारा लगाए गए परिसंपत्तियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो।

1.16 प्रति शेयर आय

इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोग्य निवल लाभ को इक्विटी शेयरों भारित औसत संख्या/ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया डायल्यूटड संभावित इक्विटी शेयरों जैसी स्थिति हो, से विभाजित करके प्रति शेयर की मूल और तनुकृत आय की गणना की जाती है।

1.17 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड और रोकड तुल्यांक में बैंकों में और हाथ में रोकड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

2.1 गोचर संपत्ति

विवरण	सकल खंड		मूल्यहास		निवल खंड			
	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
भवन : अस्थायी संरचनाएं	26.81	-	-	26.81	19.57	-	25.47	7.24
कार्यालय भवन*	-	1,146.41	-	1,146.41	-	0.24	0.24	-
कारखाना भवन*	-	7,740.13	-	7,740.13	-	3.19	3.19	-
संयंत्र व मशीनरी	1.90	3,950.60	-	3,952.50	0.18	3.42	3.60	1.72
फर्नीचर और फिक्सचर	0.28	42.95	-	43.23	0.08	0.08	0.16	0.20
कार्यालय उपकरण	0.17	33.55	-	33.72	0.05	0.24	0.29	0.12
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	7.72	10.91	-	18.63	5.76	3.70	9.46	1.96
सडक*	-	309.77	-	309.77	-	0.38	0.38	-
बाड	-	452.91	-	452.91	-	1.12	1.12	-
विद्युत स्थापना- कार्यालय भवन	-	106.84	-	106.84	-	0.02	0.02	-
विद्युत स्थापना- कारखाना भवन	-	721.93	-	721.93	-	0.30	0.30	-
मोटर वाहन	-	29.09	-	29.09	-	0.80	0.80	-
कुल	36.88	14,545.09	-	14,581.97	25.64	19.39	45.03	11.24
पिछले वर्ष	36.81	0.07	-	36.88	14.54	11.10	25.64	11.24

2.2 अगोचर संपत्ति

विवरण	सकल खंड		मूल्यहास		निवल खंड			
	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सॉफ्टवेयर	0.53	-	-	0.53	0.18	0.17	0.35	0.35
कुल	0.53	-	-	0.53	0.18	0.17	0.35	0.35
पिछले वर्ष	0.53	-	-	0.53	0.01	0.17	0.18	0.35

* कार्यालय भवन, कारखाना भवन और सडकों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है, क्योंकि भूमि भारत सरकार के नाम पर है जिसे 59 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया था और कंपनी ने उस पर अवल संपत्तियों का निर्माण किया था।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 3 : उपयोग का अधिकार- परिसंपत्ति

विवरण	सकल खंड		मूल्यहास		निवल खंड			
	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (5.31 एकड़)	128.36	-	-	128.36	4.36	2.18	6.54	124.00
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (10.45 एकड़)	248.86	-	-	248.86	7.40	4.24	11.64	241.46
उपयोग का अधिकार- सालकिया में पट्टा भूमि (9.91 एकड़)	228.91	-	-	228.91	4.90	3.93	8.83	224.01
कुल	606.13	-	-	606.13	16.66	10.35	27.01	589.47
पिछले वर्ष	377.22	228.91	-	606.13	5.34	11.32	16.66	589.47

नोट 4 : अगोचर संपत्ति (पट्टे वाली भूमि का मूल्य)

विवरण	सकल खंड		परिशोधन		निवल खंड			
	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (5.31 एकड़)	118.94	-	-	118.94	4.20	1.98	6.18	114.74
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में पट्टा भूमि (10.45 एकड़)	234.07	-	-	234.07	6.94	3.97	10.91	227.13
उपयोग का अधिकार- सालकिया में पट्टा भूमि (9.91 एकड़)	221.99	-	-	221.99	4.09	3.76	7.85	217.90
कुल	575.00	-	-	575.00	15.23	9.71	24.94	559.77
पिछले वर्ष	353.01	221.99	-	575.00	5.20	10.03	15.23	559.77

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021
परियोजना प्रबंधन शुल्क और विविध पूंजीगत व्यय	1,386.80	12,211.97
कुल	1,386.80	12,211.97

दिनांक 31 मार्च 2022 को सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन अनुसूची निम्नानुसार हैं :

(₹ लाखों में)

परियोजना प्रक्रिया में	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्षों से अधिक	
अग्निशमन कार्य	46.18	130.05	68.22	-	244.45
गैस पाइपिंग कार्य	14.72	94.23	20.26	-	129.21
ईएलवी कार्य	12.03	59.35	-	-	71.38
विच व विच प्रणाली	13.19	320.23	-	-	333.42
मौजूदा स्लिपवे का स्थान बदलना	18.63	22.51	-	-	41.14
पालना प्रणाली	196.73	234.61	-	-	431.34
10 टी कैपस्टन	26.01	4.82	-	-	30.83
कंप्रेसर व एयर ड्रायर	88.59	16.44	-	-	105.03
कुल	416.08	882.24	88.48	-	1,386.80

दिनांक 31 मार्च 2021 को सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन अनुसूची निम्नानुसार हैं :

सिविल कार्य	3,652.81	2,395.88	8.67	-	6,057.36
विद्युत कार्य	476.62	-	-	-	476.62
गैस पाइपिंग कार्य	74.00	20.26	-	-	94.26
अग्निशमन कार्य	91.78	68.22	-	-	160.00
ईएलवी कार्य	48.18	-	-	-	48.18
एचवीएसी कार्य	25.37	-	-	-	25.37
250 केवीए डी जी सेट	14.54	-	-	-	14.54
500 केवीए डी जी सेट	28.47	-	-	-	28.47
इलेक्ट्रॉनिक वेह बिड्ज	18.33	-	-	-	18.33
विच	268.03	-	-	-	268.03
प्लाजमा कटिंग मशीन	295.08	-	-	-	295.08
हाइड्रॉलिक प्रेस	179.90	-	-	-	179.90
लैथ मशीन	11.52	-	-	-	11.52
छोटी क्रेन	212.86	-	-	-	212.86
पाइप बेंडिंग मशीन	70.10	-	-	-	70.10
प्लेट संरक्षण प्रणाली	402.45	-	-	-	402.45
रेडियल ड्रिलिंग मशीन	13.45	-	-	-	13.45
वर्टिकल मिल्लिंग मशीन	15.45	-	-	-	15.45
टवर क्रेन	240.00	-	-	-	240.00
पालना प्रणाली	167.08	-	-	-	167.08
गैन्ट्री क्रेन	254.07	-	-	-	254.07
स्टोरेज टैंक	45.60	-	-	-	45.60
स्लिपवे व लॉक गेट	16.09	-	-	-	16.09

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 5 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य (जारी..)

(₹ लाखों में)

परियोजना प्रक्रिया में	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्षों से अधिक	
प्रमुख क्रेन	974.39	-	-	-	974.39
आर्क वेल्डिंग बूथ	6.99	-	-	-	6.99
गैस कटिंग बूथ	3.70	-	-	-	3.70
फराना क्रेन	16.50	-	-	-	16.50
पैलेट ट्रक	0.35	-	-	-	0.35
सिविल कार्य - मॉडल रूम	21.66	-	-	-	21.66
फर्नीचर	35.84	-	-	-	35.84
मूविंग व मैनुवल शीट	356.35	-	-	-	356.35
बैटरी ऑपरेटेड ट्रकटैंक	9.20	-	-	-	9.20
कैंटीन उपकरण	22.88	-	-	-	22.88
रैक प्रणाली	5.75	-	-	-	5.75
बोलार्ड व फेंडर	11.02	-	-	-	11.02
साइनेज बोर्ड	6.61	-	-	-	6.61
पैवर ब्लॉक	3.49	-	-	-	3.49
फोर्क लिफ्ट व स्टेकर	28.82	-	-	-	28.82
एंकर चैन	8.06	-	-	-	8.06
ओवरहेड्स कैपिटलाइज्ड	719.11	328.11	538.33	-	1,585.55
कुल	8,852.50	2,812.47	547.00	-	12,211.97

कंपनी ने अपनी नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से परियोजना के विस्तार के लिए की गई गतिविधियों के लिए अस्थायी विशेष नियुक्ति के आधार पर कर्मियों की सेवाओं का लाभ उठाया है। कंपनी 'कॉस्ट टू कंपनी' के आधार पर उपरोक्त कर्मियों पर किए गए खर्च का हिसाब देती है, जिसकी प्रतिपूर्ति सेवा प्रदाता को की जानी है। चूंकि ये लागते विशेष रूप से मौजूदा सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए हैं, इसलिए उन्हें कर्मचारी जनशक्ति लागत शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य-प्रगति में ले जाया जाता है, जिसे पूंजी परियोजना के पूरा होने पर पूंजीकृत किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाओं के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति से संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए 14,513.50 लाख रुपए की राशि अंतरित की है।

नोट 6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021
प्रतिभूति जमा	0.36	0.34
कुल	0.36	0.34

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित कर परिसंपत्ति	397.52	154.48
घटाइए: आस्थगित कर देयता	144.18	-
कुल	253.34	154.48

(₹ लाखों में)

आस्थगित कर संपत्तियों/ (देयताओं) शेषों में संचलन:

ब्योरा	निवल शेष 1 अप्रैल, 2021	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	निवल शेष 31 मार्च 2022
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व अगोचर संपत्ति	0.89	(145.06)	-	(144.18)
अनवशोषित मूल्यह्रास और हानियों को आगे ले जाना	153.59	241.59	-	395.19
कर्मचारी संबंधी प्रावधान और देनदारियाँ	-	2.33	-	2.33
कुल	154.48	98.86	-	253.34

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को समायोजित किया गया है जहां कंपनी के पास वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्तियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और जहां आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियाँ एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित हैं। आस्थगित कर आयकर आस्तियों की विश्वसनीयता का आकलन करने में, प्रबंधन इस बात पर विचार करता है कि क्या आस्थगित आयकर आस्तियों का कुछ हिस्सा या सभी आस्थगित कर की वसूली नहीं की जाएगी। आस्थगित आयकर आस्तियों की अंतिम प्राप्ति उस अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के सृजन पर निर्भर करती है जिसमें अस्थायी अंतर कटौती योग्य हो जाते हैं। प्रबंधन इस आकलन को करने में आस्थगित आयकर देनदारियों, अनुमानित भविष्य की कर योग्य आय और कर नियोजन रणनीतियों के अनुसूचित उत्क्रमण पर विचार करता है। भविष्य में कर योग्य आय के अनुमानों के आधार पर, जिस अवधि में आस्थगित आयकर संपत्ति कटौति योग्य है, प्रबंधन का मानना है कि कंपनी उन कटौती योग्य अंतरों के लाभों का एहसास करेगी। वसूली योग्य मानी जानेवाली आस्थगित आयकर आस्तियों की राशि, हालांकि निकट अवधि में कम की जा सकती है, यदि आगे जाने की अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय का अनुमान कम कर दिया जाता है।

कंपनी द्वारा स्थापित यार्ड वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए तैयार है और सभी प्रमुख मशीनरी और अन्य सहायक सुविधाएं मार्च 2022 तक चालू कर दी गई हैं। इसे अपनी नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से कैसियन गेट के निर्माण का आदेश पहले मिल चुका है। इसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से पांडु, गुवाहती, असम में एक पोत मरम्मत यार्ड के निर्माण के लिए भी नामित किया गया है और कंपनी को उपरोक्त परियोजना के निष्पादन से अभिकरण कमीशन अर्जित करने की उम्मीद है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय योजना के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 से लाभ अर्जित करना शुरू करने की उम्मीद है। उसी के आधार कंपनी के प्रबंधन का मानना है कि यह आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अवशोषित करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ अर्जित करेगी।

नोट 8 : आयकर परिसंपत्ति (निवल)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अग्रिम आयकर (कराधान के प्रावधान का निवल)	22.60	51.06
कुल	22.60	51.06

(₹ लाखों में)

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 9 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा	7.72	9.91
अग्रिम पट्टा किराया	37.09	37.75
कुल	44.81	47.66

(₹ लाखों में)

नोट 10 : व्यापार प्राप्तियां

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अप्रतिभूति, अच्छा माना जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो		
व्यापार प्राप्तियां		
दूसरों से	49.96	-
कुल	49.96	-

(₹ लाखों में)

दिनांक 31 मार्च 2022 तक बकाया व्यापार प्राप्तियों के लिए परिपक्व निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य-अच्छा माना जाता है	-	49.96	-	-	-	-	49.96
निर्विवाद व्यापार प्राप्य-जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद व्यापार प्राप्य-ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-
विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	49.96	-	-	-	-	49.96

नोट 11 : रोकड और रोकड तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बैंक शेष		
- चालू खाते में*	1,775.44	7.31
- कम से कम तीन वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ अवधि जमा	1,418.26	3,614.26
कुल	3,193.70	3,621.57

* 1,775.44 लाख रुपए की राशि में से, 1,000 लाख पांडु परियोजना के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से प्रतिभूति जमे के रूप में प्राप्त राशि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे कंपनी द्वारा एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा और परियोजना के अंत में तय किया जाएगा। हालांकि, इस तरह की राशि के रखरखाव से अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, कंपनी की आय होगी और आईडब्ल्यूआई को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, सीएसएल द्वारा दिए गए कैसोन गेट और पांडु में आईडब्ल्यूआई परियोजना के लिए क्रमशः मार्च 2022 में 483.51 लाख और 239.40 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 12 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा अन्य बैंक शेष

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
3 महीने से अधिक और 12 महीने से कम मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा		109.07		105.61
कुल		109.07		105.61

नोट 13 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
स्थायी जमे पर उपार्जित ब्याज		3.82		6.09
कुल		3.82		6.09

नोट 14 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
अप्रतिभूत अग्रिम				
विविध जमाराशियां (अप्रयुक्त जीएसटी इनपुट क्रेडिट)		1,020.98		709.44
पूर्वदत्त व्यय		28.80		0.92
विविध चालू परिसंपत्तियां		92.50		63.60
कुल		1,142.28		773.96

नोट 15 : इक्विटी शेयर पूंजी

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	6,90,00,000	6,900	6,90,00,000	6,900
₹ 10/- प्रति वरीयता शेयर	5,60,00,000	5,600	5,60,00,000	5,600
कुल	12,50,00,000	12,500	12,50,00,000	12,500
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्ण रूप से प्रदत्त प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर				
रोकड के लिए	5,00,00,000	5,000	5,00,00,000	5,000
रोकड के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए	-	-	-	-
कुल	5,00,00,000	5,000.00	5,00,00,000	5,000.00

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 15 : इक्विटी शेयर पूंजी (जारी..)

15.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	5,00,00,000	5,000.00	2,20,00,000	2,200.00
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	2,80,00,000	2,800.00
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	5,00,00,000	5,000.00	5,00,00,000	5,000.00

इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध: कंपनी को ₹ 10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

15.2 होल्डिंग कंपनी द्वारा संभाले शेयरों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयर की संख्या	₹ लाखों में	शेयर की संख्या	₹ लाखों में
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 100% इक्विटी शेयर पूंजी का अधिकार	5,00,00,000	5,000.00	5,00,00,000	5,000.00
कुल	5,00,00,000	5,000.00	5,00,00,000	5,000.00

15.3 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100
कुल	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100

15.4 रोकड के अलावा प्रतिफल के लिए जारी शेयरों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-	-	-	-

इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न

कंपनी संयुक्त उद्यम शेयरधारक एचडीपीईएल द्वारा संभाले जा रहे 5.72 करोड़ रुपए के प्रत्येक 10 रुपए के 57,20,000 शेयरों के शेयर पूंजी के 26%, केन्द्रीय मंत्रीमंडल के अनुमोदन के अनुसार प्रमुख शेयरधारक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को अपने संपूर्ण शेयर अंतरित कर दिए हैं। परिणामस्वरूप, दिनांक 01 नवंबर 2019 से संपूर्ण शेयर पूंजी वर्तमान में कोचीन शिपयार्ड द्वारा संभालते हैं।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 15 : इक्विटी शेयर पूंजी (जारी..)

15.5 प्रमोटर्स की शेयरधारिता का विवरण

दिनांक 31 मार्च 2022 तक प्रमोटर्स के शेयर:

ब्योरा	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	5,00,00,000	100%	-

नोट 16: अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिधारित आय		
अधिशेष (लाभ और हानि के विवरण में संतुलन):		
पिछले वर्ष के खाते से शेष राशि को अग्रेषित किया गया	(734.72)	(419.02)
जोड़िए: वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(283.61)	(315.70)
शेष राशि अगले वर्ष के खाते में अग्रेषित किया गया	(1,018.33)	(734.72)

नोट 17 : गैर चालू उधार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अप्रतिभूत		
1. ऋण-पत्र		
4,40,000 संख्या (2021: 4,40,000 संख्या) 6.5% असुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र प्रत्येक ₹ 1,000/- रुपए का।*	4,400.00	4,400.00
3,10,000 संख्या (2021: 4,40,000 संख्या) 6.15% असुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र प्रत्येक ₹ 1,000/- रुपए का।**	3,100.00	-
2. संबंधित पार्टी से ऋण		
5,60,00,000 (2020: शून्य) 6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर प्रत्येक ₹10/ का।	5,600.00	5,600.00
कुल	13,100.00	10,000.00

टिप्पणी:

1) ऋण - पत्र

* कंपनी ने मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को वार्षिक रूप से देय 6.50% ब्याज दर के साथ, प्रत्येक 1000 रुपए के 440000, 6.5% प्रतिभूति रहित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी किया था। डिबेंचर दिनांक 16 सितंबर 2023 को ऋणमुक्ति के लिए देय है।

** दिनांक 03 सितंबर 2021 को कंपनी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 6.15% प्रतिवर्ष देय ब्याज दर के साथ 1000 रु. प्रत्येक के 3,10,000, 6.15% अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए थे। आबंटन की तारीख से 5 साल बाद मुक्त करने के विकल्प के साथ ऋणपत्र की अवधि 120 महीने है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 17 : गैर चालू उधार (जारी..)

2) संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर

वरीयता शेयर को भारतीय लेखा मानक 32 के अनुसार वित्तीय देयता के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये परिपक्वता पर एक निश्चित निर्धारित राशि हेतु प्रतिदेय होते हैं और लाभांश की निश्चित दर को वहन करते हैं।

(i) अधिमान शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध:

कंपनी के पास वरीयता शेयरों का एक वर्ग है अर्थात् 10/- रुपए प्रति शेयर के संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर (सीआरपी शेयर)।

(ii) होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित वरीयता शेयर

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
5,60,00,000 (2021: 5,60,00,000) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित 10/- रुपए के 6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर।	5,600.00	5,600.00
कुल	5,600.00	5,600.00

(iii) 5% से अधिक शेयर वाले वरीयता शेयरधारकों का विवरण

वरीयता शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	धारित अधिमान शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत	धारित अधिमान शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	5,600.00	100%	5,600.00	100%
कुल	5,600.00	100%	5,600.00	100%

(iv) अधिमान लाभांश को वित्त लागत के रूप में अर्जित किया गया है। हालांकि, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, वरीयता शेयरों को शेयर पूंजी के हिस्से के रूप में माना जाता है और अधिमान लाभांश की घोषणा से संबंधित अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। वरीयता शेयरों पर वित्त लागत को भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत पूंजीकृत किया गया है।

नोट 18: गैर वर्तमान पट्टा देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पट्टा दायित्व	664.16	649.37
घटाइए: पट्टा दायित्वों का वर्तमान भाग	43.08	42.03
कुल	621.08	607.34

कंपनी ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कुछ संपत्तियों को पट्टे पर लिया है। इसके अलावा, कंपनी ने लंबी अवधि की व्यवस्था में प्रवेश किया है जो पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है जिसके परिणामस्वरूप उपयोग की संपत्ति और पट्टे के दायित्वों की पहचान होती है। पट्टा दायित्व पट्टा अवधि में देय न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18: गैर वर्तमान पट्टा देयताएं (जारी..)

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं का संचालन:

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पट्टा प्रारंभ पट्टा देयताएं	649.37	389.74
पट्टा मान्यता प्राप्त नए पट्टा	-	228.91
माप और निकासी	-	-
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	56.82	75.58
पट्टा देयताओं का भुगतान	(42.03)	(44.86)
समाप्त पट्टा देयताएं	664.16	649.37

नोट 36 (ग) के तहत बिना छूट वाली पट्टा देनदारियों के परिपक्वता विश्लेषण का खुलासा किया गया है।

नोट 19: गैर- वर्तमान प्रावधान

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट 35 देखें):		
सेवानिवृत्ति लाभ	9.09	-
कुल	9.09	-

नोट 20: वर्तमान पट्टा देयताएं

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पट्टा दायित्व (नोट 18 देखें)	43.08	42.03
कुल	43.08	42.03

नोट 21: अन्य वित्तीय देयताएं

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रतिभूति और अन्य जमा	1,126.88	82.23
अर्जित ब्याज लेकिन डिबेंचर पर देय नहीं	263.27	153.58
वरीयता शेयरों पर लाभांश	392.15	56.15
ग्राहकों से अग्रिम	694.00	-
अन्य देय	194.79	272.36
कुल	2,671.09	564.32

नोट 22: अन्य चालू देयताएं

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सांविधिक बकाया	32.90	34.27
कुल	32.90	34.27

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 23: चालू प्रावधान

ब्योरा	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट 35 देखें) :		
बकाया	0.17	-
खर्च के लिए लेनदार		
व्यय/ आकस्मिकताएं	1,413.96	2,620.33
कुल	1,414.13	2,620.33

नोट 24 : प्रचालन से राजस्व

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
पोत मरम्मत से आय	41.78	-
कुल	41.78	-

नोट 25 : अन्य आय

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
प्राप्त किराया	-	2.07
बैंक जमे पर ब्याज	0.90	26.10
आयकर वापसी पर ब्याज	1.81	-
अन्यों से ब्याज	0.57	11.97
विविध आय	0.07	0.60
विविध आय को खोलना	0.03	0.03
कुल	3.38	40.77

नोट 26 : उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
पोत मरम्मत के लिए उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	17.08	-
कुल	17.08	-

नोट 27 : कर्मचारी लाभ व्यय

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी वेतन और भत्ता	56.41	19.20
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	7.15	1.61
कर्मचारी कल्याण व्यय	3.34	4.47
कुल	66.90	25.28

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 28 : वित्त प्रभार

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
पट्टा देयता पर वित्तीय प्रभार (5.31 एकड)	11.75	11.49
पट्टा देयता पर वित्तीय प्रभार (10.45 एकड)	23.13	22.61
पट्टा देयता पर वित्तीय प्रभार (9.91 एकड)	21.94	41.47
कुल	56.82	75.57

नोट 29 : मूल्यहास और परिशोधन व्यय

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	19.56	11.26
उपयोग अधिकार में कमी - पट्टा देयता (5.31 एकड)	2.18	2.18
उपयोग अधिकार में कमी - पट्टा देयता (10.45 एकड)	4.24	4.24
उपयोग अधिकार में कमी - पट्टा देयता (9.91 एकड)	3.93	4.90
अन्य अगोचर परिसंपत्तियों का परिशोधन	9.71	10.03
कुल	39.62	32.61

नोट 30 : अन्य व्यय

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
दर और कर	2.44	2.73
ऊर्जा	20.12	14.67
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सड़कें	6.16	8.74
संयंत्र और मशीनरी	-	-
अन्य	1.26	0.95
डॉक व घाट	8.23	12.18
यात्रा तथा सवारी खर्च	7.41	2.42
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	1.56	0.90
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	0.47	0.95
विज्ञापन और प्रचार	8.47	7.47
प्रदत्त पट्टा किराया	0.66	2.80
भाड़ा प्रभार	15.50	20.65
प्रतिभूति खर्च	150.17	147.13
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक		
- लेखापरीक्षा शुल्क	1.50	1.50
- सीमित समीक्षा	1.20	1.20
परामर्श	6.10	5.30
बैंक प्रभार	0.88	0.71
विविध खर्च	15.08	84.55
कुल	247.21	314.85

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 31 : प्रति इक्विटी शेयर आय

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
इक्विटी धारकों के कारण लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(284.00)	(315.70)
प्रति शेयर आय की गणना हेतु उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल और तनुकृत)	5,00,00,000	3,33,53,425
प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत) (₹)	(0.57)	(0.95)
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

नोट 32 आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

ब्योरा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
प्रतिबद्धता (अप्रदत्त सीमा तक)		
ठेके की अनुमानित राशि को पूंजी खाते में निष्पादित किया जाएगा और इसके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	521.57	1,389.12

नोट 33 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन अपने प्रचालन या निवल मूल्य में कोई लाभ नहीं है। इसलिए कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट 34 संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

क) संबंधी पार्टी का नाम और उनके संबंध

संबंधी पार्टी का नाम	संबंध
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	नियंत्रक कंपनी
टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड	नियंत्रक कंपनी के संगी सहायक
श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शेखर चक्रवर्ती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (22.12.2021 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राजेश गोपालकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (21.12.2021 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर, निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे, निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्रीजित के नारायणन, नामित निदेशक (26.03.2022 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती अंजना के आर, नामित निदेशक (26.03.2022 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेश बाबु एन वी, नामित निदेशक (30.04.2021 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री एस बालाजी अरुणकुमार, निदेशक (29.05.2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सेबल चटोपाध्याय, मुख्य वित्तीय अधिकारी (14.02.2022 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बालकृष्णन पुवत्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी (13.02.2022 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शिवु जॉण, मुख्य वित्तीय अधिकारी (15.10.2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री किरण के ए, कंपनी सचिव (16.10.2020 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अश्विन शर्मा एम, कंपनी सचिव (15.10.2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 34 संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी..)

ड) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण:

(₹ लाखों में)

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध का प्रकार	लेनदेन का प्रकार	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को बकाया राशि	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को बकाया राशि
(क) नियंत्रक कंपनी:					
	कर्मचारी श्रमशक्ति सेवाएं (कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड- नियंत्रक कंपनी द्वारा प्रदान)*	-	-	10.41	-
	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) को जारी किए गए प्रत्येक 1000 रूपए के अंकित मूल्य के 4,40,000 6.5% प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय डिबेंचर	-	4,400	-	4,400
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	परियोजना के सामने अग्रिम डिबेंचर पर ब्याज	571.12	87.12	-	-
	लिया गया सावधि ऋण	395.69	263.27	286.00	153.58
	वरीयता शेयरों पर ब्याज	-	-	1,000.00	-
	सावधि ऋण का पुनर्भुगतान	336.00	392.15	56.15	56.15
	सावधि ऋण पर ब्याज	-	-	1,000.00	-
		-	-	20.12	-

* नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को श्रमशक्ति लागत की प्रतिपूर्ति के संबंध में, इसे लागत के आधार पर हिसाब में लिया जाता है क्योंकि भुगतान किए गए जीएसटी को प्रायः निवेश साख के रूप में दावा किया जाता है।

नोट 35. (i) निर्धारित लाभ योजनाएं / दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति

योजनाओं का विवरण :

कंपनी ने अपने कर्मचारियों की अनुदान के लिए कोई निधिबद्ध योजना नहीं ली है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्र, व्यावसायिक रूप से योग्य बीमाकर्मियों की सलाह के अनुसार, निर्धारित किया जाता है, जिसे सेवा की प्रत्येक अवधि में कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को अभ्युदय देने के रूप में मान्यता प्राप्त है और अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा है। कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में शुद्ध निर्धारित लाभ लागत को मान्यता दी गई है।

जोखिम :

निर्धारित लाभ योजनाएं कंपनी को ब्याज दर जोखिम, वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम और जनसांख्यिकीय जोखिम के लिए उजागर करती हैं।

ब्याज दर जोखिम : निर्धारित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित बाजार प्रतिफल के आधार पर छूट दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। यील्ड में कमी से निधि की देनदारी बढ़ेगी और इसके विपरीत।

वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम : निर्धारित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के तहत प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। वेतन में वृद्धि से देनदारी बढ़ सकती है।

जनसांख्यिकीय जोखिम : यह मृत्यु दर, निकासी, दिव्यांगता और सेवानिवृत्ति सहित घटते क्रम की प्रकृति के कारण परिणामों की परिवर्तनशीलता का जोखिम है। निर्धारित लाभ दायित्व पर इन कमीओं पर प्रभाव सीधे आगे नहीं है और यह वेतन वृद्धि, छूट दर और निहित मानदंड के संयोजन पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक निकासी न करे क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक छोटे कैरियर कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ की लागत आमतौर पर लंबी सेवावाले कर्मचारी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35. (i) निर्धारित लाभ योजनाएं / दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
I नियोक्ता व्यय के घटक				
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त :				
1 वर्तमान सेवा लागत	3.56	5.70	-	-
2 पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
3 निवल ब्याज लागत	-	-	-	-
4 लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	3.56	5.70	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनः मापन				
5 योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/ छूट दर से कम	-	-	-	-
6 मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
7 अनुभव समायोजन का प्रभाव	-	-	-	-
8 अन्य व्यापक आय में शामिल कुल पुनः मापन	-	-	-	-
9 लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण (4+8) में मान्यता प्राप्त कुल निर्धारित लाभ लागत	3.56	5.70	-	-

वर्तमान सेवा लागत, पिछली सेवा लागत और अनुदान व्यय से संबंधित वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत को नोट 23 के तहत भविष्य और अन्य निधियों में योगदान और वेतन और मजदूरी में छुट्टी नकदीकरण में मान्यता दी गई। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्माप के अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
II तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति/(देयता)				
निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	3.56	5.70	-	-
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयताएं :				
- गैर चालू	0.03	0.14	-	-
- चालू	3.53	5.56	-	-

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35. (i) निर्धारित लाभ योजनाएं / दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
III. निर्धारित लाभ में परिवर्तन दायित्व (डीबीओ)				
1 वर्ष की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	-	-	-	-
2 वर्तमान सेवा लागत			-	-
3 पिछली सेवा लागत			-	-
4 निवल ब्याज लागत			-	-
5 पुनर्मापन लाभ/ (हानि):				
क. जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन का प्रभाव			-	-
ख. वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव			-	-
ग. परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन (ब्याज आय को छोड़कर)	-	-	-	-
घ. अनुभव समायोजन का प्रभाव			-	-
6 कटौती लागत / (क्रेडिट)			-	-
7 निपटान लागत / (क्रेडिट)			-	-
8 अधिग्रहण क्रेडिट / (लागत)			-	-
9 स्थानांतरण के प्रभाव में/ (बाहर)			-	-
10 लाभ प्रदत्त			-	-
11 वर्तमान अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(दायित्व)	3.56	5.70	-	-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
IV. अगले वर्ष के लिए नियोजकों के अपेक्षित योगदान का सर्वश्रेष्ठ अनुमान		
उपदान	3.56	-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
V. संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन				
1 वर्ष की शुरुआत में योजना संपत्ति	-	-	-	-
2 अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
3 योजना संपत्ति पर ब्याज आय	-	-	-	-
4 नियोजक योगदान	-	-	-	-
5 छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	-	-	-	-
6 लाभ प्रदत्त	-	-	-	-
7 वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35. (i) निर्धारित लाभ योजनाएं / दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
VI. बीमांकिक अनुमान				
1 प्रति वर्ष छूट दर		7.30%	-	-
2 वेतन में वृद्धि की दर		7.30%	-	-
3 मृत्यु दर	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	-	-
4. निकासी	0.70%	0.70%	-	-

VII. संवेदनशीलता विश्लेषण

अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होनेवाली संबंधित मान्यताओं के यथोचित संभावित परिवर्तन के आधार पर नीचे संवेदनशीलता विश्लेषण निर्धारित किया गया है। ये संवेदनशीलता अलग-अलग सूचीबद्ध मान्यताओं में से प्रत्येक में परिवर्तन के काल्पनिक प्रभाव को दर्शाती है। हालांकि, इनमें से प्रत्येक संवेदनशीलता अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखती है, व्यवहार में ऐसी धारणाएं अलगाव में शायद ही कभी बदलती हैं और परिसंपत्ति मूल्य परिवर्तन कुछ हद तक प्रभाव को समायोजित कर सकते हैं। संवेदनशीलता को प्रस्तुत करने के लिए, निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि ऊपर प्रस्तुत निर्धारित लाभ दायित्व की गणना में लागू होने के समान है। पिछले वर्ष से संवेदनशीलता विश्लेषण की तैयारी में उपयोग की जानेवाली विधियों और मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं आया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
क छूट दर	7.30%	7.30%		
छूट दर में 1% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(0.46)	(0.71)	-	-
प्रतिशत प्रभाव	-13.00%	-12.40%	-	-
छूट दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर	0.55	0.84	-	-
प्रतिशत प्रभाव	15.60%	14.80%	-	-
ख वेतन वृद्धि दर	3.00%	3.00%		
वेतन वृद्धि दर में 1% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	0.57	0.87	-	-
प्रतिशत प्रभाव	16.10%	15.30%	-	-
वेतन वृद्धि दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर	(0.49)	(0.74)	-	-
प्रतिशत प्रभाव	-13.70%	-13.00%	-	-

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 35. (i) निर्धारित लाभ योजनाएं / दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति (जारी..)

(₹ लाखों में)

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
वर्ष 1	0.03	0.14	-	-
वर्ष 2	0.00	0.19	-	-
वर्ष 3	0.00	0.24	-	-
वर्ष 4	0.00	0.29	-	-
वर्ष 5	0.00	0.35	-	-
अगले 5 वर्ष	0.01	2.81	-	-

(ii) नोट 25 में भविष्य और अन्य निधियों में योगदान के तहत निर्धारित योगदान योजनाओं की राशि को मान्यता दी गई है : ₹ 3.59 लाख (2021 ₹ 1.61 लाख रुपए.)

टिप्पणी 36. वित्तीय साधनों पर प्रकटीकरण

यह खंड कंपनी के लिए वित्तीय साधनों के महत्व की एक समीक्षा देता है और वित्तीय साधनों वाले तुलन पत्र मद पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है।

(क) वित्तीय साधनों की श्रेणियां

निम्नलिखित तालिका दिनांक 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रत्येक श्रेणी का वहन मूल्य और उचित मूल्य प्रस्तुत करती है:

दिनांक 31 मार्च 2022 को

(₹ लाखों में)

विवरण	परिशोधन लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	49.96	-	-	49.96	49.96
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	3,193.70	-	-	3,193.70	3,193.70
(iii)(i) के अलावा बैंक शेष	109.07	-	-	109.07	109.07
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.18	-	-	4.18	4.18
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	3,356.91	-	-	3,356.91	3,356.91
वित्तीय देयताएं					
उधार राशियां	13,100.00	-	-	13,100.00	13,100.00
पट्टा देयताएं	621.08	-	-	621.08	621.08
अन्य वित्तीय देयताएं	2,671.09	-	-	2,671.09	2,671.09
कुल वित्तीय देयताएं	16,392.17	-	-	16,392.17	16,392.17

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 36. वित्तीय साधनों पर प्रकटीकरण (जारी..)

दिनांक 31 मार्च 2021 को

(₹ लाखों में)

विवरण	परिशोधन लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	-	-	-	-	-
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	3,621.57	-	-	3,621.57	3,621.57
(iii) (i) के अलावा बैंक शेष	105.61	-	-	105.61	105.61
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6.43	-	-	6.43	6.43
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	3,733.61	-	-	3,733.61	3,733.61
वित्तीय देयताएं					
उधार राशियां	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00
पट्टा देयताएं	607.34	-	-	607.34	607.34
अन्य वित्तीय देयताएं	564.32	-	-	564.32	564.32
कुल वित्तीय देयताएं	11,171.66	-	-	11,171.66	11,171.66

ख) उचित मूल्य पदानुक्रम:

निम्न तालिका वित्तीय साधनों का विश्लेषण प्रदान करती है जिन्हें उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के बाद मापा जाता है, जिन्हें निम्नानुसार स्तर 1 और स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है।:

सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जिन्हें समान परिसंपत्तियां या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों (असमायोजित) के संदर्भ में मापा जाता है।

अवलोकन योग्य निविष्टियों सहित मूल्यांकन तकनीक (स्तर 2) : पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं शामिल हैं, जिन्हें स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य निविष्टियों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि संपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) अवलोकन योग्य हैं।

महत्वपूर्ण गैर अवलोकन योग्य निविष्टियों सहित मूल्यांकन तकनीक (स्तर 3): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं शामिल हैं जिन्हें उन निविष्टियों का उपयोग करके मापा जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (गैर अवलोकनीय निविष्टियाँ) पर आधारित नहीं होते हैं। उचित मूल्य का निर्धारण पूर्ण या आंशिक रूप से एक मूल्यांकन नमूने का उपयोग करके किया जाता है जो उन मान्यताओं के आधार पर होता है जो न तो एक ही उपकरण में अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित होती हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित होती हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च 2022 को				दिनांक 31 मार्च 2022 को			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां								
प्रतिभूति जमा	-	0.36	-	0.36	-	0.34	-	0.34
	-	.36	-	0.36	-	0.34	-	0.34
वित्तीय देयताएं								
उधार राशियां	-	13,100.00	-	13,100.00	-	10,000.00	-	10,000.00
पट्टा देयताएं	-	621.08	-	621.08	-	607.34	-	607.34
अन्य वित्तीय देयताएं	-	2,671.09	-	2,671.09	-	564.32	-	564.32
	-	16,392.17	-	16,392.17	-	11,171.66	-	11,171.66

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 36. वित्तीय साधनों पर प्रकटीकरण (जारी..)

- (i) उधार राशियों का उचित मूल्य जिसका सक्रिय बाजार में उद्धृत बाजार मूल्य होता है, उसके बाजार मूल्य पर आधारित है जिसे स्तर 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधार राशियों का उचित मूल्य, जिनका कोई सक्रिय बाजार नहीं है या जिन्हें उद्धृत नहीं किया गया है, उसका अनुमान समान परिपक्वता वाले लिखतों के लिए उधारदाताओं द्वारा विचार किए गए साख विस्तार के लिए समायोजित विवरणी की जोखिम- मुक्त दर के समतुल्य छूट दर का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह का छूट देकर लगाया जाता है जिसे उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (ii) प्रबंधन अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करता है। हालांकि, किसी भी अनुमान तकनीक में अंतर्निहित सीमाएं हैं। अतः पर्याप्त रूप से सभी वित्तीय साधनों के लिए, उपरोक्त प्रस्तुत उचित मूल्य अनुमान आवश्यक रूप से उन राशियों का संकेत नहीं है जो कंपनी संबंधित तिथियों के अनुसार बिक्री लेनदेन में प्राप्त या भुगतान कर सकती थी। इस प्रकार, रिपोर्टिंग तिथियों के बाद वित्तीय साधनों का उचित मूल्य प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर रिपोर्ट की गई राशि से भिन्न हो सकता है।
- (iii) दिनांक 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

(ग) कंपनी की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता अवधि विन्यास नीचे दी गई है:

(₹ लाखों में)

परिपक्वता अवधि	दिनांक 31 मार्च 2022 को			
	पट्टा दायित्वों के अलावा अन्य उधार राशियाँ	पट्टा दायित्व	अन्य वित्तीय देयताएं	कुल वित्तीय देयताएं
1 वर्ष से पूर्व या मांग पर			2,671.09	2,714.17
1 वर्ष के पश्चात और पांच वर्षों से पूर्व			-	7,683.34
5 वर्षों से अधिक	5,600.00	4,918.54	-	10,518.54
	13,100.00	5,144.96	2,671.09	20,916.05
घटाए: पट्टों पर भावी वित्त प्रभार	-	4,480.80	-	4,480.80
	13,100.00	664.16	2,671.09	16,435.25

(₹ लाखों में)

परिपक्वता अवधि	दिनांक 31 मार्च 2021 को			
	पट्टा दायित्वों के अलावा अन्य उधार राशियाँ	पट्टा दायित्व	अन्य वित्तीय देयताएं	कुल वित्तीय देयताएं
1 वर्ष से पूर्व या मांग पर	-	42.03	564.32	606.35
1 वर्ष के पश्चात और पांच वर्षों से पूर्व	4,400.00	178.87	-	4,578.87
5 वर्षों से अधिक	5,600.00	4,966.09	-	10,566.09
	10,000.00	5,186.99	564.32	15,751.31
घटाए: पट्टों पर भावी वित्त प्रभार	-	4,537.62	-	4,537.62
	10,000.00	649.37	564.32	11,213.69

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 37. अतिरिक्त नियामक सूचना अनुपात

अनुपात

अनुपात	अंश गणक	भाजक	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वर्तमान अनुपात (समय में)	कुल मौजूदा संपत्तियां	कुल मौजूदा संपत्तियां	1.08	1.38
ऋण - इक्विटी अनुपात (समय में)	ऋण में उधार और पट्टे की देनदारियां शामिल हैं	कुल इक्विटी	3.46	2.50
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय + व्याज + अन्य गैर-नकद समायोजन	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान अ मूलधन चुकौती	(0.65)	(1.51)
इक्विटी अनुपात पर लाभ (% में)	वर्ष के लिए लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत कुल इक्विटी	-15.03%	-12.30%
व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात (समय में)	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्तियां	1.67	लागू नहीं
व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात (समय में)	सीडब्ल्यूआईपी और पीपीआई की लागत + अन्य खर्च	औसत व्यापार देय	1.44	4.92
निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात (समय में)	प्रचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी (यानी कुल चालू संपत्ति कम कुल चालू देनदारियां)	0.05	लागू नहीं
निवल लाभ अनुपात (% में)	वर्ष के लिए लाभ	प्रचालन से राजस्व	-679%	लागू नहीं
नियोजित पूंजी का वापसी (% में)	कर और वित्त लागत से पहले लाभ	नियोजित पूंजी = निवल संपत्ति + उधार + पट्टा देनदारियां	-1.84%	-2.23%
निवेश पर आय (% में)	निवेशित धन से उत्पन्न आय	राजकोष में औसत निवेशित धन निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं

पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण:

अनुपात	% परिवर्तन	अभ्युक्तियां
ऋण - इक्विटी अनुपात (समय में)	38%	परियोजना कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा 31 करोड़ की राशि के डिबेंचर जारी करने के कारण कुल दीर्घकालिक ऋण में वृद्धि हुई है।
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	57%	कंपनी ने अभी वित्त वर्ष 2021-22 से परिचालन शुरू किया है जिसके परिणामस्वरूप ईबीआईटीडीए में सुधार हुआ है। इसलिए पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में सुधार हो रहा है।
व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात (समय में)	100%	कंपनी ने चालू वर्ष 2021-22 से संचालन प्रारंभ किया है। पिछले वर्ष में कोई व्यापार प्राप्य नहीं था।
व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात (समय में)	-71%	सीडब्ल्यूआईपी के लिए चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम व्यय हुआ। देय व्यापार उसी अनुपात में कम नहीं हुआ है। कंपनी व्यापार देय राशि का प्रबंधन करने में सक्षम है।
निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात (समय में)	100%	कंपनी ने अभी वित्त वर्ष 2021-22 से परिचालन शुरू किया है। पिछले वर्ष में परिचालन से कोई राजस्व नहीं था।
निवल लाभ अनुपात (% में)	100%	कंपनी ने अभी वित्त वर्ष 2021-22 से परिचालन शुरू किया है। पिछले वर्ष में परिचालन से कोई राजस्व नहीं था।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 38. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। कंपनी परिचालन शुरू करने पर खंडवार विश्लेषण और लागत और राजस्व का आबंटन करेगी।

टिप्पणी 39 :

पिछले वर्ष के आंकड़े को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, वर्गीकृत और पुनः एकत्रित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते राड्स व कं

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 320298E)

मधु एस नायर

अध्यक्ष

(डीआईएन 07376798)

जोस वी जे

निदेशक

(डीआईएन 08444440)

शेखर चक्रवर्ती

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

(सदस्यता संख्या. 067872)

कोलकाता, मई 03, 2022

सैबल चट्टोपाध्याय

मुख्य वित्तीय अधिकारी

कोची, मई 03, 2022

किरण के ए

कंपनी सचिव

स.सं. A36050



हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

प्रशासनिक भवन,
एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड
पी ओ धनेष शेख लेन, नजीरगंज,
हावडा, पश्चिम बंगाल - 711 109

सीआईएन: U35900WB2017GOI223197





HOOGLY COCHIN SHIPYARD LIMITED



Beginning of a

NEW ERA

Annual Report 2021-22



Contents

Business Overview

Corporate Information	01
About Us	02
Business Segment	04
Product Portfolio	05
Chairman's Address	06
Board of Directors	08
Leadership Team	10

Statutory Reports

Directors' Report	11
Management Discussion and Analysis Report	22
Report on Corporate Governance	26

Financial Statements

Independent Auditors' Report	30
Comments of the Comptroller & Auditor General of India	41
Balance Sheet	42
Statement of Profit and Loss	43
Cash Flow Statement	44
Statement of Changes in Equity	45
Note to Financial Statements	46

Notice	75
--------	----



CORPORATE INFORMATION

BOARD OF DIRECTORS

Shri Madhu S Nair Chairman
Shri Bejoy Bhasker Non – Executive Director
Shri Jose V J Non – Executive Director
Shri Sreejith K Narayanan Non – Executive Director
Smt. Anjana K R Non – Executive Director
Shri Chandra Mani Rout Non – Executive Director

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Shri Shekhar Chakravarty Chief Executive Officer (CEO)
Shri Saibal Chattopadhyay Chief Financial Officer (CFO)
Shri Kiran K A Company Secretary (CS)

SENIOR MANAGEMENT TEAM

Shri Balakirshnan Poovathra DGM (Finance), CSL
Shri P K Mishra DGM (P&O), HCSL
Smt. Bindu Krishna AGM (Legal), CSL

REGISTERED OFFICE

Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road,
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge,
Howrah, West Bengal – 711 109
CIN: U35900WB2017GOI223197

FACILITIES

Nazirgunge, West Bengal
Salkia, West Bengal

STATUTORY AUDITORS

M/s. RADS & Co
(CA1369)
1, Gibson Lane, Sidha Gibson
2nd Floor, Suite No. 214
Kolkata, West Bengal – 700 069

SECRETARIAL AUDITORS

M/s. SVJS & Associates
Company Secretaries
First Floor, 65/2364A
Ponoth Road, Kaloor
Kochi – 682 017

BANKERS

State Bank of India
Federal Bank



ABOUT US

A wholly owned subsidiary of CSL, Hooghly Cochin Shipyard Limited serves to fulfil the huge demand for inland water vessels in the designated National Waterways of India.

The East Coast of India has throughout been the epicentre of Maritime activity and has been the beacon for the country as far as shipbuilding is concerned. Towards this Cochin Shipyard Limited (CSL) in its endeavour to further strengthen the shipbuilding sector in this region has taken on the age old legacy of Hooghly Dock and Port Engineers Limited (HDPEL) who were the pioneers of shipbuilding in the eastern coast of the country.

HDPEL is one of the oldest shipyards of the country established in the year 1819 in the name of Hooghly Docking and Engineering Company Limited. It has later merged with Port Engineering Works and came to be known as Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL). CSL took over this yard which includes facilities at Nazirgunge and Salkia and rechristened as Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) in October 2017 as a joint venture with HDPEL and thereafter HCSL became a wholly owned subsidiary

of CSL with effect from November 01, 2019, pursuant to the approval of the Union Cabinet on October 03, 2019.

CSL, keeping in line with the thought process of the Govt. of India to develop the National Waterways being piloted by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways through the Jal Marg Vikas project of IWAI has refurbished and restructured the Nazirgunge unit into a modern shipbuilding facility. With the technical and design support from CSL, the leading shipyard in the country, HCSL



is confident of meeting the demands of high quality, niche vessels in inland sector in full and the Coastal and Sea going segment to a good extent..

Our unit is equipped with the latest shipbuilding norms like inhouse QA/QC, NDT, Fire & Safety and sophisticated equipment with experienced work force to complete every task in a time bound manner. We have obtained IMS Certification including ISO 9001-2015 – Quality, ISO 14001-2015 – Environment & ISO 45001-2018 – Health and Safety Certification from the Indian Register of Shipping (IRS). Our facility has an added advantage due to the strategic location supporting consequently both slipway launching and side launching facility due to the extended riverfront.

We at HCSL, can provide a comprehensive support by not only developing the most cost-effective design and ships for the customers but also providing support for the entire life cycle of the vessel by conducting defect analysis and maintenance schedules on periodic real time feedback from ships and thereafter slotting refits and repair as per schedule.

A Few highlights of the facility at HCSL:

- (I) All shopfloors equipped with the state-of-the-art facilities for ship construction.
- (II) End launching (02 nos.) with winch and cradle system for vessels upto 80 Mtrs.
- (III) Side launching (01 no) for vessels upto 120 Mtrs.
- (IV) Fitout berths (04 nos.) with jetties – each with floating pontoons (30mtr*7mtr) with gangways and tower cranes(5Tons)
- (V) Wide range of standardized designs to meet customers’ requirements.
- (VI) Strong workforce to meet every task on schedule with a credential of 2.5 million safe working hours.



BUSINESS SEGMENT



SHIPBUILDING:

Wide range of standardized design to meet customers requirement. This includes Inland Water, Coastal and Sea going vessels for both passenger and cargo carrying capability.



LIFE CYCLE ANALYSIS:

Based on the real time feedback from ships, analysis on defects and maintenance routines can be carried out to predict and slot refit and repairs.



REFIT SCHEDULE:

Timely repair and refit of equipment to avoid breakdown and to reduce the downtime of machineries.



PRODUCT PORTFOLIO

Tug	Workboat	Fishing Vessel	Hybrid Electric Boat	Ro-PAX
Tow Barge	Pax Ferry	Marine Ambulance Boat	RO-RO	Pushers
Port Feeders	Coastal LNG Tankers	Research Vessel	Defence Vessel	Autonomous Electric Barge



CHAIRMAN'S ADDRESS



HCSL, being a Yard with its access to the National Waterways 1 and 2, envisaged by the Government of India can be best utilized for building small vessels at the least possible cost.



Dear Shareholders,

It is my privilege and pleasure to welcome you all to the 05th Annual General Meeting of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL).

I am really glad to inform you that, the Company has completed the project phase and its new facility for shipbuilding and ship repair at Nazirgunge was dedicated to the nation on August 16, 2022 by Shri Sarbananda Sonowal, the Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping & Waterways. Besides, the Company has obtained IMS Certification including ISO 9001-2015 – Quality, ISO 14001-2015 – Environment and ISO 45001-2018 – Health & Safety, from the Indian Register of Shipping (IRS). Moreover, in April 2022, the Company has

implemented one of the best available ERP solutions, the SAP S/4HANA, which is expected to improve the efficiency of business transactions considerably.

The Yard is very well poised to contribute to CSL group's long term strategy, CRUISE 2030, by capitalising the vast opportunity in the small vessels segment especially inland barges and vessels, passenger ferries, RO-RO/ RO-PAX, ship repairs etc. primarily in the North East region of the country. HCSL, being a Yard with its access to the National Waterways 1 and 2, envisaged by the Government of India can be best utilized for building small vessels at the least possible cost. This will help the Company to penetrate the high volume low margin small vessels segment both in

domestic as well as international markets.

The financial year 2021-22 was indeed phenomenal for the Yard. Despite the restrictions on account of COVID-19, the Yard achieved COVID free working, without any loss of man hour during the Pandemic. During the year, the Yard undertook major repairs of two vessels of Inland Waterways Authority of India (IWAI) and four vessels of IWT Assam to the satisfaction of the clients. The Company is currently executing the order for design, procurement, fabrication, installation and testing of Box Caisson gate for CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU). I am also glad to inform you that, HCSL has bagged its first shipbuilding order for building one 2200T DWT Multi Purpose Vessel for Jak

Maritime & Logistics India Private Limited. The contract for the same was signed in August 2022. Further, inland waterways segment being one of the major focus area of the Company, we have entered consultancy agreement with Inland Waterways Authority of India (IWAI) to act as consultants for setting up a new ship repair facility at Pandu, Assam, Guwahati. The agreement was signed between HCSL & IWAI in the presence of the Hon'ble Minister for Ports, Shipping & Waterways and the Hon'ble Chief Minister of Assam on August 26, 2021. The ship repair facility of HCSL will cater for all vessels in the National Waterways 2 and North Eastern sector without any loss of valuable time, travelling to Kolkata for every minor repair.

On the financial front, the Company has earned an income of Rs. 41.78 Lakhs from ship repair during financial year 2021-22. However, the Company which is yet to start commercial shipbuilding, has reported a loss of Rs. 283.61 Lakhs during the financial year 2021-22.

It is also worth mentioning that, during the year, the Board of Directors of the Company appointed senior executives of CSL viz., Shri Sreejith K Narayanan and Smt. Anjana K R, as the Directors on the Board of HCSL. I am sure that the Company would immensely benefit from the extensive experience garnered by them in various operational areas of shipbuilding

and ship repair. As the Company has completed its project phase and is moving towards commercial production, a full-fledged CEO and CFO, both highly qualified and experienced, were appointed to steer the Company forward. Also, the recruitment for positioning required additional manpower is being progressed in a phased manner to ensure optimum manning in the Company.

Since HCSL was not fully operational during the financial year 2021-22, the Company is exempt from compliance with the Guidelines on Corporate Governance pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM dated July 08, 2014, issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India. However, the Company adopts the best Corporate Governance practices wherever possible and the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is included in the Annual Report.

Before concluding, I wish to convey my appreciation to the HCSL management led by the CEO for their continued support, commitment and contribution. I also wish to place on record my sincere gratitude to all the Board Members for their valuable guidance and support extended for

completion of the project. I also thank Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, the Secretary and other officials of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Directors and Senior Management of Cochin Shipyard Limited (CSL), officials of the Government of West Bengal and Syama Prasad Mookerjee Port (SMP) for their contribution in completion of the project. I also wish to convey my sincere thanks to the dedicated employees of the Company. Without their efforts and enduring commitment, the Company would not have sustained during these difficult and challenging times.

I wish the Company all the very best as it moves towards its goal of becoming the lead player in India in the inland waterway vessel segment.

Thanking You

Jai Hind

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

BOARD OF DIRECTORS



Shri Madhu S Nair
Chairman

Shri Madhu S Nair is one of the first directors of the Company as per the Articles of Association of the Company. Shri Madhu S Nair is the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard Limited (CSL) from January 01, 2016. He holds a Degree of Bachelor of Technology in Naval Architecture and Ship Building from Cochin University of Science and Technology, India and a Degree of Master in Engineering with specialisation in Naval Architecture and Ocean Engineering from Osaka University, Japan. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He is a member of various Professional bodies including The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA), Institution of Naval Architects, India and is presently serving as the President of Indo Japan Chamber of Commerce Kerala (INJACK). He has approximately 34 years of work experience across the Ship Building and Ship Repair industry. He is also the Chairman of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Bejoy Bhasker
Non - Executive Director

Shri Bejoy Bhasker was inducted to the Board of HCSL with effect from April 25, 2018. He is the Director (Technical) of Cochin Shipyard Limited (CSL) from April 05, 2018. He holds a Degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a Degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association. He has approximately 34 years of work experience across areas such as Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair. He is also a Director of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Jose V J
Non - Executive Director

Shri Jose V J was inducted to the Board of HCSL with effect from August 03, 2019. He is the Director (Finance) and Chief Financial Officer of Cochin Shipyard Limited (CSL) from August 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He has approximately 31 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also a Director of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Sreejith K Narayanan
Non - Executive Director

Shri Sreejith K Narayanan was inducted to the Board of HCSL with effect from March 26, 2022. He is the Director (Operations) of Cochin Shipyard Limited (CSL). He holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical) from Regional Engineering College, Calicut & Master of Business Administration from School of Management Studies, Cochin University of Science and Technology. He has approximately 34 years of work experience across areas such as Ship Building, Ship Design and Ship Repair. He is also a Director of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Smt. Anjana K R
Non - Executive Director

Smt. Anjana K R was inducted to the Board of HCSL with effect from March 26, 2022. She is the General Manager (Design) of Cochin Shipyard Limited (CSL). Smt. Anjana K R holds a Degree of Bachelor of Technology (Naval Architecture & Ship Building) from Cochin University of Science and Technology. She has more than 26 years of work experience across areas such as Ship Design, Ship Building hull, production engineering and Ship building materials procurement.



Shri Chandra Mani Rout
Non - Executive Director

Shri Chandra Mani Rout is one of the first Directors of the Company as per the Articles of Association of the Company. He holds a Bachelor Degree in Civil Engineering and Post Graduate Diploma in Management and Remote Sensing from XIM, Bhubaneswar and IIRS, Dehradun, respectively. He is currently working as the Officer on Special Duty in the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata. He has served as Chief Port Administrator (CEO of the A & N Group of Ports of A & N Islands), Port Management Board, Andaman & Nicobar Administration and also had served as the Director (IWT and Engg.), Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. He is also a Director in Hooghly Dock & Port Engineers Limited.

LEADERSHIP TEAM



Shri Shekhar Chakravarty
Chief Executive Officer (CEO)

Shri Shekhar Chakravarty took over charge as the CEO of HCSL with effect from December 22, 2021. He holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical) from Naval College of Engineering, Lonavala, PG degree DIIT(NC) from IIT (Delhi) in Naval Construction and Certificate Course in Business Development from IIM (Indore). He joined Indian Navy in 1984 and was commissioned in 1987. He has 25 years of Commissioned service in Indian Navy. He has also worked with L&T Shipbuilding for a period of 9 years. He has vast expertise across areas such as ship design, ship repairs and ship construction, in addition to heading the Shiplift & Marine Services Division in L&T.



Shri Saibal Chattopadhyay
Chief Financial Officer (CFO)

Shri Saibal Chattopadhyay took over charge as the CFO of HCSL with effect from February 14, 2022. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI-CMA) as well as the Institute of Company Secretaries of India (ICSI). He has a rich experience across areas related to finance with various large corporates at different capacities. Prior to joining HCSL, he worked as Director Finance of HIL (India) Limited (formerly Hindustan Insecticides Limited). He had also worked with Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (RCF) and Hindustan Copper Limited (HCL).

Directors' Report

Dear Shareholders,

1. Your Directors have immense pleasure in presenting the 05th Annual Report of your Company together with the financial statements for the year ended March 31, 2022, the Report of the Statutory Auditors and the comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013.

About the Project

2. All project work pertaining to "New Yard construction of HCSL" is completed and the yard is ready for production. At the end of the financial year 2021-22 physical progress to the tune of 99% is achieved for all civil, mechanical and electrical related works. All major jobs held up due to delay in erection of the 50 ton crane are completed other than road and road painting which is in final stage of completion.
3. Further to that, handing and taking over of all civil structures and commissioning of all machinery/ equipment and cranes are completed. Presently all cranes including the 50 Ton crane are commissioned by third party agencies.
4. Due to delay in the erection of the 50 Ton crane, certain works of the mechanical, electrical and civil were held up as the crane has either restricted movement or occupied the area across the slipway. The present status of works is as given below:
 - a. Fire System: Interconnectivity of the system between phase I & II in the slipway region is completed. Statutory approval from Fire Department is in progress.
 - b. Gas System: Interconnectivity of the Gas system between phase I & II in the slipway region is completed. Statutory approval from PESO is in progress.
 - c. Winch & Cradle: Winch system is ready for commissioning however work on cradle locking mechanism is in progress. Commissioning of winch and cradle system is due thereafter. Post commissioning of the system lock gate will be positioned.

- d. Electrical System: Connectorization for all external systems are completed.
- e. Civil Works: All related civil works pertaining to flooring and road in the slipway region and trench clearing across both sides of the slipway are completed post erection of 50 Ton crane. Final bituminous layer is pending.

Operations

5. The new yard of HCSL, in its Nazirgunge unit is ready for operations. Despite the restrictions on account by COVID-19, the yard achieved COVID free working, without any loss of man hour during the pandemic. During the financial year 2021-22, the yard undertook major repairs of two vessels of IWAI and four vessels of IWT Assam in strict time line and delivered them to the best of satisfaction to the customer. During the reporting period, HCSL bagged the order for design, procurement, fabrication, installation and testing of Box Caisson gate for CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) of CSL. Further, HCSL being focused in inland waterways segment has entered into an agreement with IWAI to act as consultants for setting up a new ship repair facility at Pandu, Assam, Guwahati. The proposed ship repair facility will cater for all vessels in the National Waterways 2 and North Eastern sector without any loss of valuable time, travelling to Kolkata for every minor repair.

Financial Details

6. The Company being in the process of setting up the required shipyard infrastructure facilities has reported a loss of Rs. 382.47 Lakhs (Rs. 407.54 Lakhs PY) during the financial year 2021-22. The total capital expenditure incurred upto the financial year 2021-22 amounted to Rs. 1,386.80 Lakhs (Rs. 12,211.97 Lakhs upto PY).

Financial Highlights

Sl. No.	Particulars	(Rs. in Lakhs)	
		As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
(i)	Gross Income	45.16	40.77
(ii)	Profit/(Loss) Before Finance cost, Depreciation & Tax	(286.03)	(299.36)
(iii)	Finance cost	56.82	75.57
(iv)	Depreciation & Amortisation expenses	39.62	32.61
(v)	Profit/(Loss) Before Tax	(382.47)	(407.54)
(vi)	Tax Asset	98.86	91.84
(vii)	Net Profit/(Loss)	(283.61)	(315.70)

Share Capital

- The authorised share capital of the Company as on March 31, 2022 is Rs. 1,25,00,00,000 (Rupees One Hundred and Twenty Five Crore only) divided into 6,90,00,000 (Six Crores Ninety Lakh) Equity Shares of Rs. 10 (Rupees Ten only) each aggregating to Rs. 69,00,00,000 Crores (Rupees Sixty Nine Crores only) and 5,60,00,000 (Five Crores Sixty Lakhs) Preference Shares of Rs. 10 (Rupees Ten only) each aggregating to Rs. 56,00,00,000 (Rupees Fifty Six Crores only).
- The paid-up share capital of the Company as on March 31, 2022 is Rs. 1,06,00,00,000 (Rupees One Hundred and Six Crores only) divided into 5,00,00,000 (Five Crore) equity shares of face value of Rs. 10 (Rupees Ten only) each aggregating to Rs. 50,00,00,000 (Rupees Fifty Crore only) and 5,60,00,000 (Five Crore Sixty Lakh) preference shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each aggregating to Rs. 56,00,00,000 (Rupees Fifty Six Crore only). The entire paid-up share capital is held by Cochin Shipyard Limited (CSL).

Debentures

- The Company has issued 4,40,000 (Four Lakh Forty Thousand) Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (debentures) of face value of Rs. 1,000 (Rupees One Thousand only) each in the month of September 2018 with a tenure of 60 months at a coupon rate of 6.50% per annum to CSL for an amount of Rs. 44,00,00,000 (Rupees Forty Four Crores only). The debentures are due for redemption in September 2023.
- Further, the Company has also issued 3,10,000 (Three Lakh Ten Thousand) Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (debentures) of face value of Rs. 1,000 (Rupees One Thousand only) each in the month of September 2021

with a tenure of 120 months (with an option to redeem after five years from the date of allotment) at a coupon rate of 6.15% per annum to CSL for an amount of Rs. 31,00,00,000 (Rupees Thirty One Crores only).

- The Company has in total 7,50,000 (Seven Lakhs Fifty Thousand) Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (debentures) of face value of Rs. 1,000 (Rupees One Thousand only) each outstanding as on March 31, 2022.

Dividend

- No dividend is recommended as the Company is currently in the nascent stages of its operations and has no divisible profits.

Transfer to Reserves


- As the Company is yet to commence its operations and has incurred a loss during the financial year 2021-22, the Company is unable to transfer any amount to the reserves.

Contribution to Exchequer

- The total contribution made during the financial year 2021-22 by way of Goods and Services Tax (GST) and Income Tax (TDS) was approximately Rs. 311.54 Lakhs (Rs. 22.60 Lakhs PY).

Manpower Status

- As on March 31, 2022, Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) has 39 employees consisting of 12 Executives, 11 Project Officers and 16 Workmen (On contract). The recruitment for positioning required additional manpower is being progressed in a phased manner to ensure optimum manning in the Company.



Particulars of Employees and Related Disclosures

- In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, Government Companies are exempted from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof. Hence, details of remuneration of Directors need not be included in the Board's report.

Conservation of Energy, Technology absorption and Foreign Exchange earnings and outgo

- The Company has adopted automatic power factor control mechanism for efficient energy conservation and setting up 30KWP solar power plant as alternative source of energy

Board of Directors & Key Managerial Personnel

- As on March 31, 2022, the Company has 6 Directors, all of whom are Non-Executive Directors and 3 Key Managerial Personnel viz., the Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO) and the Company Secretary (CS), the details of which are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman
2.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Non-Executive Director
3.	Shri Jose V J	08444440	Non-Executive Director
4.	Shri Sreejith K Narayanan	09543968	Non-Executive Director
5.	Smt. Anjana K R	09545253	Non-Executive Director
6.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	Non-Executive Director
7.	Shri Shekhar Chakravarty	N.A.	Chief Executive Officer
8.	Shri Saibal Chattopadhyay	N.A.	Chief Financial Officer
9.	Shri Kiran Kappattil Augustine	N.A.	Company Secretary

- Shri NV Suresh Babu ceased to be Director with effect from May 01, 2021 consequent to his retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in Cochin Shipyard Limited, the holding Company.
- Shri Sreejith K Narayanan, Chief General Manager (Ship Repair), CSL and Smt. Anjana K R, General Manager (Design), CSL, were appointed as CSL's Nominee Directors in the Board of Directors of HCSL for a period of three years with effect from March 26, 2022, coterminous with their service in CSL or until further orders, whichever is earlier.

on top of Service Block inside the yard. Every possible automation methodology has been adopted for better functioning. Details are placed at Annexure I.

- During the year 2021-22, there were no foreign exchange earnings and outgo.

Risk Management

- The Company is in the completion stage of setting up the required shipyard infrastructure facilities and the progress of the project is periodically reported to the Board for review and necessary guidance. The Company follows adequate risk management practices wherever necessary. Nevertheless, the Company would be adopting a Comprehensive Risk Management Policy soon.

Health, Safety & Environment (HSE)

- Since inception, the Company has not reported any major accidents, making it one of the safe place to work. Even after lifting of the lockdown by the state Government, the unit is strictly enforcing COVID protocol for all personals entering the yard. Presently, training of all executives and documentation towards obtaining IMS Certification is completed and Certification Audit by IRS will commence shortly.

24. Shri Shekhar Chakravarty was appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of HCSL in place of Shri Rajesh Gopalakrishnan with effect from December 22, 2021 and Shri Saibal Chattopadhyay was appointed as the Chief Financial Officer (CFO) of HCSL in place of Shri Balakrishnan Poovathra with effect from February 14, 2022.
25. There were no other changes in Directors or Key Managerial Personnel of the Company during the financial year 2021-22 and also up to the date of this report.

Details of Board Meetings held during 2021-22

26. Four Board Meetings were held during the financial year 2021-22 and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The dates on which the Board Meetings were held and the attendance of Directors in the said meetings are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors Present
1.	May 07, 2021	4	3
2.	August 05, 2021	4	4
3.	November 08, 2021	4	3
4.	February 03, 2022	4	4

27. The attendance record of each Director in the Board Meetings held during the financial year 2021-22 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	No. of Board Meetings Attended
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	4/4
2.	Shri N V Suresh Babu*	07482491	0/0
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	4/4
4.	Shri Jose V J	08444440	4/4
5.	Shri Sreejith K Narayanan**	09543968	0/0
6.	Smt. Anjana K R**	09545253	0/0
7.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	2/4

* Shri N V Suresh Babu ceased to be Director with effect from May 01, 2021.

** Shri Sreejith K Narayanan and Smt. Anjana K R were appointed as Nominee Directors in the Board of Directors of HCSL with effect from March 26, 2022.

Committees of the Board

28. The Company has constituted a Securities Offer, Allotment and Transfer Committee. The Composition of the Committee and attendance record of members in the meetings held during the financial year 2021-22 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	No. of Meetings Attended
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman	3/3
2.	Shri N V Suresh Babu*	07482491	Member	0/0
3.	Shri Jose V J	08444440	Member	3/3

* Shri N V Suresh Babu ceased to be Director with effect from May 01, 2021.

29. Three meetings of the Committee were held during the financial year 2021-22 on May 07, 2021, August 25, 2021 and September 03, 2021 respectively. All the members were present at the said meetings.

Evaluation of Board's Performance

30. The Company being a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited, a CPSE, is a Government Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. The Ministry of Corporate Affairs vide notification GSR 463(E) dated June 05, 2015 has exempted Government Companies from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 which inter-alia provides that Section 134(3)(p) regarding statement on formal annual evaluation shall not apply to Government Companies in case the Directors are evaluated by the Ministry which is administratively in-charge of the Company as per its own evaluation methodology. Further, the said exemption notification also exempts the Government Companies from the provisions of Sub-Sections (2), (3) & (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 regarding appointment, performance evaluation and remuneration of Directors.

Declaration by Independent Directors

31. The Company has no Independent Directors on the Board as of now. The Company being a wholly owned subsidiary, is not required to appoint Independent Directors pursuant to the provisions of Rule 4(2) of the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014.

Directors Responsibility Statement

32. Your Directors state that:
- in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2022, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
 - the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year 2021-22 and of the profit and loss of the Company for that period;
 - the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
 - the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

- the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Contracts and Arrangements with Related Parties

33. During the financial year 2021-22, no Related Party Transactions have been entered into by the Company which attracted the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013. Further, your Directors draw attention to Note 34 to the financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24.

Corporate Governance

34. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, HCSL is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. However, the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Management Discussion and Analysis

35. The Management Discussion and Analysis Report for the year under review, as per the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE) is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Internal Financial Controls

36. The Company follows robust policies and procedures closely in line with that of the holding Company, CSL, to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Secretarial Standards of ICSI

37. Pursuant to the approval from the Ministry of Corporate Affairs, the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) has on April 23, 2015, notified the Secretarial Standards

on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) effective July 01, 2015. The Company is complying with the same.

Statutory Auditors

38. M/s. RADS & Co (CA1369), Chartered Accountants, Kolkata, were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2021-22.

Auditors Report

39. M/s. RADS & Co, Statutory Auditors have submitted their Report on the financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2022, on May 03, 2022, which forms part of the Annual Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Supplementary Audit

40. The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has entrusted the Supplementary Audit of the Company to the Office of The Director General of Audit (Mines), Kolkata, 1, Council House Street, Kolkata – 700 001. C&AG have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of the Company for the year ended March 31, 2022.

Comments of C&AG

41. The comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 forms part of the Annual Report.

Secretarial Auditors

42. M/s. SVJS & Associates, Practicing Company Secretaries, Kochi, were appointed as the Secretarial Auditors of the Company to conduct the the Secretarial Audit under the Companies Act, 2013 for the financial year 2021-22.

Secretarial Auditors Report

43. M/s. SVJS & Associates, Secretarial Auditors have submitted their Report on May 03, 2022, which is placed at Annexure II to this Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Internal Auditors

44. The Board has appointed M/s. Ghosal Basu & Ray, Chartered Accountants, Kolkata, to conduct Internal Audit for the financial year 2021-22.

Maintenance of Cost Records

45. The maintenance of cost records as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 is not applicable for the reporting period.

Vigilance

46. There were no vigilance cases pending/disposed off during the financial year 2021-22.

Right to Information Act, 2005

47. During the year under review, no requests were received by the Company under the Right to Information (RTI) Act, 2005.

Annual Return

48. A copy of the Annual Return of the Company as per Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available at the Company's website at www.hooghlycsl.com

Corporate Social Responsibility (CSR)

49. The Company being yet to commence its operations is not in a position to undertake CSR activities. Further, the Company does not fall within the purview of Section 135 of the Companies Act, 2013 which relates to CSR.

Details of Subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies

50. The Company does not have any subsidiaries, joint ventures or associate companies.

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

51. Nil.

Material changes and commitments

52. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Particulars of loans, guarantees or investments

53. During the year under Report, the Company has not:

- given any loan to any person or other body corporate;
- given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and
- acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Details of change in nature of business

54. The Company is in the nascent stages of its business operations and is focusing on putting in place the required resources for the smooth running of its operations.

Deposits

55. Your Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Significant and Material orders

56. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

57. During the financial year 2021-22, no cases have been filed / disposed off under the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed there under.

58. The Company has constituted an Internal Complaints Committee in accordance with the guidelines and norms prescribed by the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Acknowledgement

59. The Board of Directors is extremely thankful for the continued patronage and support extended by the Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Minister of Ports, Shipping & Waterways (MoPSW), Cochin Shipyard Limited (CSL), Kolkata Port Trust (KoPT) and all officers of the MoPSW, CSL and KoPT. The Board would also like to express its grateful appreciation for the support and co-operation from various offices of the Government of India, Government of West Bengal, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Auditors, Legal Counsels, Consultants, Suppliers, Sub-contractors, Bankers and Company's employees.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 03, 2022

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Annexure I

A. Conservation of Energy

	Steps Taken
(i) Steps taken or impact on conservation of energy during the year 2021-22.	APFC panels are energized and getting rebate from CESC Dept. Energy monitoring system is active.
(ii) Steps taken for utilizing alternate sources of energy.	Tender floated for installation of 30KWP Solar Power Plant on top of Service Block roof top.
(iii) Capital investment on energy conservation equipments.	An amount of approximately Rs. 100 Lakhs have been invested for conservation of energy.

B. Technology Absorption

(i) Efforts made towards technology absorption	Automation Methodology
(ii) Benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitutions.	Production not yet commenced.
(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)	
(a) The details of technology imported	Nil
(b) The year of import	N.A.
(c) Whether the technology been fully absorbed	N.A.
(d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof	N.A.
(iv) Expenditure incurred on Research and Development	Nil

Annexure II

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2022

[Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
Hooghly Cochin Shipyard Limited
Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah - 711109, West Bengal

We, SVJS & Associates, Company Secretaries, have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: U35900WB2017GOI223197]** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs warranted due to the spread of the COVID pandemic, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2022 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder;

- (ii) As informed to us, the following other laws are specifically applicable to the Company.

1. The Electricity Act, 2003 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
2. The Industrial Employment Standing Orders Act and the Rules;
3. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
4. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
5. The Environment (Protection) Act, 1986 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
6. The Factories Act, 1948 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
7. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards relating to Meetings of the Board of Directors (SS 1) and General Meetings (SS 2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above.

In respect of other laws specifically applicable to the Company we have relied on information/ records produced by the Company during the course of our audit and the reporting is limited to that extent.

We report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted. All the Directors of the Company are Non-executive Directors.

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notices were given to all Directors to schedule the Board Meetings, Agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and at shorter notice in certain cases in accordance with the provisions of the Act and Secretarial Standards, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions of the Board were unanimous and the same was captured and recorded as part of the minutes.

We further report that to the extent of our verification, there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that

1. The Board of Directors had at their meeting held on 05th August, 2021 passed resolution to offer, issue and allot

Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures for an amount of Rs. 31,00,00,000/- (Rupees Thirty One Crores only) vide private placement.

2. The Company had allotted 3,10,000 (Three Lakhs Ten Thousand) Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures at Rs. 1,000/- (Rupees Thousand only) each aggregating to Rs. 31,00,00,000/- (Rupees Thirty One Crores only) by way of private placement on 03rd September, 2021.

We further report that during the audit period there were no instances of:

- (i) Public/ Right/ Preferential issue of shares/ debentures/ sweat equity
- (ii) Redemption/ buy-back of securities
- (iii) Merger/ amalgamation/ reconstruction etc.
- (iv) Foreign technical collaborations

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as **'Annexure A'** and forms an integral part of this report.

For **SVJS & Associates**
Company Secretaries

Jayan K.

Partner

FCS. 8154

CP. No. 7363

PR 648/2019

UDIN: F008154D000262276

Kochi
May 03, 2022

To
The Members
Hooghly Cochin Shipyard Limited
Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah - 711109, West Bengal

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of the Secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility as Secretarial Auditors is to express an opinion on these records, based on our audit.
2. During the audit, we have followed the practices and process as were appropriate, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. We believe that the process and practices we followed provide a reasonable basis for our report.
3. The correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company have not been verified.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards etc. is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of the procedures and compliances on test basis.
6. While forming an opinion on compliance and issuing the Secretarial Audit Report, we have also taken into consideration the compliance related actions taken by the Company after 31st March 2022 but before issue of the Report.
7. We have considered actions carried out by the Company based on independent legal/ professional opinion as being in compliance with law, wherever there was scope for multiple interpretations.

Kochi
May 03, 2022

'Annexure A'

For **SVJS & Associates**
Company Secretaries

Jayan K

Partner

FCS. 8154

CP. No. 7363

PR 648/2019

UDIN: F008154D000262276

Management Discussion and Analysis Report

Forward looking statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward-looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward-looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. The management of Hooghly Cochin Shipyard Limited ("HCSL" or "the Company") has used estimates and judgments relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.
2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report. Unless otherwise specified or the context otherwise requires, all references herein to "we", "us", "our", "the Company", "Hooghly Cochin Shipyard", "HCSL", "Group" are with respect to Hooghly Cochin Shipyard Limited and its holding Company.

Global Shipbuilding Industry

3. After East Asian countries became dominant players in the cargo shipbuilding industry in late 20th century, European industries started specialization in passenger vessels. The unprecedented spread of COVID-19 disrupted the status quo. However, of late with the recovery of COVID-19,

although the demand for passenger vessel has still not recovered, but East Asian ship producers are having trouble meeting the sharp rise in the demand for cargo vessels.

Indian Shipbuilding Industry

4. The Indian Shipbuilding Industry has recovered after the dip due to spread of COVID-19 in the country. However, it is felt that India's shipbuilding capabilities have not kept pace with its economic development, market demand and human resource potential. The government of India and Inland Waterways Authority of India (IWAI) has taken lot of initiative to boost effective utilisation of all water ways including inland and offshore by investing in Infrastructure developments and encouraging shipbuilding industries for Make in India production. This industry has yet to grow to its full potential and is limited by size and capacity constraints. However, despite numerous constraints, the shipbuilding industry is growing rapidly and is the focus of great interest on how it is going to shape up.

Government of India (GOI) Initiatives in Inland Waterways

5. India has about 14,500 km of navigable waterways which comprise of rivers, canals, backwaters, creeks, etc. About 55 million Tons of cargo is already being moved annually by Inland Water Transport (IWT) in a fuel-efficient and environment-friendly mode. The Government is actively working to develop inland waterways as an alternative mode of transport in the country, for which they have designated 111 National Waterways in the country. These waterways are being developed to make them operational/navigable and usable for transportation. The marquee initiative in this regard is the Jal Marg Vikas Project (JMVP) for capacity augmentation of navigation on National Waterway-1 (NW-1), which is being implemented at a cost of Rs. 5,369.18 Crores with the technical assistance and investment support of the World Bank. The Project is expected to be completed by March 2023.
6. This initiative by Government of India has encouraged HCSL specifically to focus on improvised designs for inland water vessels such as Ro-Ro Vessels, Ro-Pax Vessels, Dredgers, Multipurpose & Mini Bulk Carriers, Inland Cruise Vessels, LPG Carriers etc.

Ship Repair Industry

7. Ship repair is generally considered as an evergreen industry, both globally as well as domestically. Ship being a floating structure requires regular inspection and maintenance of equipment and machinery for smooth and safe functioning during the ocean voyages and also during cargo handling operations at Ports. Ships are also generally governed by scheduled periodic repairs for which the Classification Society and other statutory bodies have formulated guidelines for periodic survey such as; special hull and machinery surveys every five years, dry-docking at two and half years and hull and machinery annual survey every year. Hence, ship repair yards generally have continuous and consistent flow of business which makes ship repair revenue generation more predictable as opposed to shipbuilding or shipping, which is often prone to pulls and pressures of market forces and cyclic change.

Operations

8. As an upcoming shipbuilding and ship repair yard, HCSL has tapped the ship repair market by undertaking major repairs of two vessels of IWAI and four vessels of IWT Assam in strict time line and delivering them to the best of satisfaction to the customer. During the reporting period, HCSL has bagged an order for design, procurement, fabrication, installation and testing of Box Caisson gate for CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) of CSL. Further, HCSL being focused in inland waterways segment has entered into an agreement with IWAI to act as consultants for setting up a new ship repair facility at Pandu, Assam, Guwahati. The proposed ship repair facility will cater for all vessels in the National Waterways 2 and North Eastern sector without any loss of valuable time, travelling to Kolkata for every minor repair.
9. All project work pertaining to "New Yard construction of HCSL" is completed and the yard is ready for production. At the end of the financial year 2021-22, physical progress to the tune of 99% is achieved for all civil, mechanical and electrical related works. All major jobs held up due to delay in erection of the 50 Ton crane are completed other than road and road painting which is in final stage of completion. Presently, all cranes including the 50 Ton crane are commissioned by third party agencies. The process for IMS Certification by IRS is under progress.

10. Further to that, handing and taking over of all civil structures and commissioning of all machinery/ equipment and cranes are completed. Due to delay in the erection of the 50 Ton crane, certain works of the mechanical, electrical and civil were held up as the crane has either restricted movement or occupied the area across the slipway. The present status of works is as given below:

- a. Fire System: Interconnectivity of the system between phase I & II in the slipway region is completed. Statutory approval from Fire Dept. is in progress.
- b. Gas System: Interconnectivity of the gas system between phase I & II in the slipway region is completed. Statutory approval from PESO is in progress.
- c. Winch & Cradle: Winch system is ready for commissioning, however, work on cradle locking mechanism is in progress. Commissioning of winch and cradle system, is due thereafter. Post commissioning of the system, lock gate will be positioned.
- d. Electrical System: Connectorization for all external systems are completed.
- e. Civil Works: All civil related works pertaining to flooring and road in the slipway region and trench clearing across both side of the slipway are completed post erection of 50 Ton crane. Final bituminous layer is pending.

11. The Company being yet to commence its operations has reported a loss of Rs. 283.61 Lakhs during the financial year 2021-22 (Rs. 315.70 Lakhs PY). The total capital expenditure incurred upto the financial year 2021-22 amounted to Rs. 1,386.80 Lakhs (Rs. 12,211.97 Lakhs upto PY).

Proposed Dividend

12. No dividend is recommended as the Company is in the project implementation stage and does not have divisible profits.

Segment wise/ product wise performance

13. The Company is in the project implementation stage and has not commenced its operations.

SWOT

14. The organization has determined external and internal issues that are relevant to its purpose and its strategic direction and that affect its ability to achieve the intended result(s) of its integrated management system. To achieve intended outcome, HCSL has analysed its Strength, Weakness, Opportunity and Threats (SWOT) with respect to integrated management system.

Strength	- Strong commitment of management; - Long experience in ship building of parent organisation; - Use of modern technology; - Disposal of waste as per norm; - No complaint from locality; - Have a well qualified team for production; - High capacity equipment; and - A strong focus on health and safety.
Weakness	- New establishment with people from different background; - Uncertain inflow of orders; and - Pending payments;
Opportunity	- Atmanirbhar Bharat initiatives of the Government of India towards creating domestic demand for vessels; and - New product development with good design facilities.
Threat	- Stiff competition from large players in the market; - Rising cost of labour; - Natural disasters; and - Long order realization process.

Risks and concerns

15. There is a great opportunity in the Indian shipbuilding industry in the recent past due to piling up of large number of new building orders be it for mercantile marine or Indian Navy. The delivery schedule has not picked at the same pace as the new building contracts were signed. One of the major reasons for the delayed delivery has been the delay in the arrival of equipment and machinery from the local and foreign suppliers. Other major reason for the delayed delivery is that, the shipyards took more orders than what they could easily execute with the existing infrastructure which failed to match with orders bagged. Other factors which attributed to delays include clearance from government/ third party, local protests/ labour issues and poor planning.
16. Taking all these factors into consideration, HCSL foresees a good opportunity in the emerging inland waterways and coastal shipping sector in India. It is therefore endeavouring to set up the requisite infrastructure, at Nazirgunge to cater to the needs of the inland waterways segment. The Company intends to mitigate the said risks

through professional project management, related eco system development programme including vendor base development, putting in place necessary warranties on equipment, machineries, plant etc., and ensuring insurance cover on its assets.

Internal Control

17. The Company has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation

18. The Company has adopted automatic power factor control mechanism for efficient energy conservation and setting up 30KWP solar power plant as alternative source of energy

on top of Service Block inside the yard. Every possible automation methodology has been adopted for better functioning. The Company has not incurred any expenses in foreign currency during the year 2021-22.

Corporate Social Responsibility

19. Since, the Company is in the final stage of its project implementation and is yet to commence its operations, no attempt has been taken for Corporate Social Responsibility. In due course, efforts will be ensured towards the Corporate Social Responsibility aspects of the organisation.

assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/ supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Cautionary statement

20. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations,

Kochi
May 03, 2022

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Report on Corporate Governance

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Hooghly Cochin Shipyard Limited ("HCSL/ Company") believes that good Corporate Governance facilitates effective and prudent management that can deliver the long-term success of the Company. Considering this, HCSL strives for good governance practices through transparency, fairness, accountability and stakeholder engagement. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. However, the Company has prepared the report on Corporate Governance in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by DPE.

Board of Directors

2. The Company was formed as a Joint Venture between Cochin Shipyard Limited (CSL) and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) and as per the Joint Venture agreements, the Board shall comprise of not more than 11 persons. HDPEL shall have the right to nominate such

4. As on March 31, 2022, the Board of the Company consists of six Non-Executive Directors. The Company has a Non-Executive Chairman. The composition of the Board during the financial year ended March 31, 2022 is as follows:-

Sl. No.	Name of the Director	Director Identification Number (DIN)	Category of Directorship
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman
2.	Shri N V Suresh Babu #	07482491	Non-Executive Director
3.	Shri Bejoy Bhasker*	08103825	Non-Executive Director
4.	Shri Jose V J	08444440	Non-Executive Director
5.	Shri Sreejith K Narayanan**	09543968	Non-Executive Director
6.	Smt. Anjana K R**	09545253	Non-Executive Director
7.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	Non-Executive Director

Shri N V Suresh Babu (DIN: 07482491) ceased to be Director with effect from May 01, 2021 consequent to his retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in Cochin Shipyard Limited, the holding Company.

* Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company in the fourth Annual General Meeting held on September 15, 2021.

** Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), Chief General Manager (Ship Repair), CSL and Smt. Anjana K R (DIN: 09545253), General Manager (Design), CSL, were appointed as CSL's Nominee Directors in the Board of Directors of HCSL for a period of three years with effect from March 26, 2022, coterminous with their service in CSL or until further orders, whichever is earlier.

number of Directors as is proportionate to its shareholding in the Company subject to a minimum of two so long as the shareholding of HDPEL is maintained at a minimum of 10% in the Company. CSL shall have the right to nominate the remaining Directors subject to a minimum of 3 Directors, who shall be nominated for appointment on behalf of CSL by the Chairman and Managing Director of CSL.

3. However, as part of the 'Proposal for Liquidation & Restructuring of and providing improved Voluntary Retirement Scheme (VRS) for the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL)', the Union Cabinet on October 03, 2019 accorded its approval for outright purchase by CSL of the Company's shares held by HDPEL at book value. Pursuant to the said approval, the 57,20,000 HCSL shares held by HDPEL was transferred to CSL on November 01, 2019 and with effect from the said date, HCSL became a wholly owned subsidiary of CSL. In view of the above and as per the existing Articles of Association of the Company and the approval of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on the Reconstitution of Governance Structure of Subsidiaries of CSL, the Chairman and Managing Director of CSL is authorized to nominate amongst the Whole-time Directors and officers of CSL not below the rank of General Manager, for appointment on the Board of HCSL.

5. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil
6. The profile of the Directors who were on the Board of the Company as on March 31, 2022, including the nature of their expertise in specific functional areas is given in the first part of the Annual Report. The details of Directorships and committee positions held by these Directors are provided under the heading 'Directorships and Committee positions' below.

Attendance of Directors at Board Meetings and last Annual General Meeting (AGM)

7. Four Board Meetings and an Extraordinary General Meeting (EGM) were held during the year under review. The gap between any two Board meetings has been less than one hundred and twenty days. The 04th Annual General Meeting (AGM) of HCSL was held on September 15, 2021. The details of attendance of Directors at the said Board Meetings, EGM and AGM are given below:

Name of the Director	Board Meeting				EGM	AGM
	2021			2022	May 27,	Sep 15,
	May 07	Aug 05	Nov 08	Feb 03	2021	2021
Shri Madhu S Nair	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*
Shri Bejoy Bhasker	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
Shri Jose V J	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
Shri Chandra Mani Rout	✗	✓*	✗	✓*	✗	✓*

* Attended through audio visual means.

Directorships and Committee positions

8. The total number of Directorship(s)/Chairmanship(s) held by Directors and the positions of Membership/Chairmanship on Committees including Hooghly Cochin Shipyard Limited, as on March 31, 2022 are given below:

Name of the Director	No. of Directorship		Board Committees	
	Chairman	Member	Chairman	Member
Shri Madhu S Nair		3	-	-
Shri Bejoy Bhasker		-	3	1
Shri Jose V J		-	3	1
Shri Chandra Mani Rout		-	1	-
Shri Sreejith K Narayanan		-	1	-
Smt. Anjana K R		-	1	-

- The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships and Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- Memberships/ Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.

Board Committees

9. The Company is in the process of setting up the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge to commence the operations. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance.

10. The Company has constituted a Securities Offer, Allotment and Transfer Committee. The Composition of the Committee as on the date of this report and attendance record of members in the meetings held during the financial year 2021-22 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	No. of Meetings Attended
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman	3
2.	Shri N V Suresh Babu*	07482491	Member	N.A.
3.	Shri Jose V J	08444440	Member	3

* Shri N V Suresh Babu ceased to be Director with effect from May 01, 2021.

11. Three meetings of the Committee were held during the financial year 2021-22 on May 07, 2021, August 25, 2021 and September 03, 2021 respectively. All the members were present at the said meetings.

General Body Meetings

12. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings (AGM) were as follows:

Financial Year	Date & Time	Venue	Special Resolution passed
2020-21	September 15, 2021	CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala - 682015	No
2019-20	August 04, 2020 at 11.00 hrs.	Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala - 682015	No
2018-19	July 12, 2019 at 10.00 hrs.	The Lalit Great Eastern Kolkata, 1,2,3 Old Court House Street, Dalhousie Square, Kolkata, West Bengal – 700069	No

13. Further, the Company has also conducted an Extra Ordinary General Meeting (EGM) during the financial year 2021-22, the details of which are given below:

Date & Time	Venue	Special Resolution passed
May 27, 2021	Through Electronic Mode	Yes*

* Special Resolution for change of Registered Office of the Company.

14. The fifth AGM of the Company is scheduled to be held on September 19, 2022 at 11.00 hrs. at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala - 682015.

Other Disclosures

- (i) Related Party Transactions

15. During the year under review, the Company has not entered into any materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interests of the Company at large.

- (ii) Non-compliance by the Company

16. There were no cases of non-compliance by the Company and no penalties/ strictures were imposed on the Company by any statutory authority on any matter related to any guidelines issued by Government, during the last three years.

- (iii) Whistle Blower Policy

17. The Company has an effective Whistle Blower Policy which provides the framework for Stakeholders to report to the management, instances of illegal or unethical practices, unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of

the Company's code of conduct or ethics policy. The Whistle Blower and Fraud Prevention Policy adopted by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding Company, is applicable on the Company and acts as the Whistle Blower Policy/ Vigil Mechanism of Hooghly Cochin Shipyard Limited. The said Policy has been hosted on the website of CSL and can be accessed at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68. During the period under report no personnel has been denied access to the Audit Committee of CSL.

- (iv) Compliance with DPE Guidelines on Corporate Governance

18. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance.

- (v) Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years.

19. The Company has been complying with the Presidential Directives issued by Central Government with respect to the Public Sector Undertakings (PSU), wherever applicable.

- (vi) Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business.

NIL

- (vii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and top management.

NIL

- (viii) The administrative and office expenses of the Company for the year 2021-22 were 47.86% (60.27% PY) of the total expenses. The financial expenses stood at 13.29% (16.86% PY) of the total expenses in the year 2021-22.

- (ix) Means of communication of results

20. The Company, a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL) is ready to commence the

operations. As the Company's shares are not listed in any of the stock exchanges, there is no statutory requirement for publishing the quarterly/ half yearly/ annual results. However, the consolidated financial results (quarterly/ half yearly/ annual) of CSL which takes into account the financial results of the Company as well is published as per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The annual reports and the official news releases of the Company is placed at CSL's website www.cochinshipyard.in and the same shall be made available at the Company's website at www.hooghlycsl.com

- (x) Audit Qualifications

21. The Report submitted by the Statutory Auditors, M/s. RADS & Co., with respect to the financial statements of the Company for the financial year 2021-22 does not contain any adverse remark.

- (xi) Training of Board Members

22. Presently, the Company is focusing on putting in place the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge to commence the operations and in the course of time the Board members will be provided training in various areas for the success of the business.

Address for Correspondence:

Hooghly Cochin Shipyard Limited
Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah, West Bengal – 711 109
Tel: +91 (33) 26888282
Email: secretary.hcsl@cochinshipyard.in

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Kochi
May 03, 2022

Independent Auditor's Report

To
The Members of
Hooghly Cochin Shipyard Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of HOOGLHY COCHIN SHIPYARD LIMITED (the "Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Statement of Profit and Loss, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "standalone financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 as amended (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022, the loss, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing ("SA"s) specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibilities for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company

in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient

and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
- Based on the verification of the records of the Company and based on information and explanations given to us we give report in "Annexure B" on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143(5) of the Act.
- As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:
 - We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account.
 - In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act.
 - On the basis of the written representations received from the Directors as on March 31, 2022 taken on record by the Board of Directors, none of the Directors

is disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a Director in terms of Section 164(2) of the Act.

- With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.
- With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Act, as amended: In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its Directors during the year is in accordance with the provisions of Section 197 of the Act.
- With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - The Company does not have any pending litigation which would impact its financial position.
 - The Company does not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest

in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

- b) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

- c) Based on such audit procedures performed that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) contain any material misstatement.
- v. The Company has not declared any dividend during the year.

For RADS & Co.

Chartered Accountants
[FRN: 320298E]

Dhiraj Kumar Agarwal

Partner

Kolkata
May 03, 2022

Membership Number: 067872
UDIN: 22067872AJCGIM4848

Annexure 'A' to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited of even date)

To The Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited

- (i) (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.
- (B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangibles assets.
- (b) According to the information and explanations provided to us, Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management during the year and no material discrepancies were identified on such verification.
- (c) According to the information and explanations provided to us, the records examined by us, we report that, the Company does not have any freehold immovable properties of land and buildings as at the balance sheet date. In respect of immovable properties of land and building that have been taken on lease and disclosed as fixed assets in the standalone financial statements, the lease agreements are in the name of the Company.
- (d) According to the information and explanations provided to us, the Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of use assets) or intangible assets during the year.
- (e) According to the information and explanations provided to us, there are no proceedings initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 and rules made thereunder.
- (ii) (a) The Company does not have any physical inventories. Accordingly, reporting under Clause 3 (ii)(a) of the Order is not applicable to the Company.
- (b) The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of ₹ 5 Crores in aggregate from banks or financial institutions during any point of time of the year on the basis of security of current assets.

Accordingly, the requirement to report on Clause 3(ii) (b) of the Order is not applicable to the Company.

- (iii) (a) According to the information and explanations given to us, during the year the Company has not provided advances in the nature of loans, or provided security or stood guarantee to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties.
- (b) According to the information and explanations provided to us, the terms and conditions of the grant of loans are not prejudicial to the Company's interest. Also, during the year the Company has not made investments, provided guarantees, provided security and granted advances in the nature of loans to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties.
- (c) According to the information and explanations provided to us, the Company has not granted any loan to entities covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013.
- (d) According to the information and explanations provided to us, there are no amounts of loans and advances in the nature of loans granted to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties which are overdue for more than ninety days.
- (e) According to the information and explanations provided to us, there were no loans or advance in the nature of loan granted to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties which have fallen due during the year, that have been renewed or extended or fresh loans granted to settle the overdues of existing loans given to the same parties.
- (f) According to the information and explanations provided to us, the Company has not granted any loans or advances in the nature of loans, either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Accordingly, the requirement to report on Clause 3(iii)(f) of the Order is not applicable to the Company.
- (iv) According to the information and explanations provided to us, there are no loans granted, investments made, guarantees and securities given by the Company to which provisions of Sections 185 and 186 of the Act are applicable

and accordingly, the requirement to report on clause 3(iv) of the Order is not applicable and hence not commented upon.

- (v) The Company has neither accepted any deposits from the public nor accepted any amounts which are deemed to be deposits within the meaning of Sections 73 to 76 of the Companies Act and the rules made thereunder, to the extent applicable. Accordingly, the requirement to report on Clause 3(v) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (vi) To the best of our knowledge and as explained, the Central Government has not specified the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013, for the products of the Company.
- (vii) (a) Undisputed statutory dues including goods and services tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, duty of custom, cess and other applicable statutory dues have generally been regularly deposited with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us and based on audit procedures performed by us, no undisputed amounts payable in respect of applicable statutory dues were outstanding, at the year end, for a period of more than six months from the date they became payable.
- (b) There are no dues of goods and services tax, provident fund, employees' state insurance, income tax, sales-tax, service tax, customs duty, excise duty, value added tax, cess, goods and service tax and other statutory dues which have not been deposited on account of any dispute.
- (viii) According to the information and explanations provided to us, the Company has not surrendered or disclosed an income in tax assessments during the year under the Income tax Act, 1961 any transaction, previously not recorded in the books of account. Accordingly, the requirement to report on Clause 3(viii) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (ix) (a) According to the information and explanations provided to us, the Company has not defaulted in repayment of any dues to financial institutions, banks, governments, or debenture holders.
- (b) According to information and explanations provided to us, the Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
- (c) According to the information and explanations provided to us, the Company did not have any

term loans outstanding during the year hence, the requirement to report on Clause (ix)(c) of the Order is not applicable and hence not commented upon.

- (d) According to the information and explanations provided to us and based on the overall examination of the financial statements, no funds raised by the Company on short-term basis have been used for long-term purposes.
- (e) On an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiary. Hence, the requirement to report on Clause (ix)(e) of the Order is not applicable to the Company.
- (f) The Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiary. Hence, the requirement to report on Clause (ix)(f) of the Order is not applicable to the Company.
- (x) (a) The Company has not raised any money during the year by way of initial public offer/ further public offer (including debt instruments) hence, the requirement to report on Clause 3(x)(a) of the Order is not applicable to the Company.
- (b) According to the information and explanations provided to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares/ fully or partially or optionally convertible debentures during the year. Accordingly, the requirement to report on Clause 3(x)(b) of the Order is not applicable and hence not commented upon.
- (xi) (a) Based upon the audit procedures performed for the purpose of reporting the true and fair view of the financial statements and according to the information and explanations provided to us, we report that no fraud by the Company or no material fraud on the Company by the officers and employees of the Company has been noticed or reported during the year.
- (b) During the year, no report under Sub-section (12) of Section 143 of the Companies Act, 2013 has been filed by cost auditor or secretarial auditor or by us in Form ADT - 4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.
- (c) As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the Company during the year.

(xii) In our opinion, the Company is not a nidhi Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. Therefore, the requirements to report on Clause 3(xii)(a) (b) and (c) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable, for all transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the standalone financial statements as required by the applicable accounting standards.

(xiv) (a) In our opinion and based on our examination, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the internal audit reports of the Company issued till date, for the period under audit.

(xv) According to the information and explanations provided to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected with its Directors. Accordingly, requirement to report on Clause 3(xv) of the Order is not applicable to the Company and hence not commented upon.

(xvi) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the provisions of Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) are not applicable to the Company. Accordingly, the requirement to report on Clause (xvi)(a) of the Order is not applicable and hence not commented upon.

(b) According to the information and explanations provided to us, the Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities as per the Reserve Bank of India Act, 1934.

(c) According to the information and explanations provided to us, the Company is not a Core Investment Company as defined in the regulations made by Reserve Bank of India. Accordingly, the requirement to report on Clause 3(xvi) of the Order is not applicable and hence not commented upon.

(d) According to the information and explanation provided to us, there are no Core Investment Companies in the Group as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions. Accordingly, the requirement to report on Clause 3(xvi) of the Order is not applicable and hence not commented upon.

(xvii) The Company has incurred a cash loss of ₹ 342.85 Lakhs during the year and a cash loss of ₹ 374.93 Lakhs during the immediately preceding financial year.

(xviii) There has been no resignation of statutory auditors of the Company during the year. Accordingly, requirement to report on Clause 3(xviii) of the Order is not applicable and hence not commented upon.

(xix) In our opinion and according to the information and explanations provided to us and on the basis of the financial ratios disclosed in Note 37 to the financial statements, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the plans of the Board of Directors and management nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of our audit report that Company is not capable of meeting its liabilities as at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the date of balance sheet. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that the Company will not be able to meet all liabilities as and when they fall due within a period of one year from the date of balance sheet.

(xx) (a) In respect of other than ongoing projects, there are no unspent amounts that are required to be transferred to a fund specified in Schedule VII of the Companies Act (the Act), in compliance with second proviso to Sub-section 5 of Section 135 of the Act.

(b) In our opinion and according to the information and explanations provided to us, there are no unspent amounts in respect of ongoing projects, that are required to be transferred to a special account in accordance of provision of Sub-section (6) of Section 135 of Companies Act. Accordingly, the requirement to report on Clause 3(xx)(b) of the Order is not applicable and hence not commented upon.

For RADS & Co.

Chartered Accountants

[FRN: 320298E]

Dhiraj Kumar Agarwal

Partner

Kolkata
May 03, 2022

Membership Number: 067872
UDIN: 22067872AJCGIM4848

Annexure 'B'

to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited of even date)

Report on the Directions under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the year ended 31 March, 2022

Based on the verification of the records of the Company and based on information and explanations given to us we give here below a report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143(5) of the Act:

- The Company's accounting records are maintained in IT system. As such, there is no recording of transactions outside the system, and hence no financial implication in this respect.
- There has been no instance of restricting of existing loans or instances of waiver/write off of debts/loans/interest etc. during the year.
- The Company has not received any specific funds under any specific scheme and as such the question of utilisation does not arise.

For RADS & Co.

Chartered Accountants
[FRN: 320298E]

Dhiraj Kumar Agarwal

Partner

Membership Number: 067872
UDIN: 22067872AJCGIM4848

Kolkata
May 03, 2022

Annexure 'C'

to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 3 (f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-Section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of HOOGLHY COCHIN SHIPYARD LIMITED (the "Company") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance

Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with Generally Accepted Accounting Principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorisations of management and Directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial

reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal financial control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For RADS & Co.

Chartered Accountants
[FRN: 320298E]

Dhiraj Kumar Agarwal

Partner

Membership Number: 067872
UDIN: 22067872AJCGIM4848

Kolkata
May 03, 2022

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of Hooghly Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the Management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 03 May 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Hooghly Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2022 under Section 143(6)(a) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor-General of India**

(Suparna Deb)

Director General of Audit (Mines), Kolkata

Kolkata
June 02, 2022

Balance Sheet

as at 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
ASSETS			
(1) Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	2	14,537.12	11.59
(b) Right of Use Assets	3	579.12	589.47
(c) Intangible assets	4	550.06	559.77
(d) Capital work-in-progress	5	1,386.80	12,211.97
(e) Financial Assets:			
(i) Other financial assets	6	0.36	0.34
(f) Deferred tax assets (net)	7	253.34	154.48
(g) Income tax assets (net)	8	22.60	51.06
(h) Other non-current assets	9	44.81	47.66
		17,374.21	13,626.34
(2) Current assets			
(a) Financial assets			
(i) Trade Receivables	10	49.96	-
(ii) Cash and cash equivalents	11	3,193.70	3,621.57
(iii) Bank balances other than Cash and cash equivalents	12	109.07	105.61
(iv) Other financial assets	13	3.82	6.09
(b) Other current assets	14	1,142.28	773.96
		4,498.83	4,507.23
Total Assets		21,873.04	18,133.57
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity Share capital	15	5,000.00	5,000.00
(b) Other Equity	16	(1,018.33)	(734.72)
		3,981.67	4,265.28
Liabilities :			
(1) Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities:			
(i) Borrowings	17	13,100.00	10,000.00
(ii) Lease liabilities	18	621.08	607.34
(b) Provisions	19	9.09	-
		13,730.17	10,607.34
(2) Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Lease liabilities	20	43.08	42.03
(ii) Other financial liabilities	21	2,671.09	564.32
(b) Other current liabilities	22	32.90	34.27
(c) Provisions	23	1,414.13	2,620.33
		4,161.20	3,260.95
Total Equity and Liabilities		21,873.04	18,133.57
Notes forming part of the financial statements	1-39		

In terms of our report of even date

For and on behalf of Board of Directors

For **RADS & CO**Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)**MADHU S NAIR**Chairman
(DIN 07376798)**JOSE V J**Director
(DIN 08444440)**SHEKHAR CHAKRAVARTY**

Chief Executive Officer

DHIRAJ KUMAR AGARWALPartner
(Membership No. 067872)**SAIBAL CHATTOPADHYAY**

Chief Financial Officer

KIRAN K ACompany Secretary
M. No. A36050Kolkata
May 03, 2022Kochi
May 03, 2022

Statement of Profit and Loss

for the year ended 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
I Income			
Revenue from operations	24	41.78	-
Other income	25	3.38	40.77
Total Income		45.16	40.77
II Expenses:			
Sub contract and other direct expenses	26	17.08	-
Employee benefit expenses	27	66.90	25.28
Finance costs	28	56.82	75.57
Depreciation & Amortisation expenses	29	39.62	32.61
Other expenses	30	247.21	314.85
Total expenses		427.63	448.31
III Profit/(Loss) before tax		(382.47)	(407.54)
IV Tax expense:			
(1) Current tax		-	-
(2) Deferred tax	7	(98.86)	(91.84)
V Profit/(Loss) for the year		(283.61)	(315.70)
VI Other comprehensive income/(loss)			
Total other comprehensive income/(loss) for the year		-	-
VII Total Comprehensive Income/(loss) for the year		(283.61)	(315.70)
VIII Earnings per equity share of ₹ 10 each:			
(1) Basic (₹)	31	(0.57)	(0.95)
(2) Diluted (₹)	31	(0.57)	(0.95)
IX Notes forming part of the financial statements	1-39		

In terms of our report of even date

For and on behalf of Board of Directors

For **RADS & CO**Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)**MADHU S NAIR**Chairman
(DIN 07376798)**JOSE V J**Director
(DIN 08444440)**SHEKHAR CHAKRAVARTY**

Chief Executive Officer

DHIRAJ KUMAR AGARWALPartner
(Membership No. 067872)**SAIBAL CHATTOPADHYAY**

Chief Financial Officer

KIRAN K ACompany Secretary
M. No. A36050Kolkata
May 03, 2022Kochi
May 03, 2022

Statement of Cash Flows

for the year ended 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
A. Cash flows from operating activities:		
Profit before tax	(382.47)	(407.54)
Adjustments for:-		
Depreciation and amortisation	39.62	32.61
Finance cost	56.82	75.57
Interest income	(0.90)	(26.10)
Unwinding of security deposit	(0.03)	(0.03)
Amortisation of advance lease rent	0.66	0.66
Operating Profit before changes in non-current/current assets and liabilities	(286.30)	(324.83)
Adjustments for:		
(Increase) / Decrease in trade receivable and other current assets	(418.28)	(251.66)
(Increase) / Decrease in other non-current assets	2.18	208.72
Increase / (Decrease) in current liabilities	1,659.71	236.81
Increase / (Decrease) in provisions	(1,197.11)	2,122.75
Cash generated from/(used in) operations	(239.80)	1,991.79
Income Tax Paid	28.46	(6.54)
Net cash from/(used in) operating activities	(211.34)	1,985.25
B. Cash flows from investing activities		
Purchase of Property Plant and Equipment	(31.59)	(0.07)
Investment in CWIP	(2,956.62)	(8,570.42)
Interest received	3.17	26.78
Net (Investment in) / Redemption of Term Deposits	(3.46)	(5.61)
Net cash from/(used in) investing activities	(2,988.50)	(8,549.32)
C. Cash flows from financing activities		
Payment of lease liabilities	(42.03)	(44.84)
Proceeds from issue of rights shares	-	2,800.00
Proceeds from issue of Debentures	3,100.00	-
Proceeds from issue of preference shares	-	5,600.00
Proceeds from availment of short term loan	-	1,000.00
Repayment of Short term loan	-	(1,000.00)
Interest paid	(286.00)	-
Net cash from/(used in) financing activities	2,771.97	8,355.16
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents	(427.87)	1,791.09
Opening cash and cash equivalents	3,621.57	1,830.48
Closing cash and cash equivalents (refer note 11)	3,193.70	3,621.57
Notes forming part of the financial statements 1-39		

In terms of our report of even date

For and on behalf of Board of
Directors

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

JOSE V J
Director
(DIN 08444440)

SHEKHAR CHAKRAVARTY
Chief Executive Officer

DHIRAJ KUMAR AGARWAL
Partner
(Membership No. 067872)

SAIBAL CHATTOPADHYAY
Chief Financial Officer

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

Kolkata
May 03, 2022

Kochi
May 03, 2022

Statement of Changes in Equity

for the year ended 31st March, 2022

A. Equity Share Capital

(₹ in Lakhs)

Balance as at 1st April, 2021	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance as at 31st March, 2022
5,000.00	-	-	-	5,000.00

(₹ in Lakhs)

Balance as at 1st April, 2020	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes during the year	Balance as at 31st March, 2021
2,200.00	-	-	2,800.00	5,000.00

B. Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	Retained Earnings	Total
Balance as at 1st April, 2021	(734.72)	(734.72)
Changes in accounting policy/prior period errors	-	-
Restated balance at the beginning of the current reporting period	(734.72)	(734.72)
Total Comprehensive Income for the year	(283.61)	(283.61)
Dividends	-	-
Transfer to retained earnings	-	-
Balance as at 31st March, 2022	(1,018.33)	(1,018.33)

(₹ in Lakhs)

Particulars	Retained Earnings	Total
Balance as at 1st April, 2020	(419.02)	(419.02)
Changes in accounting policy/prior period errors	-	-
Restated balance at the beginning of the current reporting period	(419.02)	(419.02)
Total Comprehensive Income for the year	(315.70)	(315.70)
Dividends	-	-
Transfer to retained earnings	-	-
Balance as at 31st March, 2021	(734.72)	(734.72)

C. Notes forming part of the financial statements

Notes 1-39

In terms of our report of even date

For and on behalf of Board of
Directors

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

JOSE V J
Director
(DIN 08444440)

SHEKHAR CHAKRAVARTY
Chief Executive Officer

DHIRAJ KUMAR AGARWAL
Partner
(Membership No. 067872)

SAIBAL CHATTOPADHYAY
Chief Financial Officer

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

Kolkata
May 03, 2022

Kochi
May 03, 2022

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1 Statement of compliance

These financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013. In accordance with the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs, the holding Company, Cochin Shipyard Limited, has adopted Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 with effect from 1st April, 2016. The Company HCSL has prepared its financial statements in accordance with Ind AS as applicable to its Holding Company Cochin Shipyard Limited which has decisive majority of its equity share capital.

1.2 Basis of preparation of financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the historical cost convention, except for certain items that are measured at fair values, as explained in the accounting policies.

The financial statements have been prepared under the historical cost convention with the exception of certain assets and liabilities that are required to be carried at fair value by Ind AS.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are

recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Operating Cycle

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013 and Ind AS 1 – Presentation of Financial Statements based on the nature of operations and the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents.

1.3 Critical accounting estimates and judgements

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Useful lives of Property, Plant and Equipment

The Company reviews the estimated useful lives and residual values of Property, Plant and Equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets and liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items. Also, in this connection Note no.1.16 on Deferred tax may be referred to.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstances known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Contingencies and commitments

The normal course of business may give rise to circumstances that have the potential to cast future liabilities on the Company resulting in outflow of resources in the future. These circumstances may include claims against the Company that are disputed by it. The crystallization of such liabilities and their quantum depend upon the outcome of certain events, viz., judgements in lawsuits that cannot be predicted. These liabilities are not recognized in the financial statements, but the circumstances that give rise to them are disclosed as part of the notes thereto.

Recoverability of advances/ receivables

The Company makes provision for expected credit loss based on assessment of the recoverability of trade and other receivables. The identification of doubtful debts requires use of judgement and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account of provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each Balance Sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding receivables and advances.

Fair value measurement

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instruments. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in arms length transaction at the reporting date.

1.4 Leases

As a lessee

Leases are classified as finance leases whenever the terms of lease transfer substantially all the risks and rewards of

ownership to the lessee. Leases where a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases.

(i) Accounting for Leases

The Company in accordance with the relevant applicable accounting standards has identified the leased out assets that conveys the holder of the asset for the Right of Use of the identified asset either explicitly or implicitly in the contract that contains the lease agreement for a period of time in exchange for a consideration.

(ii) Recognition of Right of Use and Lease Liability

The Right of Use (ROU) for the identified asset and equivalent lease liability for the period of lease are recognised at the inception of the lease and disclosed in the Balance sheet. ROU will be measured at cost and lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at the initial recognition date. The present value of lease liability is determined using the interest rate implicit in the lease or incremental borrowing rate as applicable. Such lease accounting is not applied in cases where the lease term is of shorter term of less than 12 months or for which the underlying value is low.

The ROU arrived at shall be remeasured in subsequent periods at cost less accumulated amortisation and impairment. The lease liability shall be remeasured subsequently at amortised cost using the effective interest rate method.

As a lessor

Lease income is recognised based on the lease agreements and is charged to the standalone statement of Profit or Loss.

1.5 Property, Plant and Equipment (PPE)

PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates, The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition. PPE are stated at cost less accumulated depreciation (other than freehold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when it is replaced. All other expenses on repairs and maintenance are charged to Statement of Profit and Loss during the reporting period in which they are incurred.

1.6 Capital work in progress

Capital work in progress are items of Property, Plant and Equipment that are under construction or development and are not yet ready for their intended use at the reporting date. These are carried at cost comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

1.7 Depreciation

Depreciation is calculated on cost of items of Property, Plant and Equipment less their estimated residual values and is charged to Standalone Statement of Profit and Loss. Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided on straight line method based on useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. An item of Property, Plant & Equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/ loss arising on derecognition of the asset is included in the standalone Statement of Profit and Loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in standalone financial statements at residual value.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Useful lives considered for calculation of depreciation for various asset classes are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings including electrical installations	3-60 years
Plant & Machinery	15 years
Furniture & Fixtures	10 years
Office Equipments	5 years
Data processing equipments including Software	3 years
Roads	10 years
Fences	5 years

The useful lives have been determined based on internal evaluation done by management and are in line with the estimated useful lives, to the extent prescribed by the Schedule II of the Companies Act, 2013, in order to reflect the technological obsolescence and actual usage of the asset. The residual values are not more than 5% of the original cost of the asset.

Depreciation is calculated on a pro-rata basis for assets purchased/ sold during the period.

1.8 Intangible Assets

Up-front fees and/ or other consideration paid for securing right to use of land and other facility is capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over the period for which the right is acquired, commencing from the date on which the right becomes capable of being exercised.

1.9 Financial instruments

Financial assets and liabilities are recognised when the entity becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding, and by selling financial assets.

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in profit or loss.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

Financial liabilities

Financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Off setting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are set off and the net amount is reported in financial statements if there is a

currently enforceable legal right to off set the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

1.10 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent assets are not disclosed in the financial statements unless an inflow of economic benefits is probable.

1.11 Revenue Recognition

Revenue from contracts with customers is measured based on transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable. Revenue is recognized when the Company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship repair.

Interest income on financial assets (including deposits with banks) is recognised using the effective interest method on a time proportionate basis

1.12 Employee Benefits

Short-term employee benefits

Employee benefit liabilities such as salaries, wages and bonus, etc., that are expected to be settled wholly within twelve months after the end of the reporting period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at an undiscounted amount expected to be paid when the liabilities are settled

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Post-employment benefit plans

Defined contribution plans

The Company pays provident fund contributions to the appropriate government authorities. The Company has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are accounted for as defined contribution plans and the contributions are recognised as employee benefits expense when an employee renders the related service.

Defined benefit plans

Defined benefit plans of the Company comprises gratuity. The Company has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lump sum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment, of an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment. Vesting occurs upon completion of five years of service. The gratuity plan of the Company is unfunded. The liability recognised in the Standalone Balance Sheet in respect of defined benefit gratuity plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period. The defined benefit obligation is calculated by actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation. The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation. This cost and other costs are included in employee costs in the Standalone Statement of Profit and Loss. Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised immediately in the Standalone Balance Sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods. Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from settlement or curtailments are recognised immediately in Standalone Statement of Profit and Loss as past service cost.

Other long-term employee benefits

Compensated absences

The Company's net obligation in respect of compensated absences is the amount of benefit to be settled in future, that employees have earned in return for their service in the current and previous periods. The benefit is discounted to determine its present value. The obligation is measured on the basis of an actuarial valuation using the projected unit credit method. Remeasurements are recognised in Standalone Statement of Profit and Loss in the period in which they arise.

1.13 Borrowing costs

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalised as part of cost of such assets up to the date when such assets are ready for intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to the statement of Profit/ Loss in the period in which they are incurred.

1.14 Prior Period Adjustments

Prior period adjustments due to errors having material impact on the financial affairs of the Company are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest financial period presented, by restating the opening statement of financial position.

1.15 Taxes on Income

Tax expense comprises of current tax and deferred tax. It is recognised in the Standalone Statement of Profit and Loss except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity.

Current tax

Current tax comprises the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years. The amount of current tax

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

reflects the best estimate of the tax amount expected to be paid or received after considering the uncertainty, if any relating to income taxes. It is measured using tax rates enacted for the relevant reporting period. Current tax assets and current tax liabilities are offset only if there is a legally enforceable right to set off the recognised amounts, and it is intended to realise the asset and settle the liability on a net basis

Deferred tax

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the corresponding amounts used for taxation purposes. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognised for unused tax losses, unused tax credits and deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be used. Deferred tax assets, are reviewed at each reporting date and are recognised/ reduced to the extent that it is probable/ no longer probable respectively that the related tax benefit will be realised. Significant management judgement is required to determine the probability of deferred tax asset. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised or liability is settled, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date. The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow from the manner in which

the Company expects, at the reporting date, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset only if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets levied by the same tax authorities.

1.16 Earnings Per Share

Basic and diluted earnings per share are calculated by dividing the net profit attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares/ dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the reporting period as the case may be.

1.17 Cash flow statement

Cash flows are reported using the Indirect Method, whereby profit/ loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. Cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of cash flow statement, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 2 : Property, Plant and Equipment

2.1 Tangible Assets

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block		
	As at 1st April, 2021	Additions during the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2022	As at 1st April, 2021	For the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Buildings: Temporary Structure	26.81	-	-	26.81	19.57	5.90	-	25.47	7.24
Office Buildings*	-	1,146.41	-	1,146.41	-	0.24	-	0.24	-
Factory Buildings*	-	7,740.13	-	7,740.13	-	3.19	-	3.19	-
Plant and Machinery	1.90	3,950.60	-	3,952.50	0.18	3.42	-	3.60	1.72
Furniture and Fixtures	0.28	42.95	-	43.23	0.08	0.08	-	0.16	0.20
Office Equipments	0.17	33.55	-	33.72	0.05	0.24	-	0.29	0.12
Data Processing Equipments	7.72	10.91	-	18.63	5.76	3.70	-	9.46	1.96
Roads*	-	309.77	-	309.77	-	0.38	-	0.38	-
Fences	-	452.91	-	452.91	-	1.12	-	1.12	-
Electrical Installations-Office buildings	-	106.84	-	106.84	-	0.02	-	0.02	-
Electrical Installations-Factory buildings	-	721.93	-	721.93	-	0.30	-	0.30	-
Motor Vehicles	-	29.09	-	29.09	-	0.80	-	0.80	-
Total	36.88	14,545.09	-	14,581.97	25.64	19.39	-	45.03	11.24
Previous Year	36.81	0.07	-	36.88	14.54	11.10	-	25.64	11.24

2.2 Intangible Assets

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block		
	As at 1st April, 2021	Additions during the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2022	As at 1st April, 2021	For the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Software	0.53	-	-	0.53	0.18	0.17	-	0.35	0.35
Total	0.53	-	-	0.53	0.18	0.17	-	0.35	0.35
Previous Year	0.53	-	-	0.53	0.01	0.17	-	0.18	0.35

* The title deeds of Office Building, Factory Building and Roads are not held in the name of Company, as the land is in the name of Government of India which were taken on lease for a period of 99 years and the Company had constructed immovable properties on the same.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 3 : Right of Use Assets

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block		
	As at 1st April, 2021	Additions during the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2022	As at 1st April, 2021	For the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Value of Right of use - Land at Nazirgunge (5.31 Acres)	128.36	-	-	128.36	4.36	2.18	-	6.54	124.00
Value of Right of use - Land at Nazirgunge (10.45 Acres)	248.86	-	-	248.86	7.40	4.24	-	11.64	241.46
Value of Right of use - Land at Salkia (9.91 Acres)	228.91	-	-	228.91	4.90	3.93	-	8.83	224.01
Total	606.13	-	-	606.13	16.66	10.35	-	27.01	589.47
Previous Year	377.22	228.91	-	606.13	5.34	11.32	-	16.66	589.47

Note 4 : Intangible Assets (Value of Leasehold Land)

Particulars	Gross Block			Amortisation			Net Block		
	As at 1st April, 2021	Additions during the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2022	As at 1st April, 2021	For the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Leased Land at Nazirgunge (5.31 Acres)-Right to use	118.94	-	-	118.94	4.20	1.98	-	6.18	114.74
Leased Land at Nazirgunge (10.45 Acres)-Right to use	234.07	-	-	234.07	6.94	3.97	-	10.91	227.13
Leased Land at Salkia (9.91 Acres)-Right to use	221.99	-	-	221.99	4.09	3.76	-	7.85	217.90
Total	575.00	-	-	575.00	15.23	9.71	-	24.94	559.77
Previous Year	353.01	221.99	-	575.00	5.20	10.03	-	15.23	559.77

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 5 : Capital work-in-progress

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Project Management fees and miscellaneous capital expenditure	1,386.80	12,211.97
Total	1,386.80	12,211.97

CWIP ageing schedule as at 31st March, 2022 is given below:

(₹ in Lakhs)

Projects in Process	Amount of CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Fire fighting works	46.18	130.05	68.22	-	244.45
Gas piping works	14.72	94.23	20.26	-	129.21
ELV works	12.03	59.35	-	-	71.38
Winch and winch systems	13.19	320.23	-	-	333.42
Repositioning of existing slipway	18.63	22.51	-	-	41.14
Cradle system	196.73	234.61	-	-	431.34
10T Capston	26.01	4.82	-	-	30.83
Compressor and Air dryer	88.59	16.44	-	-	105.03
Total	416.08	882.24	88.48	-	1,386.80

CWIP ageing schedule as at 31st March, 2021 is given below:

(₹ in Lakhs)

Projects in Process	Amount of CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Civil works	3,652.81	2,395.88	8.67	-	6,057.36
Electrical Works	476.62	-	-	-	476.62
Gas piping works	74.00	20.26	-	-	94.26
Fire fighting works	91.78	68.22	-	-	160.00
ELV Works	48.18	-	-	-	48.18
HVAC Works	25.37	-	-	-	25.37
250KVA DG set	14.54	-	-	-	14.54
500 KVA DG Set	28.47	-	-	-	28.47
Electronic weigh bridge	18.33	-	-	-	18.33
Winch	268.03	-	-	-	268.03
Plasma cutting machine	295.08	-	-	-	295.08
Hydraulic press	179.90	-	-	-	179.90
Lathe machine	11.52	-	-	-	11.52
Minor cranes	212.86	-	-	-	212.86
Pipe bending machine	70.10	-	-	-	70.10
Plate preservation system	402.45	-	-	-	402.45
Radial drilling machine	13.45	-	-	-	13.45
Vertical milling machine	15.45	-	-	-	15.45
Tower cranes	240.00	-	-	-	240.00

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 5 : Capital work-in-progress (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Projects in Process	Amount of CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Cradle system	167.08	-	-	-	167.08
Gantry crane	254.07	-	-	-	254.07
Storage tank	45.60	-	-	-	45.60
Slipway and lock gate	16.09	-	-	-	16.09
Major cranes	974.39	-	-	-	974.39
Arc welding booth	6.99	-	-	-	6.99
Gas cutting booth	3.70	-	-	-	3.70
Farana crane	16.50	-	-	-	16.50
Pallet truck	0.35	-	-	-	0.35
Civil works-Model room	21.66	-	-	-	21.66
Furniture	35.84	-	-	-	35.84
Moving and manual sheet	356.35	-	-	-	356.35
Battery operated truck	9.20	-	-	-	9.20
Canteen equipments	22.88	-	-	-	22.88
Rack systems	5.75	-	-	-	5.75
Bollard and Fender	11.02	-	-	-	11.02
Signage Boards	6.61	-	-	-	6.61
Paver block	3.49	-	-	-	3.49
Fork lift and stacker	28.82	-	-	-	28.82
Anchor chain	8.06	-	-	-	8.06
Overheads Capitalised	719.11	328.11	538.33	-	1,585.55
Total	8,852.50	2,812.47	547.00	-	12,211.97

The Company has availed of services of personnel from its Holding Company, Cochin Shipyard Limited, on secondment basis towards activities carried out for the augmentation of the project. The Company accounts for the costs incurred on the above personnel on "Cost to Company" (CTC) basis which is to be reimbursed to the service provider. Since these costs are exclusively for refurbishment of the existing facilities, they are taken to Capital work-in-progress under the head Employee Manpower Costs, which will be capitalised on completion of the capital project.

During the year, Company has transferred an amount of ₹ 14,513.50 Lakhs from capital work-in-progress to Property, Plant and Equipment for the projects completed during the financial year 2021-22.

Note 6 : Other Financial Assets: Non-Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Security deposits	0.36	0.34
Total	0.36	0.34

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 7 : Deferred tax assets (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Deferred tax assets	397.52	154.48
Less: Deferred tax liabilities	144.18	-
Total	253.34	154.48

Movement in deferred tax assets/ (liabilities) balances:

Particulars	Net balance 1 April 2021	Recognised in profit or loss	Recognised in OCI	Net balance 31 March 2022
Property, plant and equipment and intangible assets	0.89	(145.06)	-	(144.18)
Unabsorbed depreciation and carry forward of losses	153.59	241.59	-	395.19
Employee related provisions and liabilities	-	2.33	-	2.33
Total	154.48	98.86	-	253.34

Deferred tax assets and deferred tax liabilities have been offset wherever the Company has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and where the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority

In assessing the reliability of deferred income tax assets, the management considers whether some portion or all of the deferred income tax assets will not be realized. The ultimate realization of deferred income tax assets is dependent upon the generation of future taxable income during the periods in which the temporary differences become deductible. The management considers the scheduled reversals of deferred income tax liabilities, projected future taxable income, and tax planning strategies in making this assessment. Based on the projections for future taxable income over the periods in which the deferred income tax assets are deductible, management believes that the Company will realize the benefits of those deductible differences. The amount of the deferred income tax assets considered realizable, however, could be reduced in the near term if estimates of future taxable income during the carry forward period are reduced.

The yard set up by the Company is ready for commencing commercial operations and all major machineries and other ancillary facilities have been commissioned by March 2022. It has already received orders for fabrication of a Cassion Gate from its holding company, Cochin Shipyard Limited. It has also been nominated for building of a Ship Repair Yard at Pandu, Guwahati, Assam from Inland Waterways Authority of India (IWAI) and the Company expects to earn agency commission from the same by execution of the above project. As per Board approved business plan, the Company is expected to start generating profits from the financial year 2024-25. Based on the same, management of the Company believes that, it will earn sufficient future taxable profits to absorb the deferred tax assets.

Note 8 : Income tax assets (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Advance income tax (net of provision for taxation)	22.60	51.06
Total	22.60	51.06

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 9 : Other non-current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Unsecured, considered good		
Security deposits	7.72	9.91
Advance lease rental	37.09	37.75
Total	44.81	47.66

Note 10 : Trade Receivables

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Unsecured, considered good, unless otherwise stated		
Trade Receivables		
From Others	49.96	-
Total	49.96	-

Ageing for trade receivables outstanding as at March 31, 2022 is as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Undisputed trade receivables - considered good	-	49.96	-	-	-	-	49.96
Undisputed trade receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
Undisputed trade receivables - credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables - considered good	-	-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
Disputed trade receivables - credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	49.96	-	-	-	-	49.96

Note 11 : Cash and Cash Equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Balance with Banks		
- In current account*	1,775.44	7.31
- deposits with original maturity of less than three months	1,418.26	3,614.26
Total	3,193.70	3,621.57

*Out of the amount of ₹1,775.44 Lakhs, ₹1,000 Lakhs represents amount received as Security Deposit from Inland Waterways Authority of India (IWAI) towards Pandu Project which will be maintained by the Company in a separate bank account and will be settled at the end of the project. However, the interest earned, if any from the maintenance of such amount will be income to the Company and not to be given to IWAI.

Further, an amount of ₹ 483.51 Lakhs and ₹ 239.40 Lakhs has been received in March, 2022 towards the works for Caisson gate given by CSL and towards the IWAI Project at Pandu respectively.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 12 : Bank Balances other than Cash and Cash Equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	31st March, 2022	31st March, 2021
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	109.07	105.61
Total	109.07	105.61

Note 13 : Other Financial Assets - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	31st March, 2022	31st March, 2021
Interest accrued on fixed deposits	3.82	6.09
Total	3.82	6.09

Note 14 : Other Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	31st March, 2022	31st March, 2021
Unsecured advances		
Miscellaneous deposits (Unutilised GST Input Credit)	1,020.98	709.44
Prepaid expenditure	28.80	0.92
Miscellaneous current assets	92.50	63.60
Total	1,142.28	773.96

Note 15 : Equity Share Capital

Particulars	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 10/- each	6,90,00,000	6,900	6,90,00,000	6,900
Preference shares of ₹ 10/- each	5,60,00,000	5,600	5,60,00,000	5,600
Total	12,50,00,000	12,500	12,50,00,000	12,500
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up				
For Cash	5,00,00,000	5,000	5,00,00,000	5,000
For Consideration other than cash	-	-	-	-
Total	5,00,00,000	5,000.00	5,00,00,000	5,000.00

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 15 : Equity Share Capital (Contd..)

15.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	5,00,00,000	5,000.00	2,20,00,000	2,200.00
Add : shares issued during the year	-	-	2,80,00,000	2,800.00
Equity Shares outstanding at the end of the year	5,00,00,000	5,000.00	5,00,00,000	5,000.00

Rights, Preferences and Restrictions attaching to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹ 10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed/ declared by the Board of Directors is subject to approval/ regularisation by the share holders in the Annual General meeting. All dividends are paid in Indian Rupees. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

15.2 Details of shares held by Holding Company

Particulars	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	No. of Shares held	₹ in Lakhs	No. of Shares held	₹ in Lakhs
Cochin Shipyard Limited: Holds 100% Equity Share Capital	5,00,00,000	5,000.00	5,00,00,000	5,000.00
Total	5,00,00,000	5,000.00	5,00,00,000	5,000.00

15.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the Company

Particulars	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	No. of Shares held	% of holding	No. of Shares held	% of holding
Cochin Shipyard Limited	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100
Total	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100

15.4 Details of shares issued for consideration other than cash

Particulars	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	No. of Shares held	% of holding	No. of Shares held	% of holding
Hooghly Dock and Port Engineers Limited	-	-	-	-

Equity share holding pattern

The Company's JV shareholder HDPEL holding 26% of the share capital totalling to 57,20,000 shares of ₹10/ each amounting to ₹5.72 Crores has transferred its entire shares to the majority shareholder Cochin Shipyard Limited pursuant to the Union Cabinet approval. As a result, the entire share capital is at present held by Cochin Shipyard Limited with effect from November 01, 2019.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 15 : Equity Share Capital (Contd..)

15.5 Details of shareholding of promoters

Shares held by promoters as at 31st March, 2022:

Particulars	No. of Shares held	% of total shares	% change during the year
Cochin Shipyard Limited	5,00,00,000	100%	-

Note 16: Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Retained Earnings		
Surplus (Balance in Statement of Profit and Loss):		
Balance Brought Forward from Last Year's Account	(734.72)	(419.02)
Add: Profit/ (Loss) for the year	(283.61)	(315.70)
Balance carried forward to next year's account	(1,018.33)	(734.72)

Note 17 : Non-Current Borrowings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Unsecured		
1. Debentures		
4,40,000 Nos. (2021: 4,40,000 Nos.) 6.5% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹ 1,000/- each*	4,400.00	4,400.00
3,10,000 Nos. (2021: Nil) 6.15% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹ 1,000/- each**	3,100.00	-
2. Loan from Related Parties		
5,60,00,000 (2021: 5,60,00,000) 6% Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹10/- each	5,600.00	5,600.00
Total	13,100.00	10,000.00

Note:

1) Debentures

*The Company had issued 4,40,000, 6.50% unsecured redeemable non-convertible debentures of ₹ 1,000 each, with interest rate of 6.50% per annum payable annually, to Cochin Shipyard Limited. The debentures are due for redemption on 16th September 2023.

**On 3rd September, 2021, the Company had further issued 3,10,000, 6.15% unsecured redeemable non-convertible debentures of ₹ 1,000 each, with interest rate of 6.15% per annum payable annually, to Cochin Shipyard Limited. The duration of the debentures is 120 months with an option to redeem after 5 years from the date of allotment.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 17 : Non-Current Borrowings (Contd..)

2) Cumulative Redeemable Preference Shares

Preference Share is treated as financial liability as per Ind AS 32, as these are redeemable on maturity for a fixed determinable amount and carry fixed rate of dividend

(i) Rights, preferences and restrictions attached to Preference shares:

The Company has one class of preference shares i.e. Cumulative Redeemable Preference Shares (CRP Shares) of ₹ 10 per share

(ii) Preference Shares held by Holding Company

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
5,60,00,000 (2021: 5,60,00,000) 6% Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹10/- each, held by Cochin Shipyard Limited, the Holding Company	5,600.00	5,600.00
Total	5,600.00	5,600.00

(iii) Details of Preference shareholders holdings more than 5% shares

Name of Preference Share Holder	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	No. of Preference Shares Held	Percentage of Holding	No. of Preference Shares Held	Percentage of Holding
Cochin Shipyard Limited	5,600.00	100%	5,600.00	100%
Total	5,600.00	100%	5,600.00	100%

(iv) Preference dividend has been provisionally accrued as finance cost. However, as per the Companies Act 2013, the preference shares is treated as part of share capital and the provisions of the Act relating to declaration of Preference Dividend would be applicable.

Finance cost on Preference Shares has been capitalised under Capital Work in Progress as per Ind AS 23.

Note 18: Non-Current Lease Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Lease Obligations	664.16	649.37
Less: Current Portion of Lease Obligations	43.08	42.03
Total	621.08	607.34

The Company has taken certain assets on lease for business purpose. In addition, the Company has entered into long-term arrangements which conveys right to control the use of the identified assets resulting in recognition of right-of-use assets and lease obligations. Lease obligations represent the present value of minimum lease payments payable over the lease term.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 18: Non-Current Lease Liabilities (Contd..)

Movement of Lease Liabilities during the year:

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Opening Lease Liabilities	649.37	389.74
New Leases recognised	-	228.91
Remeasurements and withdrawals	-	-
Interest expense on Lease Liabilities	56.82	75.58
Payment of Lease Liabilities	(42.03)	(44.86)
Closing Lease Liabilities	664.16	649.37

The maturity analysis of undiscounted lease liabilities are disclosed under Note 36(c)

Note 19: Non-Current Provisions

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Provision for employee benefits (refer note 35):		
Retirement benefits	9.09	-
Total	9.09	-

Note 20: Current Lease Liabilities

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Lease Obligations (refer note 18)	43.08	42.03
Total	43.08	42.03

Note 21: Other Financial Liabilities

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Security and other deposits	1,126.88	82.23
Interest accrued but not due on debentures	263.27	153.58
Dividend on preference shares	392.15	56.15
Advance from customers	694.00	-
Others payables	194.79	272.36
Total	2,671.09	564.32

Note 22: Other Current Liabilities

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Statutory dues	32.90	34.27
Total	32.90	34.27

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 23: Current Provisions

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Provision for employee benefits (refer note 35):		
Retirement benefits	0.17	-
Creditors for expenses		
Expenditure/ contingencies	1,413.96	2,620.33
Total	1,414.13	2,620.33

Note 24 : Revenue from Operations

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
Income from Ship Repair	41.78	-
Total	41.78	-

Note 25 : Other Income

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
Rent received	-	2.07
Interest on bank deposits	0.90	26.10
Interest on Income Tax Refund	1.81	-
Interest from others	0.57	11.97
Miscellaneous income	0.07	0.60
Unwinding of Discount on Security Deposit	0.03	0.03
Total	3.38	40.77

Note 26 : Sub contract and other Direct expenses

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
Sub contract and other direct expenses for ship repair	17.08	-
Total	17.08	-

Note 27 : Employee Benefit expenses

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
Employee Salaries & Allowances	56.41	19.20
Contribution to Provident and Other Funds	7.15	1.61
Employee welfare expenses	3.34	4.47
Total	66.90	25.28

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 28 : Finance Charges

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
Finance Charges on lease liability (5.31 Acres)	11.75	11.49
Finance Charges on lease liability (10.45 Acres)	23.13	22.61
Finance Charges on lease liability (9.91 Acres)	21.94	41.47
Total	56.82	75.57

Note 29 : Depreciation and Amortisation Expense

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
Depreciation of Property, Plant and Equipments	19.56	11.26
Depreciation on right of use-Lease liability (5.31 Acres)	2.18	2.18
Depreciation on right of use-Lease liability (10.45 Acres)	4.24	4.24
Depreciation on right of use-Lease liability (9.91 Acres)	3.93	4.90
Amortisation of Other Intangible Assets	9.71	10.03
Total	39.62	32.61

Note 30 : Other Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
Rates & Taxes	2.44	2.73
Power	20.12	14.67
Repairs and maintenance:		
Building and roads	6.16	8.74
Plant and machinery	-	-
Others	1.26	0.95
Docks & Quays	8.23	12.18
Travelling and conveyance expenses	7.41	2.42
Printing and stationery	1.56	0.90
Postage, telephone and telex	0.47	0.95
Advertisement and publicity	8.47	7.47
Lease rent paid	0.66	2.80
Hire charges	15.50	20.65
Security expenses	150.17	147.13
Auditors remuneration:		
- Audit fees	1.50	1.50
- Limited reviews	1.20	1.20
Consultancy	6.10	5.30
Bank charges	0.88	0.71
Miscellaneous expenses	15.08	84.55
Total	247.21	314.85

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 31 : Earnings per Equity Share

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
Profit/(Loss) attributable to equity holders (₹ in Lakhs)	(284.00)	(315.70)
Weighted Average number of equity shares used for computing Earning Per Share (Basic & Diluted)	5,00,00,000	3,33,53,425
Earning Per Share (Basic and Diluted) (₹)	(0.57)	(0.95)
Face value per equity (in ₹)	10.00	10.00

Note 32 : Contingencies and Commitments

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Commitments (To the extent not provided for)		
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for	521.57	1,389.12

Note 33 : Corporate Social Responsibility (CSR)

The Company does not have either any profit from its operations or net worth as prescribed under Section 135 of the companies Act, 2013. As such, the Company is not required to comply with the provisions of Sec 135 of the Companies Act, 2013.

Note 34 : Related Party disclosure

a) Name of the Related Parties and their relationship

Name of the Related Party	Relationship
Cochin Shipyard Limited	Holding Company
Tebma Shipyards Limited	Fellow Subsidiary of Holding Company
Shri Madhu S Nair, Chairman	Key Managerial Personnel
Shri Shekhar Chakravarty, Chief Executive Officer (from 22.12.2021)	Key Managerial Personnel
Shri Rajesh Gopalakrishnan, Chief Executive Officer (till 21.12.2021)	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker, Director	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J, Director	Key Managerial Personnel
Shri Sreejith K Narayanan, Nominee Director (from 26.03.2022)	Key Managerial Personnel
Smt. Anjana K R, Nominee Director (from 26.03.2022)	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V, Nominee Director (till 30.04.2021)	Key Managerial Personnel
Shri S Balaji Arunkumar, Director (till 29.05.2020)	Key Managerial Personnel
Shri Saibal Chattopadhyay, Chief Financial Officer (from 14.02.2022)	Key Managerial Personnel
Shri Balakrishnan Poovathra, Chief Financial Officer (till 13.02.2022)	Key Managerial Personnel
Shri Shibu John Chief Financial Officer (till 15.10.2020)	Key Managerial Personnel
Shri Kiran K A, Company Secretary (from 16.10.2020)	Key Managerial Personnel
Shri Aswin Sarma M, Company Secretary (till 15.10.2020)	Key Managerial Personnel

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 34 : Related Party disclosure (Contd..)

b) Details of Related Party Transactions:

(₹ in Lakhs)

Name of related party & nature of relationship	Nature of Transactions	(₹ in Lakhs)			
		For the Year ended 31st March, 2022	Balance Outstanding as at 31st March, 2022	For the Year ended 31st March, 2021	Balance Outstanding as at 31st March, 2021
(A) Holding Company:					
Cochin Shipyard Limited	Employee Manpower Services (provided by Cochin Shipyard Limited - Holding Company)*	-	-	10.41	-
	4,40,000 6.5% Redeemable Non-convertible Debentures of face value of ₹ 1,000 each issued to Cochin Shipyard Limited (Holding Company)	-	4,400	-	4,400
	Advance against projects	571.12	87.12	-	-
	Interest on Debentures	395.69	263.27	286.00	153.58
	Term Loan Taken	-	-	1,000.00	-
	Interest on Preference Shares	336.00	392.15	56.15	56.15
	Repayment of Term Loan	-	-	1,000.00	-
	Interest on Term Loan	-	-	20.12	-

* As regards reimbursement of manpower costs to Holding Company Cochin Shipyard Limited, the same is accounted on cost basis since GST paid is claimed as input credit receivable.

Note 35 : (i) Defined Benefit Plans/ Long Term Compensated Absences

Description of Plans:

The Company has not taken any funded plan for gratuity of its employees. The present value of obligation is determined in accordance with the advice of independent, professionally qualified actuaries using the projected unit credit method, which is recognised in each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The net Defined Benefit cost is recognised by the Company in the Financial Statements.

Risk:

The Defined Benefit Plans expose the Company to interest rate risk, salary cost inflation risk and Demographic risk.

Interest Rate Risk: The present value of Defined Benefit Plans liability is determined using the discount rate based on the market yields prevailing at the end of reporting period on government bonds. A decrease in yields will increase the fund liabilities and vice-versa.

Salary Cost Inflation Risk: The present value of the Defined Benefit Plan liability is calculated with reference to the future salaries of participants under the Plan. Increase in salary might lead to higher liabilities.

Demographic risk : This is the risk of variability of results due to unsystematic nature of decrements that include mortality, withdrawal, disability and retirement. The effect of these decrements on the defined benefit obligation is not straight forward and depends upon the combination of salary increase, discount rate and vesting criteria. It is important not to overstate withdrawals because in the financial analysis the retirement benefit of a short career employee typically costs less per year as compared to a long service employee.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : (i) Defined Benefit Plans/ Long Term Compensated Absences (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
I Components of Employer Expense				
Recognised in the Statement of Profit and Loss:				
1 Current Service Cost	3.56	5.70	-	-
2 Past Service Cost	-	-	-	-
3 Net Interest Cost	-	-	-	-
4 Total expense recognised in the Statement of Profit and Loss	3.56	5.70	-	-
Re-measurements recognised in Other Comprehensive Income				
5 Return on plan assets (greater)/ less than discount rate	-	-	-	-
6 Effect of changes in assumptions	-	-	-	-
7 Effect of experience adjustments	-	-	-	-
8 Total re-measurements included in Other Comprehensive Income	-	-	-	-
9 Total defined benefit cost recognised in the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (4+8)	3.56	5.70	-	-

The current service cost, past service cost and net interest cost for the year pertaining to Gratuity expenses have been recognised in "Contribution to Provident and other funds" and Leave Encashment in "Salaries and wages" under Note 23. The remeasurements of the net defined benefit liability are included in Other Comprehensive Income.

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
II Net Asset/(Liability) recognised in Balance Sheet				
Present Value of Defined Benefit Obligation	3.56	5.70	-	-
Fair Value of Plan Assets	-	-	-	-
Net liability:				
- Non-Current	0.03	0.14	-	-
- Current	3.53	5.56	-	-

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : (i) Defined Benefit Plans/ Long Term Compensated Absences (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
III. Change in Defined Benefit Obligation (DBO)				
1 Present Value of DBO at the beginning of the year	-	-	-	-
2 Current Service Cost	3.56	5.70	-	-
3 Past Service Cost	-	-	-	-
4 Net Interest Cost	-	-	-	-
5 Remeasurement gains/ (losses):				
a Effect of changes in demographic assumptions	-	-	-	-
b Effect of changes in financial assumptions	-	-	-	-
c Changes in asset ceiling (excluding interest income)	-	-	-	-
d Effect of experience adjustments	-	-	-	-
6 Curtailment Cost/ (Credits)	-	-	-	-
7 Settlement Cost/ (Credits)	-	-	-	-
8 Acquisitions credit/ (cost)	-	-	-	-
9 Effects of transfer In/ (Out)	-	-	-	-
10 Benefits Paid	-	-	-	-
11 Net defined benefit asset/ (liability) at end of current period	3.56	5.70	-	-

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
	IV. Best Estimate of Employers' Expected Contribution for the next year	
Gratuity	3.56	-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
V. Change in Fair Value of Assets				
1 Plan Assets at the beginning of the year	-	-	-	-
2 Acquisition adjustment	-	-	-	-
3 Interest income on plan assets	-	-	-	-
4 Employer contributions	-	-	-	-
5 Return on plan assets greater/ (lesser) than discount rate	-	-	-	-
6 Benefits paid	-	-	-	-
7 Fair Value of assets at the end of current period	-	-	-	-

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : (i) Defined Benefit Plans/ Long Term Compensated Absences (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2022		For the year ended 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
VI. Actuarial Assumptions				
1 Discount rate per annum	7.30%	7.30%	-	-
2 Rate of Escalation in Salary	3.00%	7.30%	-	-
3 Mortality Rate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	-	-
4. Withdrawal	0.70%	0.70%	-	-

VII. Sensitivity Analysis

The Sensitivity Analysis below has been determined based on reasonably possible change of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant. These sensitivities show the hypothetical impact of a change in each of the listed assumptions in isolation. While each of these sensitivities holds all other assumptions constant, in practice such assumptions rarely change in isolation and the asset value changes may offset the impact to some extent. For presenting the sensitivities, the present value of the Defined Benefit Obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the Defined Benefit Obligation presented above. There was no change in the methods and assumptions used in the preparation of the Sensitivity Analysis from previous year.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
A Discount Rate	7.30%	7.30%		
Effect on DBO due to 1% increase in Discount Rate	(0.46)	(0.71)	-	-
Percentage Impact	-13.00%	-12.40%	-	-
Effect on DBO due to 1% decrease in Discount Rate	0.55	0.84	-	-
Percentage Impact	15.60%	14.80%	-	-
B Salary Escalation Rate	3.00%	3.00%		
Effect on DBO due to 1% increase in Salary Escalation Rate	0.57	0.87	-	-
Percentage Impact	16.10%	15.30%	-	-
Effect on DBO due to 1% decrease in Salary Escalation Rate	(0.49)	(0.74)	-	-
Percentage Impact	-13.70%	-13.00%	-	-

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 35 : (i) Defined Benefit Plans/ Long Term Compensated Absences (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Maturity Analysis of the Benefit Payments	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
Year 1	0.03	0.14	-	-
Year 2	0.00	0.19	-	-
Year 3	0.00	0.24	-	-
Year 4	0.00	0.29	-	-
Year 5	0.00	0.35	-	-
Next 5 Years	0.01	2.81	-	-

(ii) Amounts towards Defined Contribution Plans have been recognised under "Contribution to Provident and other funds" in Note 25: ₹ 3.59 Lakhs (2021 - ₹ 1.61 Lakhs).

Note 36 : Disclosures on Financial Instruments

This section gives an overview of the significance of the financial instruments for the Company and provides additional information on balance sheet items that contain financial instruments.

(a) Categories of Financial Instruments

The following table presents the carrying value and fair value of each category of financial assets and liabilities as at 31st March, 2022 and 31st March, 2021:

As at 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Amortised cost	Fair value through other comprehensive income	Fair Value through profit and loss	Total carrying value	Total fair value
Financial Assets					
(i) Trade receivables	49.96	-	-	49.96	49.96
(ii) Cash and cash equivalents	3,193.70	-	-	3,193.70	3,193.70
(iii) Bank balance other than (i)	109.07	-	-	109.07	109.07
(iv) Other financial assets	4.18	-	-	4.18	4.18
Total Financial Assets	3,356.91	-	-	3,356.91	3,356.91
Financial Liabilities					
Borrowings	13,100.00	-	-	13,100.00	13,100.00
Lease liabilities	621.08	-	-	621.08	621.08
Other financial liabilities	2,671.09	-	-	2,671.09	2,671.09
Total Financial Liabilities	16,392.17	-	-	16,392.17	16,392.17

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 36 : Disclosures on Financial Instruments (Contd..)

As at 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Amortised cost	Fair value through other comprehensive income	Fair Value through profit and loss	Total carrying value	Total fair value
Financial Assets					
(i) Trade receivables	-	-	-	-	-
(ii) Cash and cash equivalents	3,621.57	-	-	3,621.57	3,621.57
(iii) Bank balance other than (i)	105.61	-	-	105.61	105.61
(iv) Other financial assets	6.43	-	-	6.43	6.43
Total Financial Assets	3,733.61	-	-	3,733.61	3,733.61
Financial Liabilities					
Borrowings	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00
Lease liabilities	607.34	-	-	607.34	607.34
Other financial liabilities	564.32	-	-	564.32	564.32
Total Financial Liabilities	11,171.66	-	-	11,171.66	11,171.66

(b) Fair value hierarchy:

The following table provides an analysis of financial instruments that are measured subsequent to initial recognition at fair value, grouped into Level 1 to Level 3, as described below:

Quoted prices in an active market (Level 1): This level of hierarchy includes financial assets that are measured by reference to quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

Valuation techniques with observable inputs (Level 2): This level of hierarchy includes financial assets and liabilities, measured using inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e., derived from prices).

Valuation techniques with significant unobservable inputs (Level 3): This level of hierarchy includes financial assets and liabilities measured using inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs). Fair value is determined in whole or in part, using a valuation model based on assumptions that are neither supported by prices from observable current market transactions in the same instrument nor are they based on available market data.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2022				As at 31st March, 2021			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets								
Security deposits	-	0.36	-	0.36	-	0.34	-	0.34
	-	.36	-	0.36	-	0.34	-	0.34
Financial Liabilities								
Borrowings	-	13,100.00	-	13,100.00	-	10,000.00	-	10,000.00
Lease liabilities	-	621.08	-	621.08	-	607.34	-	607.34
Other financial liabilities	-	2,671.09	-	2,671.09	-	564.32	-	564.32
	-	16,392.17	-	16,392.17	-	11,171.66	-	11,171.66

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 36 : Disclosures on Financial Instruments (Contd..)

- (i) Fair value of borrowings which have a quoted market price in an active market is based on its market price which is categorised as Level 1. Fair value of borrowings which do not have an active market or are unquoted is estimated by discounting expected future cash flows using a discount rate equivalent to the risk-free rate of return adjusted for credit spread considered by lenders for instruments of similar maturities which is categorised as Level 2 in the fair value hierarchy.
- (ii) Management uses its best judgement in estimating the fair value of its financial instruments. However, there are inherent limitations in any estimation technique. Therefore, for substantially all financial instruments, the fair value estimates presented above are not necessarily indicative of the amounts that the Company could have realised or paid in sale transactions as of respective dates. As such, fair value of financial instruments subsequent to the reporting dates may be different from the amounts reported at each reporting date.
- (iii) There have been no transfers between Level 1 and Level 2 for the years ended March 31, 2022 and March 31, 2021.

(c) Maturity profile of Company's financial liabilities is as below:

(₹ in Lakhs)

Maturity Period	As at 31st March, 2022			
	Borrowings other than lease obligations	Lease Obligations	Other Financial Liabilities	Total Financial Liabilities
Not later than 1 year or on demand	-	43.08	2,671.09	2,714.17
Later than one year and not later than five years	7,500.00	183.34	-	7,683.34
More than 5 years	5,600.00	4,918.54	-	10,518.54
	13,100.00	5,144.96	2,671.09	20,916.05
Less: Future Finance Charges on Leases	-	4,480.80	-	4,480.80
	13,100.00	664.16	2,671.09	16,435.25

(₹ in Lakhs)

Maturity Period	As at 31st March, 2021			
	Borrowings other than lease obligations	Lease Obligations	Other Financial Liabilities	Total Financial Liabilities
Not later than 1 year or on demand	-	42.03	564.32	606.35
Later than one year and not later than five years	4,400.00	178.87	-	4,578.87
More than 5 years	5,600.00	4,966.09	-	10,566.09
	10,000.00	5,186.99	564.32	15,751.31
Less: Future Finance Charges on Leases	-	4,537.62	-	4,537.62
	10,000.00	649.37	564.32	11,213.69

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 37 : Additional Regulatory Information

Ratios

Ratios	Numerator	Denominator	Current year	Previous year
Current ratio (in times)	Total current assets	Total current liabilities	1.08	1.38
Debt-Equity ratio (in times)	Debt consists of borrowings and lease liabilities.	Total equity	3.46	2.50
Debt service coverage ratio (in times)	Earning for Debt Service = Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses + Interest + Other non-cash adjustments	Debt service = Interest and lease payments + Principal repayments	(0.65)	(1.51)
Return on equity ratio (in %)	Profit for the year less Preference dividend (if any)	Average total equity	-15.03%	-12.30%
Trade receivables turnover ratio (in times)	Revenue from operations	Average trade receivables	1.67	NA
Trade payables turnover ratio (in times)	Cost of CWIP and PPE + Other expenses	Average trade payables	1.44	4.92
Net capital turnover ratio (in times)	Revenue from operations	Average working capital (i.e. Total current assets less Total current liabilities)	0.05	NA
Net profit ratio (in %)	Profit for the year	Revenue from operations	-679%	NA
Return on capital employed (in %)	Profit before tax and finance costs	Capital employed = Net worth + Borrowings + Lease liabilities	-1.84%	-2.23%
Return on investment (in %)	Income generated from invested funds	Average invested funds in treasury investments	NA	NA

Explanation for Change in Ratios by more than 25% as compared to the previous year:

Ratios	% Change	Remarks
Debt-Equity ratio (in times)	38%	There has been increase in total long term debt due to issue of debentures amounting to ₹ 31 Crores by the Company for project implementation
Debt service coverage ratio (in times)	57%	The Company has just started the operations from FY 2021-22 resulting in improvement in EBITDA. Hence the ratio is improving as compared to the previous year
Trade receivables turnover ratio (in times)	100%	The Company has just started the operations from FY 2021-22. There was no trade receivable in the previous year.
Trade payables turnover ratio (in times)	-71%	There was significantly less expenditure for CWIP in current year as compared to previous year. The trade payable has not reduced in the same ratio. Company has been able to manage the trade payables
Net capital turnover ratio (in times)	100%	The Company has just started the operations from FY 2021-22. There was no revenue from operations in the previous year.
Net profit ratio (in %)	100%	The Company has just started the operations from FY 2021-22. There was no revenue from operations in the previous year.

Notes to Financial Statements

for the year ended 31st March, 2022

Note 38 : Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz., Shipbuilding and Repair of ships/ offshore structures. The Company shall undertake segment wise analysis and allocation of costs and revenues when it commences operations.

Note 39 :

Previous year figures have been recasted/ regrouped wherever necessary to conform to the current year presentation.

In terms of our report of even date For and on behalf of Board of Directors

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

JOSE V J
Director
(DIN 08444440)

SHEKHAR CHAKRAVARTY
Chief Executive Officer

DHIRAJ KUMAR AGARWAL
Partner
(Membership No. 067872)

SAIBAL CHATTOPADHYAY
Chief Financial Officer

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

Kolkata
May 03, 2022

Kochi
May 03, 2022

Notice

Notice is hereby given that the 05th Annual General Meeting of the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited will be held at 11.00 hrs. on Monday, September 19, 2022 at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682015, to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To consider and adopt the audited financial statements as on 31st March 2022, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.
2. To appoint a Director in place of Shri Jose V J (DIN: 08444440), who retires by rotation at this Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.
3. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2022-23.

By the Order of the Board of Directors
For **Hooghly Cochin Shipyard Limited**

Kochi
September 07, 2022

Kiran K A
Company Secretary
M. No. A36050

Notes:

1. A Member who is entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the Meeting) is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the proxy should be duly stamped, completed, signed and deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight (48) hours before the commencement of the Meeting. A proxy form (MGT-11) is annexed to this Notice.
2. A person can act as a proxy on behalf of the Members not exceeding fifty (50) and holding in aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. In case, a proxy is proposed to be appointed by a Member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights, then such person shall not act as a proxy for any other person or Shareholder.
3. Members, proxies and authorized representatives are requested to bring the duly filled attendance slip enclosed herewith along with their copy of Annual Report, to attend the Meeting. Corporate members intending to send their Authorized Representatives to attend the Meeting pursuant to Section 113 of the Companies Act, 2013 are requested to send to the Company, a certified copy of the Board Resolution or Power of Attorney or any other instrument authorizing their representative(s) to attend and vote on its behalf at the Meeting.
4. The registers maintained under the Companies Act, 2013 and all documents referred to in the Notice are available for inspection by the Members at the Meeting.
5. The route map to the venue of the Meeting is enclosed with this Notice.
6. This Meeting is proposed to be held outside the local limits of the Registered Office, at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala - 682 015, at a shorter notice. The request, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, for consenting to conduct the Meeting outside the local limits of the Registered Office at a shorter notice is enclosed along with this Notice and the Meeting will be held only if the consent is received from all the Members entitled to vote at the Meeting.
7. The brief details of the Director, who is seeking re-appointment, are annexed to this Notice as per the requirements of the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

By the Order of the Board of Directors
For **Hooghly Cochin Shipyard Limited**

Kiran K A
Company Secretary
M. No. A36050

Kochi
September 07, 2022

Registered Office

Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah, West Bengal – 711 109
CIN: U35900WB2017GOI223197
e-mail: secretary.hcsl@cochinshipyard.in

FORM NO. MGT-11**Proxy Form**

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015
Day, Date and Time : Monday, September 19, 2022 at 11.00 hrs.

Name of Member(s) _____
Registered Address _____
E-mail Id _____
Ledger Folio No. _____

I/ We, being the Member(s) of Hooghly Cochin Shipyard Limited holding _____ shares, hereby appoint:

1. Name: _____
Address: _____
E-mail Id: _____
Signature: _____

or failing him/ her

2. Name: _____
Address: _____
E-mail Id: _____
Signature: _____

or failing him/ her

3. Name: _____
Address: _____
E-mail Id: _____
Signature: _____

as my/ our proxy to attend and vote (on a poll) for me/ us and on my/ our behalf at the 05th Annual General Meeting of the Members of the Company, to be held on Monday, September 19, 2022 at 11.00 hrs. at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Sl. No.	Resolution	For	Against
Ordinary Business			
1.	To consider and adopt the audited financial statements as on 31st March 2022, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.		
2.	To appoint a Director in place of Shri Jose V J (DIN: 08444440), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.		
3.	To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2022-23.		

Signed this day of..... 2022

Signature of Shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Affix
Revenue
Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

ATTENDANCE SLIP

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015
 Day, Date and Time : Monday, September 19, 2022 at 11.00 hrs.

PLEASE FILL ATTENDANCE SLIP AND HAND IT OVER AT THE ENTRANCE OF THE MEETING VENUE

Name of the Shareholder(s)	_____
Registered Address	_____
E-mail Id	_____
Ledger Folio No.	_____
No. of shares held	_____

I certify that I am the registered Shareholder(s)/ Proxy for the registered Shareholder of the Company.
 I hereby record my presence at the 05th Annual General Meeting of the Company on Monday, September 19, 2022 at 11.00 hrs. at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Signature of the Shareholder or Proxy

CONSENT OF SHAREHOLDER

[Pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013]


To
 The Board of Directors
Hooghly Cochin Shipyard Limited
 Administrative Building, HCSL Premises
 Satyen Bose Road, P.O. Danesh Shaikh Lane
 Nazirgunge, Howrah, West Bengal – 711 109

I, _____, son of _____, resident of _____, holding _____ equity shares and/or _____ preference shares of of Rs. 10/- each in the Company, hereby give consent, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, to hold the 05th Annual General Meeting (AGM) of the Company on September 19, 2022 outside the local limits of the Registered Office at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015 at a shorter notice.

Signature:
 Name:

Place:
 Date:

ROUTE MAP TO THE VENUE OF THE MEETING



DETAILS OF DIRECTOR SEEKING RE-APPOINTMENT AT THIS MEETING

[Pursuant to the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI)]

Name of the Director	Shri Jose V J
DIN	08444440
Age & Date of Birth	55 years; February 04, 1967
Qualifications	Shri Jose V J is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam
Experience	Shri Jose V J is the Director (Finance) of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company. He has approximately 31 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also a Director of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.
Terms and conditions of re-appointment	Shri Jose V J was appointed as one of the Directors nominated by CSL. Approval of the Members is sought for continuation of office of directorship of Shri Jose V J till such time his nomination is withdrawn. As per the terms of re-appointment, he is liable to retire by rotation as per the provisions of the Companies Act, 2013.
Details of remuneration sought to be paid on re-appointment and last drawn (FY 2021-22)	Nil
Date of first appointment on the Board	August 03, 2019
No. of shares held in the Company	10 (Shares are held on behalf of CSL)
Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2021-22	4/4
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & Section 8 companies)	(1) Cochin Shipyard Limited (2) Udupi Cochin Shipyard Limited
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies*	Nil

*Membership/ Chairmanship of only the Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee have been considered.

ADDENDUM TO THE NOTICE FOR 05TH ANNUAL GENERAL MEETING

Reference is invited to the Notice issued on September 07, 2022, for the 05th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited scheduled on Monday, September 19, 2022.

In this regard, Notice is hereby given that the 05th AGM of the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited scheduled to be held at 11.00 hrs. on Monday, September 19, 2022 has been preponed to 10.15 hrs. on Monday, September 19, 2022.

Further, in view of the continuing COVID-19 Pandemic and the social distancing norms, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022, read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and all other relevant Circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In view of these MCA Circulars, the Company is providing the facility of attending the 05th AGM through VC/OAVM. Members and other invitees may attend the said AGM through electronic mode by clicking the link given below:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a29c6785367da42dba39027c348e04e72%40thread.tacv2/1663327610099?context=%7b%22Tid%22%3a%22ccea1a75b-ed28-41dc-82be-a567eb912f7f%22%2c%22Oid%22%3a%2250a85616-fca8-43cd-a899-0719a2f7c3b3%22%7d>

The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The designated e-mail id for casting the votes in case of a poll is secretary.hcsl@cochinshipyard.in.

Kindly make it convenient to attend the Meeting.

For Hooghly Cochin Shipyard Limited

Kochi
September 17, 2022

Kiran K A
Company Secretary
M. No. A36050



HOUGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED

HOUGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED

Registered Office:

Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah, West bengal - 711 109

CIN: U35900WB2017GO1223197

